तृतीय माला, खण्ड १९—अंक ६

मंगलवार, २० अगस्त, १९६३
२९ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	६६५—७१७
तारांकित *प्रश्न संख्या १५० से १५४ और १५६	६६५—७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	७१७—८७
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ और १५७ से १७६	७१७—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ से ५७६	७२६—८७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	७८७—६२
दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कम सप्लाई	७८७—८८
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	७८६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७६०—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७६२
याचिकाओं का उपस्थापन	७६३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १६६३—पारित	७६३
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	७६३
श्रीमती सुभद्रा जोशी	७६३—६८
श्री उ० मू० त्रिवेदी	७६८—८००
श्री खाडिलकर	८०१—०२
श्री फ्रैंक एन्थनी	८०२—०४
श्री मुरारका	८०४—०५
श्री अ० क० गोपालन	८०५—०८
श्री स० का० पाटिल	८०८—१५
श्री मनोहरन	८१५—१६
श्री प० गो० मेनन	८१६—१८
श्रीमती रेणुका राय	८१८
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	८१८—८२४
दैनिक संक्षेपिका	८२५—८३१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

दिनांक २० अगस्त, १९६३ । २९ श्रावण, १८८

का

शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ ७३९, अतारांकित प्रश्न संख्या ४८५ , प्रश्न पूछने में 'श्री मोहन सिंह 'के स्थान पर 'श्री मोहन स्वरूप

२. पृष्ठ ७४५, अतारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर में 'संचार मंत्रालय में नौवहन उपमंत्री (श्री राज बहादुर)' 'परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री पढ़िये ।

३. पृष्ठ ७७६, अतारांकित प्रश्न संख्या ५५३, प्रश्न पूछने 'श्री रामचन्द्र बड़े 'के स्थान पर 'श्री राम चन्द्र उल

कृ०

939 (ai) LSD—1.

ष्ठ ७८६, अतारांकित प्रश्न संख्या ५७५, प्रश्न पूछने वाले सदस्य का
नाम 'श्री उलाका' के स्थान पर 'श्री राम चन्द्र उलाका' पढ़िये ।

ृष्ठ ८२४, ऊपर से पांचवीं पंक्ति के आरंभ में 'श्री प्रकाशवीर शास्त्री'
जोड़ दीजिये ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २० अगस्त, १९६३

२९ श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी का रक्षित भण्डार

+

†*१५०. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार चीनी का रक्षित भंडार बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कब लागू किये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस योजना से उपभोक्ताओं तथा उद्योग को कहां तक सहायता मिलेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

939 (ai) LSD—1.

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). योजना अभी बनाई जा रही है और अन्तिम रूप से स्वीकृत हो जाने के बाद भी इस स्तर तक का भण्डार बनाने में कुछ वर्ष लग जायेंगे जिस से कि उद्योग तथा उपभोक्ता कमी के समय में गुजारा चला सकें ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि यह बफर स्टाक किस तरीके से शुरू किया जायेगा और कब तक यह स्कीम चालू हो जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : स्कीम ऐसी है कि करीब पांच लाख टन का हम बफर स्टाक रखना चाहते हैं । उम्मीद है कि पहले बरस में करीब दो लाख हम रखेंगे, दूसरे बरस में दो लाख और तीसरे बरस तक पांच लाख का बफर स्टाक हमारा बन जायगा ।

श्री यशपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि गन्ना पैदा करने वाले को क्या इंसेंटिव दिया जायेगा जिससे बफर स्टाक बन सके ?

श्री स० का० पाटिल : वह एक बड़ा सवाल है । अभी तो इंसेंटिव देने से कुछ बनने वाला नहीं है क्योंकि गन्ना बोया जा चुका है और अब तो वह बढ़ने वाला नहीं है । थोड़ी ज्यादा देखभाल की जानी चाहिये जिससे ज्यादा चीनी बने और गुड़ और खंडसारी से डाइवरशन इधर हो । इस तरह से उस को दाम दिये जायगे जिस से जो हम ३३ लाख टन चाहते हैं वह हो जाय । इस में इंटरनल कंजम्पशन भी आ जाती है, पांच लाख एक्सपोर्ट के लिए भी आ जाता है और साथ ही दो लाख बफर स्टाक के लिए हमारे पास बच जाता है ।

†**श्री भगवत झा आजाद :** वर्तमान स्थिति की कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार त्यौहारों या ऐसे अवसरों के लिये जबकि चीनी की बहुत अधिक मांग होती है ऐसे रक्षित भंडारों अथवा ऐसी ही किसी और चीज के बारे में अन्तरिम प्रस्ताव बनाने का विचार रखती है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** ऐसा हम किसी स्थिति या आपातकाल के कारण नहीं कर रहे हैं । यह तो हम इसलिये कर रहे हैं क्योंकि यह सर्वाधिक ठोस नीति है, एकमात्र नीति है जिस से कि हम मूल्यों पर नियंत्रण रख सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह रक्षित भंडार अपने देशीय संसाधनों की सहायता से बनाया जायेगा अथवा हम किन्हीं दूसरे देशों की सहायता भी लेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हम चीनी की बात कर रहे हैं और हम स्वयं इतने मीठे हैं कि मिठास के लिये हम दूसरों के पास नहीं जाते ।

श्री सरजू पाण्डेय : रक्षित भंडार देश के किसी खास स्थान पर रखा जायेगा या अलग अलग राज्यों में रखा जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : रक्षित भंडार अलग अलग राज्यों में रखेंगे क्योंकि ट्रांस्पोर्ट का सवाल आता है । मिलों के पास ही रख जायेंगे ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या इस प्रस्ताव का उद्देश्य केवल कमी को दूर करना है अथवा उपभोक्ता के लिये कीमतें कम करना भी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिन्दे :** दोनों ही चीजें ध्यान में हैं, कमी को दूर करना तथा मूल्यों को स्थिर रखना ।

श्री बृजराज सिंह : बफर स्टाक बनाने के लिये आप एक्सपोर्ट में से कांटेंगे या कज्यूमर्स का जो स्टाक है, उसमें से काटग और इंटरनल कंज़म्पशन को और ज्यादा टाइटन करेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : इस साल तो एमरजेंसी की वजह से चूंकि हमें फारेन एक्सचेंज की जरूरत थी, इस वास्ते पांच लाख टन भेजना था । लेकिन कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर से न काट । जो कंज्यूमर हैं, व भी बढ़ते जाते हैं । जो ३३ लाख मैं ने कहा है, उसमें पांच लाख एक्सपोर्ट के लिये और दो लाख बफर स्टाक के लिये आ जाता है । अभी अभी २४ लाख इंटरनल कंज़म्पशन है । उस से ज्यादा दो लाख इस तरह से यह हो जाती है ।

†**श्री जसवन्त मेहता :** जब तक रक्षित भंडार की योजना को लागू नहीं किया जाता तब तक विभिन्न राज्यों को चीनी के वितरण के लिये क्या कसौटी है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** पिछले साल और उससे पहले वे कितनी खपत कर रहे थे इसके हम ने आंकड़े लिये हैं । पिछले कई सालों के लिये यही एकमात्र कसौटी रही है जिसके आधार पर वितरण किया जाता है ।

श्री राम सेवक यादव : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष गन्ना बोया जा चुका है, उस का एकड़ेज बढ़ाने के लिए आगे देखा जायेगा । आगे किसान अधिक गन्ना बोयें, उसके लिए इस वर्ष गन्ने का मूल्य कोई बढ़ाने का क्या विचार है ?

श्री स० का० पाटिल : ज़मीन की बात मैं नहीं कहता हूं । ज़मीन नहीं बढ़ाई जायेगी । दाम जो बढ़ाया है, वह भी तो बढ़ाया है और आपको मालूम ही है । खाली एक आना बढ़ाया है । हम चाहते हैं कि हम इस तरह से बढ़ायें कि वह तीन, चार या पांच आने बने । वह एक बड़ी स्कीम है । सब की सब अभी तक नहीं रखी गई है । जब तयार हो जायेगी तो सदन के सामने मैं रख दूंगा ।

श्री राम सेवक यादव : कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री स० का० पाटिल : गन्ना पैदा करने वाले तथा दूसरे जो लोग हैं, उनको मालूम हो गया है । स्टेट्स में जा कर डिसकस करके आये हैं । लेकिन उसको आखिरी रूप अभी देना है । वह आखिरी रूप देने में एक दो हफ्ते लगेंगे, ज्यादा नहीं ।

†**श्री वारियर :** रक्षित भंडारों की एक सम्पूर्ण योजना चलाने से पहले क्या सरकार कम से कम इन इलाक़ों में जहां चीनी पदा नहीं की जाती कुछ रक्षित भंडार बनाने की सुगमता पर विचार करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** चीनी के रक्षित भंडार चावल या गेहूं के रक्षित भंडारों जैसे नहीं है । चीनी अब कोटे पर बांटी जाती है । यह एक राज्य में है या दूसरे में, यह मिलों के पास रहती है ; यह वहां से निकल कर केरल या कहीं और नहीं रहती । परन्तु जब इस की जरूरत होती है या भण्डार में वृद्धि करनी होती है, हम इसे कहीं से भी ले लेते हैं जैसाकि हम अब कर रहे हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** भंडारों की समस्या के इलावा चीनी के बारे में मुख्य समस्या इसके फुटकर वितरण की रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उपभोक्ताओं को सामान्य रूप से वितरण को सुधारने तथा इस क्षेत्र में चोरबाज़ारी

†मूल अंग्रेज़ी में

रोकने के लिये रक्षित भंडार बनाने के साथ साथ और कोई उपाय करने का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** वास्तव में इस का रक्षित भंडार से कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि यदि वितरण त्रुटिपूर्ण है तो रक्षित भंडारों के रहते हुए भी ऐसा हो सकता है परन्तु मैं उन्हें बता सकता हूं कि रक्षित भंडार चोरबाज़ारी आदि बन्द करने के लिए बहुत बड़ा हथियार हैं । अब गेहूं की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं ? इसलिए नहीं कि हमने काफी गेहूं पैदा कर लिया है बल्कि इसलिये कि इतना डर है कि यदि मूल्य बढ़ता है तो तत्काल ही और गेहूं बाज़ार में भेज दिया जायेगा । यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो अन्य कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** गन्ने की कीमत बढ़ाने के स्वागत-योग्य उपाय के अतिरिक्त सरकार और क्या कदम उठाने जा रही है . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** गन्ने की कीमत से हमारा सम्बन्ध नहीं है हमारा सम्बन्ध रक्षित भंडार से है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** मैं मुख्य प्रश्न की ओर आ रही हूं । सरकार यह देखने के लिये और क्या कदम उठाने का विचार रखती है कि गन्ने से गुड़ बनाना आरम्भ न कर दिया जाये ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह एक अलग प्रश्न है ।

†**श्री पें० वेंक्टासुब्बया :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का इरादा चीनी उद्योग को अधिक प्रोत्साहन देने का है जो देश के किसानों को हानि पहुंचा कर अवैध रूप से स्टाक कर रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** ऐसा कोई इरादा नहीं है । जब चीनी की उत्पादिता सामान्य रूप से बढ़ती है तो उससे मिलों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है । कोई प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाती ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या मैं जान सकता हूं कि देश भर में चीनी की कीमत को एक जैसा रखने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं क्योंकि इस समय आसाम में और किसी भी जगह से ज्यादा कीमत है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह एक अलग प्रश्न है ।

सहायक खाद्यों का विकास

†*१५१. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अन्न के बढ़ते हुए उपभोग को रोकने के हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थों के अधिक अच्छी प्रकार से इस्तेमाल किये जाने और सहायक खाद्यों का विकास किये जाने की एक योजना तैयार की है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) अन्य बातों के साथ साथ औसत भारतीय भोजन में अनाज की मात्रा के बाहुल्य को कम करने की दृष्टि से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के अधीन अच्छे इस्तेमाल तथा सहायक खाद्यों के विकास के लिए एक योजना का सार बना लिया गया है ।

(ख) योजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं : वर्तमान खाद्य संसाधनों का परिरक्षण तथा प्रभावी प्रयोग, भारतीय भोजन का विशाखन और पौष्टिकता के दृष्टिकोण से नये, पौष्टिक तथा सुधरे हुए खाद्यों और सहायक खाद्यों के विकास तथा प्रचार द्वारा उसका सुधार और खाद्य औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पौष्टिकता के विभिन्न पहलुओं के बारे में भिन्न भिन्न साधनों द्वारा लोगों की शिक्षा ।

उपयुक्त कार्यक्रमों को बनाने तथा क्रियान्वित करने के लिये खाद्य विभाग में केन्द्रक कर्मचारीवृन्द के साथ एक पौष्टिकता शाखा खोल दी गई है । इस दिशा में राज्य सरकारों तथा अन्य लोगों को सहायता देने के लिए और उन इलाकों में विभाग के कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिये चार इलाकों में भी कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं । कुछेक कार्यक्रम पहले ही क्रियान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जसे कि अधिक प्रोटीन वाले खाद्यों का विकास, भोजन व्यवस्था औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पौष्टिकता संस्थाओं की स्थापना, खाद्य तथा पौष्टिकता प्रसार की चलती-फिरती गाड़ियों का संचालन, सामुदायिक खाद्य परिरक्षण केन्द्रों की स्थापना, मांस औद्योगिकी का विकास ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : अनाज की खपत गांवों में क्योंकि सब से ज्यादा है क्या सरकार इस योजना को पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इस योजना को केवल इस क्षेत्र या उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं किया जा सकता । यह एक विशाल देश है और यह एककर्णधार सी योजना है । यदि आप चाहते हैं कि इसे सारे के सारे ६५०,००० गांवों में फैला दिया जाये तो इस पर बहुत खर्च होगा जो कि किया नहीं जा सकता ।

†**श्री वारियर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अनाज के अतिरिक्त अधिक से अधिक अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना इसमें सम्मिलित की है और यदि हां, तो सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ।

†**श्री वारियर** : मैं सामान्य अनाज के इलावा अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिये किये गये उपायों का उल्लेख कर रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० म० थामस : इस योजना का प्रयोजन भोजन का संवर्द्धन और विशाखन करना है ताकि इस समय भोजन में जो कमियां रह जाती हैं या कुछेक चीज़ों की ज्यादती हो जाती है उसे ठीक किया जाये । इस योजना में निर्जलीकरण की विधियों का प्रचार, परिरक्षकों का इस्तेमाल, साधित खाद्यों की खपत को प्रोत्साहन आदि सम्मिलित हैं ।

†श्री वारियर : मेरा प्रश्न सामान्य अनाजों के इलावा अन्य सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिये दिये गये प्रोत्साहनों के बारे में है ।

†श्री अ० म० थामस : सब्जियों तथा ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ।

†श्री वारियर : केले के वृक्ष लगाना, मछली का उत्पादन या अंडे . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस तरह से नहीं हो सकता ।

†श्री अ० म० थामस : मेरे विचार में केले की कीमत के बारे में कोई शिकायत नहीं है और न ही मछली के बारे में । तथ्य यह है कि मछली की कीमत बढ़ रही है या केले की कीमत बढ़ रही है । कोई प्रोत्साहन आवश्यक नहीं है । मीन क्षेत्रों के लिये यंत्रीकरण योजना है और केलों के लिये भी हम रियायती दामों पर उर्वरक देते हैं ।

†श्री वासुदेवन् नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसन्धान केन्द्रों में यह देखने के लिये कोई अनुसन्धान किया गया है कि क्या सहायक खाद्यों के उत्पादन में टेपिओका का प्रयोग किया जा सकता क्योंकि हमारे पास टेकिओका बहुत बड़ी मात्रा में है ?

†श्री अ० म० थामस : मैसूर प्रौद्योगिकीय संस्था में किये गये अनुसन्धान सन्तोषप्रद रहे हैं । टेपिओका में कार्बोहाइड्रेट तो होता है और यह हम नहीं कह सकते कि उस में प्रोटीन होता है । इसके साथ ही साथ, भोज्य मूंगफली का आटा भी मिलाया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है ।

†श्री त्यागी : गत कई दशाब्दियों से हम संश्लिष्ट चावल और टेपिओका की रोटी के बारे में सुनते आ रहे हैं और आज यह प्रविधिक नाम सुनने में आया है : सहायक खाद्य । मैं नहीं जानता कि इस में क्या होता है । क्या यह बाज़ार में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो मंत्रालय की राय में सहायक खाद्य कब तक बाज़ार में मिलने लगेगा ?

†श्री स० का० पाटिल : मेरे विचार में माननीय सदस्य जानते हैं कि सहायक खाद्य कोई नया शब्द नहीं है; यह तो सदा से प्रचलित रहा है; इस का अर्थ यह है कि अनाज को छोड़ कर अन्य खाद्य जसे कि मुर्गी-बत्तक, मछली, मांस, फल तथा अन्य चीजें । इसीलिये हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं । गहूं में प्रोटीन होती है । हमारे भोजन में सामान्यतः प्रोटीन की बड़ी कमी होती है और यह एक खतरनाक चीज़ है जिस पर ध्यान देना जरूरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० गायतोंडे** : इस बात को देखते हुए कि पहले जो काम एक विभाग करता था उसे अब अनेक विभाग करते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बदलती हुई खाने की आदतों और संतुलित भोजन के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गये वैज्ञानिक अनुसन्धान का उपयुक्त इस्तेमाल किया जा रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक वैज्ञानिक ज्ञान का सम्बन्ध है, सदा इसे समन्वित करने तथा इसका सर्वाधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि आज कल विभिन्न स्टेटों में आम के दरख्तों, जामुन के दरख्तों, कटहल के दरख्तों, अर्थात् हरे दरख्तों को काटा जा रहा है जिस का नतीजा यह हो रहा है कि सब्सीडियरी फूड कम होता है । इस के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है कि उनका काटना बन्द हो जाये ?

श्री स० का० पाटिल : यह बात तो ठीक है कि इस प्रकार के पेड़ नहीं काटने चाहियें, और आम और जामुन के पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं काटने चाहिये । अगर कहीं पर यह होता है तो यह भयानक बात है । यह स्थिति नही होनी चाहिये । सरकार कोशिश करेगी कि ऐसा न हो ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस योजना पर कितना व्यय करने का विचार है और उसमें से कितना भाग कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में खर्च होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने कहा है, कर्णधार परियोजनाओं के आधार पर अभी केवल श्रीगणेश किया गया है । योजना में इन स्कीमों के लिये २.५ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । इस व्यय का मैं अलग अलग व्यौरा नहीं दे सकता कि कितना खर्च कर्मचारियों पर है और कितना दूसरों पर ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह प्रयोग के लिये है ...... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री अ० म० थामस** : हमारे देश की विशालता को देखते हुये पांच वर्षों के लिये २.५ करोड़ रुपये ज्यादा नहीं हैं । तथापि, यह प्रयोगात्मक आधार पर नहीं है ।

†**डा० प० शा० देशमुख**: इस वर्ष के लिये क्या है ?

†**श्री सुरेंद्रपाल सिंह** : भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिये हम समझते हैं कि सरकार ने देश में कुछ अनुसन्धान केन्द्र खोले हैं जो मानवीय उपभोग के लिये पत्तों से प्रोटीन निकालने की सम्भावना की जांच कर रहे हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उस अनुसन्धान कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : तथ्य यह है कि यह कम हो रहा है और इससे प्राप्त परिणामों का चलते-फिरते प्रसार एककों द्वारा उपयोग भी किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों के मूल्य

+

†*१५२. श्री श्रीनारायण दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम राज :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री दिगे :
श्री बसवन्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० ना० विद्यालंकार :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण खाद्यान्नों के मूल्यों की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) क्या हाल ही के कुछ महीनों में उनमें बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति देखी गई है ; और

(ग) यदि मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है तो क्या उसको रोकने के लिये उपयुक्त उपाय करने की कोई आवश्यकता पड़ी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में १० अगस्त, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह में मुख्य अनाजों के औसत थोक मूल्य और प्रत्येक राज्य में उन मूल्यों का रुझान दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–१४८१/६३]**

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां। ऐसे उपाय किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास**: विवरण से यह पता चलता है कि चावल का औसत थोक मूल्य मध्य प्रदेश में लगभग ५७ रुपये प्रति क्विंटल से पश्चिम बंगाल में ८१ रुपये प्रति क्विंटल तक अलग अलग है। मैं जानना चाहता हूं कि इन अवधियों में चावल अधिक से अधिक किस भाव पर बेचा गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : हमने आठ पृष्ठों का एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा है जिसमें विभिन्न राज्यों में मूल्य स्तरों के बारे में ब्यौरा दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में, जहां कि मूल्य सबसे ज्यादा बताया गया है जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में मूल्य में अब कुछ कमी आई है।

†**श्री श्रीनारायण दास**: प्रश्न के भाग (ग) के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अब तक ठीक ठीक क्या उपाय किये गये हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : उन उपायों के बारे में यहां सदन में एक से ज्यादा बार बताया जा चुका है। हमने देश के कोने कोने में कम से कम ५३,००० सस्ते दामों वाली दुकानें खोली हैं जिनके द्वारा गेहूं और चावल बांटे जा रहे हैं। हम व्यापारियों को अग्रिम धन आदि देने के बारे में भी कदम उठा रहे हैं। ऋण को कड़ा कर दिया गया है, हमने विभिन्न राज्य सरकारों को ये हिदायतें भी दी हैं कि यदि उन्हें अवैध रूप से चोरी-छिपे स्टाक रखने या मुनाफाखोरी का पता चले तो वे भारत रक्षा अधि-नियम के उपबन्धों का इस्तैमाल करें।

†**श्री सुबोध हंसदा** : पश्चिम बंगाल में उद्धृत चावल का थोक मूल्य ८१.६७ रुपये प्रति क्विंटल है। यदि ऐसा है तो क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय उपभोक्ता स्तर पर क्या मूल्य था तथा जब जुलाई के प्रथम सप्ताह तक चावल के मूल्य में बढ़ने का रुझान था उस समय चावल का प्रति क्विंटल मूल्य क्या था ?

†**श्री अ० म० थामस** : पश्चिम बंगाल में चावल का सबसे अधिक मूल्य जुलाई के दूसरे सप्ताह में पाया गया था ; उसके बाद मूल्य स्थिर रहे हैं और अब लगभग दो प्वायंट की थोड़ी सी कमी हुई है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में दिसम्बर १९६२ के अन्त तक चावल की कीमत में कमी हुई थी और उसके बाद जलाई, १९६३ के आरम्भ तक वह बढ़ती गई। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह समय उस समय से ठीक तत्सम्बन्धित है जब नई फसल बाजार में आती है जबकि साधारणतया कीमतें गिर जाती हैं ? क्या कारण है कि ठीक उसी समय चावल की कीमतें बढ़ गईं और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा मुनाफाखोरी आदि की वजह से नहीं हुआ है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह भली भांति ज्ञात है कि मई, जून, जुलाई और अगस्त मन्दी के महीने हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिम बंगाल में एक अल्पकालिक फसल होती है। (**अन्तर्बाधा**) इसका प्रभाव बाजार पर भी पड़ा था। समस्त उत्पादन की तुलना में थोड़ी सी ही मात्रा है जिसका पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जा रहा है। सदन के लाभ के लिए मैं मूल्यों के बारे में हाल ही के रुझान बता दूं। यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि कम उत्पादन के बावजूद तथ्य यह है कि चावल का उत्पादन २०लाख टन कम हुआ है--इस वर्ष अनाजों की कीमतें मार्च,१९६३ तक तत्संबंधी अवधि से ज्यादा कम हुई। केवल अप्रैल के बाद से ही चावल का मूल्य---परन्तु गेहूं, ज्वार या अन्य किसी मोटे अनाज का मूल्य नहीं---बढ़ रहा है। जैसाकि भली भांति ज्ञात है चावल के लिये भी मौसम मन्दा ही रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात ध्यान में रखी जाए कि यह वृद्धि विशेष रूप से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ही पाई गई थी। परन्तु मूल्य में वृद्धि की जो संभरण में हुई कमी को देखते हुए बहुत अधिक हो सकती थी, उचित मूल्य वाली दुकानों की संख्या में हुई वृद्धि और उनके द्वारा हुए वितरण से, नेपाल से पश्चिमी बंगाल को चावल भेजने से, और आन्ध्र प्रदेश से पश्चिमी बंगाल तक महाराष्ट्र को चावल भेजने से रोकी गई है। मैं यह भी बता दूं....... **(अन्तर्बाधा)**।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उत्तर संक्षेप में होना चाहिये।

†**श्री अ० म० थामस** : यह बात भी ध्यान देने योग्य है, जसाकि मैं पहिले ही बता चुका हूं, कि स्तर प्रवृत्ति और इन विशिष्ट महीनों में यह गिरावट इस वर्ष की विशेषता है। दोनों उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में अब मूल्य घट रहे हैं। हां अप्रैल और मई में मूल्य बढ़े हैं और अब वे स्थिर हैं। पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और उड़ीसा में, जहां मूल्यों में अधिक वृद्धि हुई है, मूल्यों में कुछ गिरावट आई है और यह बड़ा ही अच्छा चिन्ह है (अन्तर्बाधा)।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। मैं कैसे काम करूं।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या यह शिकायत सरकार को मिल गई है कि पश्चिमी बंगाल में उचित मूल्य वाली अनेक दुकानों पर चावल उपलब्ध नहीं है। यदि हां तो वे इस समस्या को कैसे हल करेंगे? एक ओर वे कहते हैं कि चावल नहीं है और साथ ही कहते हैं कि व उचित मूल्य वाली दुकानें खोल रहे हैं। क्या उचित मूल्य वाली दुकानें केवल गेहूं दे रही हैं या वे चावल भी दे रही हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : किसी बात का कोई खण्डन नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास चावल नहीं है। उचित मूल्य की दुकानों को देने के लिए हमारे पास चावल पर्याप्त मात्रा में है। केवल पिछले एक या दो वर्ष में लगभग ५,००० उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं और मैंने पश्चिमी बंगाल के मख्य मन्त्री को कह दिया है कि यदि स्थिति बिगड़े और वह यदि ५०००० भी और उचित मूल्य की दुकानें खोलें, तो भी मैं चावल देने को तैयार हूं।

†**श्री दाजी** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि उन्होंने अनुदेश दिये हैं कि भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत माल छिपा कर रखने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुतः कितने मामलों में भारत प्रतिरक्षा नियम के अन्तर्गत चावल को छिपा कर जमा करने वालों का पता लगाने के लिए कार्यवाही की है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस बारे में हमने प्रायः अखबारों में पढ़ा था। हमें ये आंकड़े नहीं मिलते। यदि मुझे पता होता कि माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछेंगे, तो मैं उनके लिए यह जानकारी प्राप्त कर लेता। सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किये हैं, उन्हें न मानने वाले सैकड़ों व्यापारी पकड़े जाते हैं और वे अभाव से लाभ उतते हैं।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**: विवरण से विदित होता है कि आसाम में १० अगस्त, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह में चावल का थोक मूल्य ६०.४७ रु० प्रति क्विंटल था। क्या सरकार को विदित है कि ५ अगस्त, १९६३ से पहिले, कछार में चावल का प्रति मन मूल्य ४० रु० था ? क्या सरकार ने कछार और ग्वालपारा सीमा से पाकिस्तान को चोरी से जाने वाले चावल, उसे छिपा कर रखने तथा उसका चोर बाजार में बेचने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय महिला सदस्य ने मुझे एक पत्र लिखा था और बताया था कि कछार में स्थिति खराब है। वास्तव में उस पत्र के मिलते ही मैंने राज्य सरकार से बात की और माल

---

†मूल अंग्रेजी में

भेजा गया। मैं मानता हूं कि कुछ दिनों तक कठिनाई रही, परन्तु वह केन्द्र से माल न मिलने के कारण न थी अपितु उस राज्य में वहन-कठिनाइयों के कारण थी। कछार जिले में कुछ कठिनाई थी, परन्तु आवश्यकतायें तत्काल पूरी की गईं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकारी सूत्रों के अनुसार थोक मूल्य देशनांक और फुटकर मूल्य देशनांक से पता लगता है कि मूल्य वृद्धि का सबसे बुरा प्रभाव खाद्यान्न पर पड़ा। स्थिति को सम्भालने के लिए, विशेषकर इस हालत में जब उचित मूल्य की दुकानों का भी मूल्यों में होने वाली वृद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ा है, सरकार क्या करेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : उचित मूल्य की दुकानें इसलिए नहीं हैं कि वे मूल्यों में वृद्धि को रोकें। उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जाती हैं ताकि जनता उनसे बाजार मूल्य के मुकाबले लाभ उठा सके। देश के करोड़ों लोग उनसे लाभ उठाते हैं, विशेषकर गरीब लोग लाभ उठाते हैं। नगर वाले और अशिक्षित व गरीबों की रक्षा करनी है; अन्यथा कमी के महीनों में उन्हें बिल्कुल भी खाद्यान्न नहीं मिलेगा। फिर पिछले वर्ष पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में उत्पादन लगभग २० लाख टन कम हुआ था। जहां तक भारत के अन्य भागों का सम्बन्ध है, मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है।

श्री रामेश्वरानन्द : किसान के घर में जो अन्न या गुड़ आदि होता है वह मौसम पर बहुत सस्ता बिकता है लेकिन बादमें बहुत महंगा बिकता है। जैसे मौसम पर गुड़ का भाव दस बारह रुपए मन था पर आज वह ४० रुपए के भाव से बिक रहा है। यही हाल गेहूं आदि का है। मैं सारे देश की बात करता हूं। इसके लिए सरकार क्या यत्न कर रही है ?

श्री स० का० पाटिल : स्वामी जी को मालूम है कि जो किसान अनाज पैदा करता है वह अनाज लेने के लिए मारकेट में नहीं जाता, वह तो दूसरी चीजें लेने के लिए जाता है।

श्री रामेश्वरानन्द : किसान का माल दस बारह रुपए के भाव से बिका और आज उसे ४० रुपए के भाव पर बेचा जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्य उठे——

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। माननीय/इस भांति प्रश्न नहीं पूछ सकते। उन्हें अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। २८

श्री रामेश्वरानन्द : यह गलत उत्तर दिया जा रहा है। इतना अनाज किसान के पास नहीं होता कि बारहों महीने खा सकता हो। आज उसे बाजार से लेना पड़ रहा है।

†**श्री कोया** : विवरण में उल्लेख है कि केरल में मूल्य स्थिर थे। वास्तव में, केरल के अनेक नगरों में चावल का मूल्य बढ़ गया था, क्योंकि आन्ध्र से केरल को चावल ले जाने के लिए वैगन उपलब्ध न थे। यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है कि आन्ध्र से केरल को चावल ले जाने के लिए वैगन निरन्तर मिलते रहें ताकि कमी या मूल्यों में वृद्धि न हो ?

†**श्री अ० म० थामस** : केरल को चावल की उपलब्धि के लिए अधिकतर आन्ध्र पर निर्भर रहना पड़ता है। हम उन्हें यथासंभव वैगन देते हैं। जहां तक मूल्य-स्तर की बात है, इस वर्ष केरल में पिछले वर्ष से कम है। वास्तव में, उत्पादक शिकायत कर रहे हैं कि अधिक उपलब्धि के कारण उन्हें लाभदायिक मूल्य नहीं मिलता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : ६६ नये पैसा वाला चावल जोकि अन्य स्थानों पर उपलब्ध है, बंगाल में क्यों नहीं मिलता ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझ पता नहीं कि चावल उपलब्ध नहीं है। जहां तक बंगाल की बात है, मुख्य मंत्री जो भी कह रहे हैं वह तुरन्त पूरा किया जा रहा है। नेपाल का चावल आना

---

†मूल अंग्रेजी में

आरम्भ होने से स्थिति काफी संभल गई है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में बर्मा, अमरीका और अन्य देशों से आने वाला चावल तत्काल माननीय सदस्य के राज्य को भेज दिया जायेगा।

श्री गुलशन : मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया है कि किसान का जो जिन्स का भाव है वह बाजार में नहीं जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि किसान का अनाज ग्रेन मारकेट में बिकता है या किसी दफ्तर में बिकता है ?

श्री स० का० पाटिल : अनाज तो किसान खुद पैदा करता है। इसलिए वह उसे लेने बाजार में नहीं जाता। वह तो और चीजें लेने जाता है। उस के पास जो ज्यादा अनाज होता है उस को वह बचता है। लेकिन हो सकता है कि शायद कुछ के पास कम होता हो और उन को बाजार से खरीदना पड़ता हो। ऐसे लोगों को फेयर प्राइस शाप्स पर जाना चाहिए जिस से उन को ज्यादा दाम न देना पड़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्रीमती बड़कटकी।

†**श्री हेम बरुआ** : एक औचित्य के प्रश्न पर। आप ने अभी कहा है कि पहिले आप सूची समाप्त करेंगे और फिर अन्य सदस्यों को पुकारेंगे। मेरा नाम सूची में काफी ऊपर है। मैं कई बार खड़ा हुआ परन्तु मुझे नहीं पुकारा गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सब को मौका देने का प्रयत्न कर रहा हूं।

†**श्री हेम बरुआ** : विरोध स्वरूप मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। मैं यथासंभव अधिक सदस्यों को मौका देने के प्रयत्न कर रहा हूं। पहिले मैं उन सदस्यों को पुकारता हूं जिन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। फिर, मैं सूची के अतिरिक्त सदस्यों को मौका देता हूं। हम ने इस प्रश्न पर पन्द्रह मिनट पहिले ही ले लिये हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : परन्तु मुझे मौका नहीं मिला।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है। मैं विवश हूं। अगला प्रश्न।

रेलवे दुर्घटना समिति

†*१५३. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भक्त दर्शन
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना समिति ने अपनी पूरी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन सिफ़ारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

†**श्रीमती रेणु बड़कटकी** : सरकार को इस समिति की रिपोर्ट कब तक मिलने की आशा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : आशा है कि रिपोर्ट इस वर्ष दिसम्बर तक मिल जायेगी ।

†**श्रीमती रेणु बड़कटकी** : विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : मुझे खेद है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता । यह बात समिति बता सकती है ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि समिति ने एक यह सुझाव दिया है कि रेलगाड़ियों की गति कम कर दी जाये ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जी नहीं । यह अस्थायी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह एक्सीडेंट्स कमेटी जो बनी है इस के मेम्बरान को १०० रुपये रोज़ भत्ता दिया जाता है और १०० रुपया रोज़ कमाने के लिए वे इस रिपोर्ट में देर कर रहे हैं ? क्या यह बात सही नहीं है कि वे इस रिपोर्ट में जान कर देर कर रहे हैं क्योंकि उस के पूरा हो जाने के बाद उन का भत्ता बंद हो जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह बात सही नहीं है कि सब मेम्बरों को १०० रुपये रोज़ का भत्ता मिलता है । बहुतों को बहुत कम मिलता है ।

†**श्री त्यागी** : क्या किसी व्यक्ति को १०० रुपये प्रति दिन भत्ता मिलता है ? **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री शाहनवाज़ खां** : समिति में दो टैक्निकल सलाहकार हैं जिन में से एक सेवानिवृत्त मुख्य सरकारी रेलवे निरीक्षक है और दूसरा एक राज्य रेलवे का अवकाशप्राप्त महाप्रबन्धक है । उन्हें उन के अन्तिम वेतन के आधार पर १०० रुपये प्रति दिन मिला-जुला भत्ता मिल रहा है ।

†**श्री यशपाल सिंह** : वे हारे हुए संसत्सदस्य भी हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : रेलव दुर्घटना समिति की नियुक्ति के बाद कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और क्या उन सब की जांच की गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : यह बहुत बड़ा प्रश्न है । मैं पृथक पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री भक्त दर्शन** : इस कमेटी ने कुछ दिनों पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दी थी यानी पार्ट-औफ़ दी रिपोर्ट दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि उस की सिफ़ारिशों पर अब तक कितना अमल किया गया है और अमल करने से इन दुर्घटनाओं में कितनी रोकथाम की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उन्हों ने दी थी उसमें ११० आइटम्स ऐसे थे जोकि उदकी समरी औफ़ रैकमेंडेशंस में शामिल थे । उस में २८ एसे थे जोकि महज़ औबजरवेशंस वग़ैरह

---

†मूल अंग्रेजी में

थे । ५ अभी जेरगौर हैं । एक सिफ़ारिश ऐसी थी जो नाक़ाबिले अमल थी और ७६ ऐसी हैं जोकि मंजूर की जा चुकी हैं और उन पर अमल हो रहा या वे जेरअमल हैं ।

श्री भक्त दर्शन : मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि उन का असर क्या पड़ा ?

श्री शाहनवाज खां : असर अच्छा पड़ा है ।

†**श्री मुरारका** : इस समिति पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है और समिति की निश्चित रिपोर्ट कब तक प्राप्त होगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक निश्चित राशि की गणना नहीं की गई है क्योंकि कार्य हो रहा है । अनौपचारिक रूप से मुझे पता लगा है कि इस वर्ष के अन्त तक रिपोर्ट पेश किये जाने की संभावना है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस असाधारण विलम्ब का वास्तविक कारण क्या है और क्या सरकार इस समिति का कार्य शीघ्र समाप्त करेने के लिए दूसरी समिति नियुक्त करेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही करने के लिए यह एक सुझाव है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरे प्रश्न के पहिले भाग का क्या हुआ ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे विलम्ब का कारण कैसे बता सकते हैं ।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा** : मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति ने इन दुर्घटनाओं के बारे में जो जांच की तो सन् १९६३ में सन् १९६२ के मुकाबले ज्यादा दुर्घटनायें हुई हैं या कम हुई हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न समिति की रिपोर्ट के बारे में है ।

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य को मैं बतला देना चाहता हूं कि खुशकिस्मती से जो सीरियस क़िस्म के एक्सीडेंट्स हैं वे कम हो रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : यह प्रश्न पहिले पूछा जा चुका है और समिति के सदस्यों पर बड़े आरोप लगाये गये थे । समिति के सभापति के पद पर कई महीनों तक काम करेने के रूप में, मुझे खेद है कि मंत्रिगण ठीक उत्तर नहीं देते और फलस्वरूप हम में से कुछ के लिए जो संसतसदस्य हैं--बड़ी बुरी स्थिति पैदा कर देते हैं और सभा का विचार होता है कि हमें १०० रु० प्रति दिन मिलते हैं । एसी कोई बात नहीं है । पिछली बार श्री मुरारका ने प्रश्न पूछा था .... (**अन्तर्बाधा**)

†**एक माननीय सदस्य** : क्या यह प्रश्न है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह समिति के एक सदस्य होने के नाते बोल रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : जो उत्तर दिया गया है उस से बड़ी गलत धारणा बनी है कि हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं । हमें रिपोर्ट का भाग-१ दे चुके हैं और भाग-१ की अधिकतर सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं । दूसरे भाग को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और वह शीघ्र ही सरकार को मिल जायेगा ।

†**श्री यशपाल सिंह** : सवाल सरकार से किया गया था और जवाब श्री जयपाल सिंह दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी : १०० रुपये का भत्ता जिन लोगों को दिया जा रहा है क्या वह इसलिए नहीं है कि इस तरह उन पर इनकम टैक्स न लग सके और इनकमटैक्स की चोरी की जा सके या फिर से उन से इस पर कोई नकम टैक्स लिया जाता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह पृथक प्रश्न है ।

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : इस समिति में संसत्सदस्य और कुछ टेक्निकल अधिकारी हैं । क्या समिति के दो सदस्य ऐसे हैं जो संसत्सदस्य नहीं हैं और उन्हें रखने का क्या कारण है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : यह सच है कि समिति का कार्य ऐसा है कि मुख्य टक्निकल कार्य दो वरिष्ठ टेक्निकल अधिकारियों को सौंप दिया गया था । आप इसे दैनिक भत्ता कह सकते हैं । परन्तु जैसा कि मेरे सहकर्मी ने बताया है, उन्हें प्राय: वित्त मंत्रालय के सामान्य नियमानुसार तथा सामान्य प्रचलित प्रथानुसार भुगतान होता है, अर्थात् उन्हें वह वेतन मिलता है जो उनका सेवा निवृत्ति के समय था । वे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनके लिए यह पूर्णकालिक कार्य है । जब वे कार्य नहीं करते, तो वे वेतन नहीं लेते । जहां तक संसत्सदस्यों की बात है, उन्हें सदस्यों के सामान्य भत्ते से एक पैसा भी अधिक नहीं मिलता ।

†**एक माननीय सदस्य** : २१ रु० ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : दैनिक भत्ता चाहे जो भी हो । वे अपना साधारण रेलवे पास, रेलवे सुविधा आदि का भी इस्तेमाल करते हैं । मैं यह कहता हूं कि समिति को बहुत कठिन काम सौंपा गया था । उसने सारे देश का काफी बड़ा दौरा किया और देश के विभिन्न भागों में रेलवे के काम काज का अध्ययन किया और सम्पूर्ण विषय का बड़ा विषद् और विस्तृत विवेचन किया । हम उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सदन उसके काम की प्रशंसा करेगा । समिति के कुछ सदस्य अब इस सदन के सदस्य नहीं रहे लेकिन वे विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रमुख सार्वजनिक नेता हैं । यह ऐसी कोई बात नहीं है जो विवादास्पद हो और जिसके बारे में इस ढंग की आलोचना हो जो यहां की गयी हो ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि इस समिति के अध्यक्ष डा० कुंजरू अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य के बावजूद इस काम में अपना काफी समय और मेहनत लगाते रहे हैं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : यह ठीक है कि बिगड़े हुए स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने इस समिति के काम में काफी समय और मेहनत लगायी है ।

†**डा० सरोजिनी महिषि** : रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या बताये हैं ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न जांच समिति की रिपोर्ट का मुख्य विषय होगा और मेरी राय में माननीय सदस्य उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैं भूतपूर्व रेल कर्मचारी हूं । मुझे मौका दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी और समय (**अन्तर्बाधा**) : मैंने अगला प्रश्न बुलाया है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या आपका यह निर्णय है कि आप हमें कभी नहीं बुलायेंगे या कांग्रेस ने यह निश्चय किया है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान हम लोगों को कोई मौका न दिया जाय (**अन्तर्बाधा**)

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : शान्ति, शान्ति ।

श्री प्रिय गुप्त : क्या बात करते हैं ? आप हमको टाइम नहीं देते हैं । आप हमको बुलाते नहीं हैं । कांग्रेस वालों को बुलाते हैं । (Interruptions)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपनी जगह बैठ जायेंगे ?

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति, श्री बागड़ी कृपया बैठ जाइये ।

श्री बागड़ी : एक व्यवस्था का प्रश्न है । (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है । आप बैठ जाइये । आप क्वेस्चन आवर के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

श्री बागड़ी : मैं चेयर की रूलिंग चाहता हूं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई आनरेबल मेम्बर व्यवस्था के प्रश्न पर उठे और आप से मुख़ातिब हो, तो क्या मंत्री महोदय को यह हक होता है कि वह खड़े रहें । मैं इस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने एक प्रश्न समाप्त कर दिया है और दूसरा प्रश्न पुकारा है । इस बीच कोई औचित्य प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री बागड़ी : मैं इसको समझा नहीं हूं । मुझ समझाया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप कृपा करके बैठ जायें ।

सहकारी फार्म समितियां

+

†*१५४. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ग्रामदान तथा भूदान क्षेत्रों में सहकारी फार्म समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिये कोई विशेष योजना बनाई है ; और

(ख) इस योजना के लिये कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी हां । योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [**पुस्तकालय में रखी गयी कृपया**

---

†मूल अंग्रेजी में

देखिये संख्या एल० टी०—१४८२/६३] इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता ग्रामदान और भूदान क्षेत्रों में संगठित सर्विस सहकारी समितियों के लिए भी उपलब्ध होगी ।

(ख) भूमिहीन श्रमिकों को बसाने की योजनाओं के लिए तीसरी योजना में नियत की गयी ८ करोड़ रुपये की रकम में से १ करोड़ रुपया ग्रामदान और भूदान क्षेत्रों में सहकारी समितियों की सहायता के लिए अलग रख दिया गया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि भूदान में जो ज़मीनें दी गई हैं, वे ख़राब जमीनें हैं और वे बीज का भी जवाब नहीं दे रही हैं ? तो अगर यह करोड़ रुपया किसी अच्छे काम में लगाया जाये, तो क्या उचित न होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : भूदान में करीब करीब ४३–४४ लाख एकड़ ज़मीनें दी गई हैं । उन में से ८–९ लाख एकड़ ज़मीनें बंट चुकी हैं । यह सही है कि कुछ वेस्ट लैंड हैं और कुछ ज़मीनें ख़राब हैं, लेकिन जो ज़मीनें अच्छी हैं, उन में सर्विस कोआपरेटिव आर्गनाइज़ किये जाते हैं और प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए एग्रीकल्चर के लिए रुपया दिया जाता है । करीब करीब १०० फार्मिंग सोसायटीज़ हैं । उनके फार्मिंग आपरेशन्ज़ के लिए रुपया दिया जाता है । और सभी ज़मीनें ख़राब नहीं हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो ज़मीनें अभी तक एलाट नहीं हुई हैं, लैंडलेस लेबरर्ज़ में तकसीम नहीं की गयी हैं, सिर्फ़ भूदान में चली गई हैं, क्या उन पर भी यह कोआपरेटिव लागू होगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : जहां जहां सर्विस कोआपरेटिव या कोआपरेटिव फ़ार्मिंग आर्गनाइज़ की जायगी—और यह आर्गनाइजेशन वहां की ग्राम सभा या भूदान यज्ञ समिति पर निर्भर है—, वहां वहां मदद दी जायगी । कितनी आर्गनाइज़ की जायेंगी, यह उन पर मुन्हसिर होगा । यह वालन्टरी मूवमेंट है । उस के बारे में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : ग्राम दान और भूदान के द्वारा जो ज़मीनें प्राप्त हुई हैं, उन में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : करीब करीब ३०० कोआपरेटिव सोसाइटीज़ कायम की गई हैं । उन में १०० फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं । करीब करीब २०० या २१४–२१५ सर्विस कोआपरेटिब्ज़ हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : पिछले दस वर्षों में भूदान नेता आचार्य विनोबा भावे को दान दी गयी कुल ज़मीन में से कितने एकड़ जमीन भूमिहीन श्रमिकों में बांटी गई है और उनमें से कितनी ज़मीन में सहकारी आधार पर खेती की जा रही है और खासकर किन राज्यों में ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने बताया था कि लगभग ४५ एकड़ जमीन में से लगभग ८ लाख एकड़ भूमि बांट दी गई है । ऐसा कोई विवरण मेरे पास नहीं है जिससे यह बताया जा सके कि वह सारी जमीन भूमिहीन श्रमिकों को ही दी गयी है । लेकिन योजना यह है कि वह भूमिहीन श्रमिकों को दी जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कितनी ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जो भूमि बांटी गयी है वह सहकारी समितियों को १७,२७२ एकड़ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : राज्य कौन कौन से हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं राज्यों के नाम बता सकता हूं। आंकड़े इस प्रकार हैं :—

बिहार . . .	५,०२२ एकड़
गुजरात	३,७२६ एकड़
मद्रास	१,९९५ एकड़
मैसूर	१८९ एकड़
उत्तर प्रदेश . . .	६,३४० एकड़

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय गुप्त।

श्री प्रिय गुप्त : थैंक यू वैरी मच। मुझे बहुत खुशी है। मैं आपका आभारी हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रुपया इस मद में सरकार की तरफ से दिया गया है, वह रुपया किस तरह ख़र्च होगा और उस का प्रापर यूटिलाइज़ेशन होता है या नहीं, इसको देखने के लिए सरकार ने कौन सी मैशीनरी बनाई है, उस मैशीनरी में कौन कौन सी संस्थायें हिस्सा ले चुकी हैं और ले रही हैं।

श्री श्यामधर मिश्र : एक करोड़ रुपया जो रखा गया है, वह कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये ख़र्च किया जायेगा। जब वह कोआपरेटिव सोसायटीज़ के ज़रिये ख़र्च होगा, तो उस पर सुपरविज़न फ़िनांसिंग एजेन्सीज़, डिस्ट्रिक्ट बैंक्स, कोआपरेटिव्ज़ के लोग खुद करेंगे। इस में से अभी खर्च कुछ ही लाख हुए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, अभी २ फ़रवरी, १९६३ से यह स्कीम लागू हुई है और केवल ४–५ लाख रुपया स्टेट्स ने लिया है। आशा की जाती है कि इस साल करीब करीब २५ लाख रुपया स्टेट्स को दिया जाएगा।

श्री त्यागी : लोन है या ग्रान्ट ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : लोन और ग्रान्ट दोनों—

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न का एक भाग इस रकम के ठीक उपयोग की प्रणाली के सम्बन्ध में था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने एक साथ तीन प्रश्न पूछे हैं और माननीय उपमंत्री ने दो के उत्तर दिये हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि कोआपरेटिव बैंक्स के माध्यम से होता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया है कि इसका सदुपयोग होगा इसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उस प्रयोजन के लिए कोई योजना है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैंने यह बताया है कि सहकारी समितियां, भूदान यज्ञ समिति और वित्तीय अभिकरण उसके प्रयोग का निरोक्षण करेंगे।

†**श्री प्रिय गुप्त** : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता था कि समिति द्वारा धन के उचित उपयो की जांच के लिए क्या प्रणाली थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सहकारी समितियां और अन्य संगठन।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रिय गुप्त : उस रुपये के प्रापर यूटिलाइज़ेशन को चैक करने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है या नहीं, उस के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। यह तो ठीक है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए से खर्च होता है, मगर प्रापर यूटिलाइज़ेशन के लिए क्या मशीनरी है? यह सर्व सेवा संघ से होता है, लेकिन उसको कौन चैक करने वाला है?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उस प्रश्न पर अब चर्चा नहीं हो सकती।

श्री विश्राम प्रसाद : अभी मंत्री जी ने बताया कि एक करोड़ रुपया कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए खर्च होगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी चार साल के बाद इससे कोई फ़ायदा होने वाला है या यह रुपया बिल्कुल वेस्ट चला जायगा।

श्री श्यामधर मिश्र : अगर फ़ायदा न होता, तो यह स्कीम ही न बनती। फ़ायदे के लिए ही यह स्कीम बनाई जा रही है। आशा की जाती है कि फ़ायदा होगा। लेकिन अभी से नहीं कहा जा सकता कि कितना फ़ायदा होगा। वह तो दो साल के बाद कहा जायगा।

†**श्री मलाईछामी** : निर्धारित धन में से जो रकम खर्च की गयी है वह समितियों के संगठन पर या उनके कार्यों पर खर्च की गयी है? प्रत्येक राज्य में कितनी समितियां संगठित की गयी हैं और क्या वे सफल हुई हैं?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ३१७ समितियां बनायी गयी हैं और लगभग १०० बनायी जा रही हैं। लगभग २०० सर्विस कोआपरेटिव्स हैं। राज्यवार आंकड़े भी दिये जा सकते हैं।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ३० लाख एकड़ ज़मीन अभी तक बाकी है, क्या सरकार ने उस की व्यवस्था करने के लिए एम० पीज़० की या कोई और कमेटी बनाई है। सरकार ने उस के बारे में क्या इन्तज़ाम किया है?

श्री श्यामधर मिश्र : उस में एम० पीज़० की या और किसी कमेटी का कोई सवाल नहीं है। हर जगह भूदान यज्ञ कमेटी है और उसका एक एक्ट है। उस कमेटी की माफ़त यह ज़मीन बंटती है।

†**श्रीमती अक्कम्मा देवी** : इस बात को देखते हुए कि सहकारी खेती समितियां भी परिवहन सुविधाओं से वंचित पहाड़ी क्षेत्रों में बनायी गयी हैं, क्या इस विशिष्ट योजना से उन क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह योजना खासतौर से भूदान क्षेत्रों के लिए है चाहे वे फिर पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानों में या रेगिस्तानी इलाकों में हों। सभी क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। यह योजना भूदान क्षेत्रों और ग्रामदान गांवों के लिए है।

श्री तुलशीदास जाधव : यह जो भूदान की ज़मीन है, उस के बारे में रिकार्ड्ज़ आफ़ राइट्स में क्या लिखा गया है?

श्री श्यामधर मिश्र : रिकार्ड्ज़ आफ़ राइट्स में ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा इसकी मालिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दे० जी० नायक** : ग्रामदान और भूदान गांवों में सहकारी खेती समितियों ने क्या काम किया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : ग्रामदान गांवों में सहकारी खेती समितियों के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त की गयी है। सहकारी खेती के लिए मसूर के वर्तमान मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में स्थापित समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया था। उन्होंने ३४ समितियों की जांच पड़ताल की, जिन में से एक या दो ग्रामदान समितियां थीं और उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं।

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या इन समितियों को पंचायत समितियों में मिला देने की कोई योजना है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कोआप्रेशन के आधार पर जितने भी काम किये जा रहे हैं, वे सब के सब फेल हो चुके हैं, कोई भी सफल नहीं रहा है। उदाहरण के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि पानीपत की एक मिल है और वहां पर आज तक शेयरहोल्डर्ज़ को एक पैसा तक नहीं मिला है। इसलिए आपने कुछ काम करना है तो व्यक्तिगत रूप से करें, सीधा किसान को अगर कुछ दे सकते हैं तो दें। कोआप्रेशन नहीं चल सकता है।

श्री सरजू पाण्डेय : जो गांव ग्राम दान में मिल चुके हैं उन गांवों में लोगों की ज़मीनों पर व्यक्तिगत अधिकार क्या समाप्त हो गया है या नहीं हुआ है ? अगर समाप्त हो गया है तो वहां पर कोआप्रेटिव फार्मिंग शुरू करने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : जो ज़मीनें ग्रामदान में दी गई हैं, उनके मालिकाना हक तो ग्राम सभाओं को चले गये हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो जोत रहे हैं। सरकार की यह पालिसी है कि कोआप्रेटिव फार्मिंग को जहां तक हो सके, एनकरेज किया जाये। लेकिन यह तो वहां की जो समिति है ग्रामदान की, उस पर निर्भर करता है। कोआप्रेशन वालंटरी है और सरकार जा कर उस को आर्गेनाइज़ नहीं कर सकती है।

†**श्री रामरतन गुप्त** : क्या सरकार का अंशदान सभी नकद दिया जायगा या किस्त में भी दिया जायगा ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : वह नकद होगा, सहायता के रूप में और ऋण के रूप में भी।

चावल का उत्पादन

†*१५६. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प्र० कु० घोष :
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० जी० नायक : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना-काल में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्य-

†मूल अंग्रेजी में

वाही की है;

(ख) क्या इस कार्यवाही के फलस्वरूप योजना के पहिले वर्षों में चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तीसरी योजना में उर्वरक तथा हरी खाद आदि के प्रयोग जैसे समुन्नत तरीकों से अनाज का उत्पादन बढ़ाने के सर्वांगीण कार्यक्रम में चावल की ओर ध्यान दिया जा रहा है। चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) सघन ज़िला कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन, मध्य प्रदेश का ज़िला रायपुर, बिहार का ज़िला शाहबाद, मद्रास का ज़िला तंजौर और आन्ध्र प्रदेश का ज़िला पश्चिम गोदावरी चावल की सघन खेती के लिए चुना गया है।

(२) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल पैदा करने वाले चालीस महत्वपूर्ण ज़िलों को चुना गया है और १९६३ के खरीफ मौसम से वहां समुन्नत तरीके अपनाये जाने वाले हैं।

(३) धान पदा करने के जापानी तरीके को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि १९६१–६२ में इस कार्यक्रम में ८८.४ लाख एकड़ जमीन शामिल की गयी थी।

(४) जापान सरकार के सहयोग से चार प्रदर्शन केन्द्र खोले गये हैं जहां जापानी शिल्पिक जापानी मशीनों और औजारों और चावल पैदा करने के तरीकों आदि का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये केन्द्र रानाघाट (नडिया ज़िला, पश्चिम बंगाल), चकुली (ज़िला सम्बलपुर, उड़ीसा), आरा (बिहार) और ब्यारा (ज़िला सूरत, गुजरात) में हैं। इन केन्द्रों का उपयोग जापानी औजारों के प्रयोग और धान की खेती के तरीकों के सम्बन्ध में चुने हुए किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए किया जायेगा।

(ख) और (ग). अनुमान है कि उपर्युक्त उपायों से उन चुने हुए ज़िलों में चावल का उत्पादन २५ से ३० प्रतिशत तक बढ़ जायगा। तीसरी योजना के पहले वर्ष में देश में कुल उत्पादन घट गया है (दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष १९६०–६१ में चावल का उत्पादन ३३,६५८,००० टन था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष अर्थात् १९६१–६२ में वह ३३,६१०,००० टन था।) यह थोड़ी सी कमी मौसमी दशाओं जैसे अनावृष्टि, फसल की आरम्भिक दशाओं में कम वृष्टि आदि के कारण हुई। बाढ़ों से भी उत्पादन पर कुछ असर पड़ा है। तीसरी योजना के दूसरे वर्ष (१९६२–६३) में उत्पादन के आंकड़े अभी तक नहीं मिले हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** : विवरण में बताया गया है कि तीसरी योजना के पहले साल में उत्पादन कम हुआ। मौसम और कम वर्षा के अलावा इसके और क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूखा पड़ा और वर्षा कम हुई और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आयी।

†श्री अ० क० गोपालन : धान की जापानी ढंग की खेती से पदावार में प्रति एकड़ कितनी वृद्धि हुई ?

†डा० राम सुभग सिंह : २५ से ३५ प्रतिशत ।

†श्री कपूर सिंह : क्या निकट भविष्य में चावल के उत्पादन में हमारे आत्मनिर्भर होने की कोई संभावना है ?

†डा० राम सुभग सिंह : जी हां, हमें निराश होने की जरूरत नहीं क्योंकि योजना आयोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम कार्यान्वित कर रहे हैं और उसे प्राप्त करने के लिए हम यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात आई है कि चार महीने ऐसे आते हैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में जबकि आबपाशी की जरूरत चावल के लिए नहीं होती है, कुदरती पानी से चावल पैदा हो जाता है लेकिन फिर भी उन काश्तकारों से आबपाशी वसूल की जाती है, इरिगेशन टक्सप्वसूल किया जाता है ? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि उन लोगों ने चावल बोना कम कर दिया है और इस वजह से चावल की पैदावार कम हो रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : अगर माननीय सदस्य बतायेंगे कि किन किन जगहों में वसूली की जाती है तो मैं इसकी ओर उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा और देखूंगा कि वहां के किसानों को राहत मिले ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें ।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : जहां तक देश में चावल के उत्पादन का संबंध है उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†डा० राम सुभग सिंह : उर्वरक का, खास कर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, का दाम ५० रुपये फी टन कम कर दिया गया है और किसानों को कुछ मदद देने के ख्याल से हम ने चावल और गेहूं, दोनों के दाम बढ़ा दिये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : पानी से धान पैदा होता है । मैं जानना चाहता हूं कि फूड एंड एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री ने कौन कौन सी स्कीमस को लेने के लिये इरिगशन और पावर मिनिस्ट्री को कहा है ताकि पानी मिल सके और धान की पैदावार अधिक हो सके ?

डा० राम सुभग सिंह : अभी खाद्य और कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को लिखा और यहां भी हम ने सिंचाई मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हर जगह पर नहर का पानी पूरी मात्रा में और समय से किसान के खेत में दिया जाये । नलकूप तथा दूसरे सिंचाई के साधनों का भी हम इसी तरह से इस्तेमाल कराने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं ।

†श्री वे० जी० नायक : क्या यह सच है कि उत्पादन कम होने का एक कारण यह है कि चावल का मूल्य लाभप्रद नहीं है ?

†डा० राम सुभग सिंह : हो सकता है कि वह एक कारण हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रतन लाल : जापानी तरीके से धान बोने की पद्धति क्या असफल हुई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : असफल नहीं हुई है। जापानी तरीके से धान पैदा करने की पद्धति इस वक्त ८.८४ मिलियन एकड़ में लागू हो गई है।

†**श्री अब्दुलगनी गोनी** : खासकर कश्मीर में चावल के बीज की किस्म सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : बीज की किस्म सुधारने और जम्मू कश्मीर राज्य की आवश्यकताओं की ओर उचित ढंग से ध्यान देने की हम बराबर कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में हमने प्रधान मंत्री तथा कश्मीर के कृषि मंत्री के साथ वहां पर भूमि परीक्षण तथा बीज परीक्षण प्रयो ला स्थापित करने के बारे में बातचीत की थी।

श्री प्रिय गुप्त : कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पानी के अकाल से राइस की पैदावार नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी जगह भी हैं जैसे मनिहारी थाना के अन्दर, बराड़ी थाना के अन्दर पूर्णिया जिले में हर साल हजारों एकड़ चावल गेहूं आदि गल्ला व जूट बह जाता है बाढ़ के आने पर, मैं जानना चाहता हूं कि उस बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाने की अगर जरूरत हो तो वैसा क्यों नहीं किया जाता है और इस तरह से खेती को क्यों नहीं बचाया जाता है। इस तरह की चीजों की तरफ सरकार क्या ध्यान दे रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य के सुझाव को मैं बिहार सरकार के पास भेज दूंगा।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सिंचाई की छोटी परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां, उसने सहायता मांगी थी और हमने उसे सहायता दी है।

श्री क० ना० तिवारी : राइस प्रोडक्शन के लिये जहां नहरें नहीं हैं, वहां ट्यूबवैल्ज़ देने से प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक ऐसी चीज है जिसका बढ़ाया जाना मैं आवश्यक मानता हूं। लेकिन बिजली की उपलब्धि थोड़ी कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्थानों में कुछ ऐसे नलकूप हैं और बोरिंग लगा हुआ है जहां बिजली नहीं मिली है। वहां के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों से मैंने बात की है इंजीनियर से भी की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने नलकूप और बोरिंग लगे हुए कुएं हैं, उन सब में बिजली मिले और इसको हम आगे बढ़ाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भोजन की आदतें

†*१५५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में चावल के उपयोग को निरुत्साहित करने और देश के चावल खाने

---

†मूल अंग्रेजी में

वाले क्षत्रों में चावल के अतिरिक्त अन्य अनाज के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने की कोई योजना है क्योंकि देश में चावल के उत्पादन की कमी है ।

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं और योजना की कार्यान्विति की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यद्यपि इस अभिप्राय के लिये कोई योजना नहीं है राज्य सरकारों से अनेक बार प्रार्थना की गई है कि वे चावल के बजाय गेहूं के वितरण को बढ़ावा दें । उचित मूल्य की दूकानों की मार्फत गेहूं देने की माला उन क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है जहां राज्य सरकारों की सम्मति में ऐसा करने की गुंजाइश थी । केवल गेहूं देने की उचित मूल्य वाली दूकानों की अतिरिक्त संख्या चावल के खपत वाले क्षेत्रों में बढ़ा दी गई है । चावल की खपत वाले कुछ राज्यों में शिक्षाप्रद प्रोपेगण्डा और प्रचार द्वारा गेहूं को लोकप्रिय बनाने के लिये भी कदम उठाये गये हैं ।

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि

१५७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सीमावर्ती पर्वतीय क्षत्रों में कृषि विकास की जो योजनायें स्वीकार की गई थीं उन में से प्रत्यक को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उनमें से प्रत्येक योजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या सहायता दी है अथवा देने का आश्वासन दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : पूछी हुई जानकारी सम्बन्धित राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और उन के मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय कृषि सेवा

†*१५८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय कृषि सेवा बनान का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). अखिल भारत कृषि योजना का मसौदा तैयार कर ९ अगस्त, १९६३ को राज्य सरकारों में उनकी प्रतिक्रिया के लिये परिचारित किया गया है ।

(ग) राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

भारतीय नौवहन

†*१५९. **श्री हेडा : क्या परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जहाजों द्वारा देश के विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत भार ढोया जाता है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों की इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ; और

(ग) हमारे लक्ष्य क्या हैं और उनकी पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). छः बड़े पत्तनों को सम्बन्धित आंकड़ों के आधार पर विदेशी व्यापार के माल को भारतीय जहाजों में ले जाने का प्रतिशत १९६१–६२ और पूर्ववर्ती तीन वर्षों में इस प्रकार है :—

१९६१–६२	१२.० %
१९६०–६१	९.०
१९५९–६०	९.६ %
१९५८–५९	८.७ %

(ग) हमारी नौवहन नीति का लक्ष्य यह है कि विदेशी व्यापार का ५० % भाग भारतीय जहाज ले जायें। हम आजकल बहुत कम माल ढो रहे हैं क्योंकि ट्रेम्प और टैंकर व्यापार में नियोजित टन भार की हमारे यहां कमी है । इस दिशा में कमी पूरी करने के लिये सरकार कदम उठा रही है ।

टेलीफोन

*१६०. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अपना टेलीफोन' योजना के अन्तर्गत जब लोग सरकार द्वारा मांगी गई रकम जमा कर देते हैं तो क्या कारण है कि उनकी टेलीफान की मांग तब भी पूरी नहीं होती ;

(ख) मांग के अनुसार उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ग) इस मामले में आत्मनिर्भरता कब तक हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) विभाग के पास कुल उपलब्ध साधनों की दृष्टि से टलीफोन के विस्तार की सुविधायें अधिकांशतः सीमित हैं।

(ख) भारतीय टेलीफोन उद्योग, हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड तथा विभागीय कारखानों में उपस्करों के निर्माण में वृद्धि के अतिरिक्त उपस्कर-निर्माण के लिये और अधिक युनिटों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् से एक समझौते के अन्तर्गत उपस्करों के आयात की आर्थिक व्यवस्था के लिये ऋण भी प्राप्त किया गया है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अन्तर्गत स्थिति में कोई विशेष सुधार होने की आशा नहीं है।

चीनी उत्पादन कार्यक्रम

†*१६१. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प० कुन्हानड़ : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के आगामी तीन वर्षों के लिये चीनी उत्पादन का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) कितना उत्पादन (१) देश में उपभोग और (२) विदेशों में निर्यात के लिये होगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० स० थामस)** (क) और (ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात १९६५–६६ तक चीनी उत्पादन का लक्ष्य ३५ लाख मीट्रिक टन है इसमें ५ लाख मीट्रिक टन निर्यात का उपबन्ध भी सम्मिलित है। योजना के अंत तक इस लक्ष्य के पूरा हो जाने की आशा है। आगामी वर्ष १९६३–६४ में ३३ लाख मीट्रिक टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य है।

हल्दिया बंदरगाह

*१६२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह के लिये भूमि अर्जन का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है और अब तक मुआवजे में कितनी रकम दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६३–६४ में क्या क्या निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) वहां विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये पश्चिमी बंगाल राज्य क्या कार्यवाहीं कर रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) लगभग ६.३७३ वर्गमील क्षेत्र समेकित करने वाला हल्दिया में एक नवीन गोद पद्धति के निर्माण के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम योजना के अनुसार हो रहा है। आशा है कि १९६४ समाप्त होने के पूर्व भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न हो जायेगी अब तक ६९५.७६ एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब तक दी गई मुआवजे की रकम २२,०१,५८३ रुपये १३ नये पैसे हैं ।

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार सड़कों का निर्माण, क्वार्टरों, कार्यालयों का निर्माण, बेसीन की खुदाई और नीची जमीन की भराई आदि प्रारम्भिक कार्य १९६३–६४ में पत्तन आयुक्तों द्वारा प्रारम्भ किये जायेंगे ।

(ग) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिये पत्तन क्षेत्र के समीप २०० एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्राप्त की गई है ।

विदेशी पर्यटक

†*१६३. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पर्यटन विभाग को विदेशी पर्यटकों से शिकायतें मिली हैं कि होटलों में ठहरने पर भी एजेंट, दलाल तथा अन्य व्यक्ति उन्हें अनेक प्रकार से परेशान करते हैं तथा पर्यटन सम्बन्धी कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके प्रति सामान्य शिष्टाचार भी नहीं बरता जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की शोचनीय प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) जी हां। भारत में होटलों में ऐसी अनेक दुकानें हैं जहां 'सोविनार' तथा अन्य वस्तुयें बची जाती हैं और वे दुकानें होटल की नहीं होती हैं किन्तु पट्टे पर दी गई हैं । ये दुकानदार और उनके एजेंट बहुधा अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए पर्यटकों को घेर लेते हैं । पर्यटन विभाग को एसी प्रत्यक शिकायत पर सम्बन्धित होटल के साथ बातचीत की जाती है । इसके अतिरिक्त भारत के होटल और रैस्तरां एसोसिशन के फैडरेशन से कहा गया है कि वह अपने सदस्यों से इस विषय में सतर्क रहने के लिये कहें । सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध जब भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उन्हें प्रशासनिक विभागों के पास उपयुक्त कार्यवाही के लिये भेज दिया जाता है ।

चीनी का स्टाक छिपा कर रखने वालों को दण्ड

†*१६४. { **श्री वासुदेवन् नायरः**
श्री वारियर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश दिय हैं कि चीनी का स्टाक छिपाकर रखने वालों को उदाहरणात्मक दण्ड दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदेशों के अनुसार ऐसे कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तथा उन्हें दण्ड दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकारों को कह दिया गया है कि वे दुराचार करने वाले चीनी व्यापारियों के साथ कड़ा व्यवहार करें ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि चीनी व्यापारियों के दुराचार के ३२८ मामले पकड़े गये हैं और चीनी (नियंत्रण) आदेश, १९६३ के उपबन्धों का उल्लंघन करने

†मूल अंग्रेजी में

के कारण अधिकतर भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन कार्यवाही की गई है। ६८ मामलों में दंड दिए गये हैं। शेष मामलों की अभी जांच पड़ताल चल रही है और मुकद्दमा नहीं चलाया गया।

बनगांव–सियालदह तथा सियालदह रानाघाट सेक्शन का विद्युतीकरण

†*१६५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने गी कृपा करेंगे कि :

(क) बनगांव सियालदह तथा सियालदह-रानाघाट सेक्शन का विद्युतीकरण कब पूरा होगा; .

(ख) कार्य पूरा होने की लक्ष्य-तिथि के बाद कितना समय और लगगा; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) बिजली गाड़ी सेवायें दिसम्बर १९६३ से चालू होने की आशा की जाती है।

(ख) और (ग). प्रारम्भ में यह आशा थी कि बिजली की गाड़ियां १९६३ के मध्य तक चलाई जा सकेंगी। इस बात के थोड़ा स्थगित होने का कारण यह है कि बिजली संभरण अधिकारियों ने काम पूरा कर के नहीं दिया और मैसर्स आई० टी० आई० बंगलौर द्वारा डाक व तार विभाग को रिमीटर स्टेशन सामान के संभरण में विलम्भ हो गया।

तटीय नौवहन

†*१६६. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) कोंकण तट पर तटीय नौवहन सेवा में सुधार के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) राव समिति के प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सरकार ने चौगूल जहाज प्राइवेट लिमिटेड को युगोस्लाविया में ३ नवीन यात्री एवं माल वाहक जहाज बनाने की अनुमति दी है;

(ख) सरकार ने राओ समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, किन्तु उन्हें गोआ के मुक्त हो जाने पर पंजिम यातायात चालू कर ने तथा चौगूल स्टीमशिप प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कोई ब्याज रहित ऋण की सहायता मांगे तथा भाड़ों में वृद्धि न किये बिना ही सेवा को चलाने की पेशकश संबंधी महत्वपूर्ण बातों के कारण स्थिति पर पुर्नविचार करना पड़ा।

खजूराहो में हवाई अड्डा

†*१६७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खुजराहो में हवाई अड्डा बनाने के लिये बिना मूल्य लिए कुछ भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो अड्डे का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तावित हवाई अड्डे के कब तक बन कर प्रयोग के लिये तैयार होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने १६८.२७ एकड़ की कुल जरूरत में से १२.६४ एकड़ भूमि मुफ्त देना मान लिया है।

(ख) इस काम के लिये जब भूमि अधिग्रहण कर ली जायेगी और राज्य सरकार द्वारा दे दी जायगी ।

(ग) धावन-पथ के निर्माण में लगभग एक वर्ष का समय लगेगा।

दण्डकारण्य का सर्वेक्षण

†*१६८. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री पे० वेंकटासुब्बया : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य में खेती, वन उद्योग और बागबानी के काम की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने के हेतु विशेषज्ञों का एक दल निर्माण करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब दण्डकारण्य भेजने की संभावना है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) से (ग) विशेषज्ञों का निम्न दल १५ से २१ मार्च, १९६३ तक दण्डकारण्य गया था।

१. डा० आर० एन० माथुर, अतिरिक्त कृषि आयुक्त	नेता (कृषि)
२. श्री यू० नरसिंह राव, उप कृषि आयुक्त,	सदस्य (बागबानी)
३. श्री एम० रियाजुद्दीन, उप महा निरीक्षक वन	सदस्य (वन)
४. डा० पी० भट्टाचार्य, पशु धन विकास सलाहकार	सदस्य (पशुपालन)
५. श्री जगत किशोर जैन, उप सिंचाई सलाहकार	सदस्य (अल्प सिंचाई)

मिलों में सहकारिता प्रणाली

†*१६९. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी चीनी मिलों ने उत्पादन में कितनी प्रगति की है ;

(ख) सहकारी मिलों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस सहकारिता प्रणाली को और मिलों में भी लागू करने की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) ४१ सहकारी चीनी फैक्टिरियों ने, जिन्हों ने १९६२–६३ में उत्पादन किया, ४.७० लाख एम० टन चीनी तैयार की, जो देश के कुल चीनी उत्पादन का २१ प्रतिशत है, जब कि राष्ट्रीय उत्पादन का १.४ प्रतिशत १९५५–५६ में ३ सहकारी फैक्टरियों द्वारा किया गया था।

(ख) **और** (ग). चीनी के उत्पादन के मामले में सहकारी चीनी मिलों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। नवीन इकाइयों को, लाइसेंस देने के मामले में, सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई और दी जाती रहेगी।

सिंगापुर में नाविकों की गिरफ्तारी

†*१७०. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६३ के अन्तिम सप्ताह में २६ भारतीय और पाकिस्तानी नाविकों को सिंगापुर में पीटा गया और गिरफ्तार किया गया जब कि वे ब्रिटिश तेल वाहक जहाज "लारिस्तान" में सवार थे; और

(ख) यदि हां, तो उन की गिरफ्तारी के क्या कारण हैं ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) २९ जून, १९६३ को, २६ भारतीय मल्लाहों का एक दस्ता और ३ पाकिस्तानी मल्लाह सिंगापुर में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये थे जब कि वे ब्रिटिश आयल टैंकर "लारिस्टन" पर सवार थे, किन्तु सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि उन को पीटा गया।

(ख) २९ मल्लाहों को जहाज के मालिक की शिकायत पर गिरफ्तार किया था कि उन्हों ने जानबूझ कर वैध आज्ञा का उल्लंघन किया और मालिक को चोट पहुंचाने की धमकी द्वारा आपराधिक राज पहुंचाया।

ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनीज

†*१७१. { **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री रा० बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने २ जुलाई, १९६३ को ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज के मालवाही स्टीमर को रोका है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं; और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) रिवर्ज स्टीम नैवीगेशन कम्पनी समिति का एक टोइग जहाज कछार में करीमगंज के सामने, जंकीगंज की पाकिस्तानी सींमा चौकी पर २ से १८ जुलाई, १९५३ तक रोका, रहा, एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप जिस में करीमगंज के समय नदी के पाकिस्तानी किनारे पर बचाव कार्य को पहुंची क्षति का आरोप लगाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. जहाज १८ जुलाई, १९६३ को कम्पनी द्वारा यह वचन दिये जाने पर कि वे दुर्घटना से उत्पन्न आरोपित क्षति की समचित रूप से गठित जांच न्यायालय के सामने उत्तरदायी होंगे, जहाज छोड़ दिया गया ।

किसानों के लिए सस्ते औजार

†*१७२. श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री प० कुन्हन :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री महेश्वर नायक
श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में किसानों को सस्ते औजार और आधुनिक तरीके उपलब्ध करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि १९६३ में नई कराधान नीति के बाद खेती के उपकरणों की कीमतें बढ़ गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) किसानों के लिये सस्ते औजार और कृषि सामान को लोकप्रिय बनाने के लिये कार्य किये गये हैं :—

(१) औजार के मूल्य की २५ से ५० प्रतिशत तक की अर्थ सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है ।

(२) कृषि औजारों द्वारा अपेक्षित इस्पात और लोहे का पृथक् अभ्यंश प्राप्त किया जाता है ताकि नियन्त्रित दावों पर दिया जा सके ।

(३) औजारों की कीमत को घटाने के लिये, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मद्रास राज्यों ने बड़े पैमाने पर औजार बनाने के लिये सरकारी फैक्टरियां स्थापित की हैं ।

(४) ब्लाक के कर्मचारियों की सहायता के साथ प्रदर्शन के लिये आधुनिक औजारों को लोकिप्रिय बनाया जा रहा है ।

(५) हाल ही में उत्तम कृषि औजारों के निर्माण और लोकप्रियकरण सम्बन्धी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था और सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार कृषि मशीनरी और औजारों का बोर्ड स्थापित किया गया है जो बढ़िया औजारों का उपयोग बढ़ाया जाए ।

(ख) सरकार को पता नहीं है कि नवीन करारोपण नीति के कारण खेती के औजारों की कीमत में कोई वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

कंक्रीट के स्लीपर

†*१७३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कंक्रीट के स्लीपर बनाने वाला सन्यन्त्र स्थापित करने के लिये अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो किन सार्थों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ग) क्या इसमें कोई अन्य देश भी सहयोग दे रहा है ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) सीमित संख्या में कंक्रीट स्लीपरों के निर्माण और संभरण के लिये आये हुए टेंडर विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

आयोजना एवं कार्यकारी दल

†*१७४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में आयोजना एवं कार्यकारी दल स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में योजना एवं कार्यकारी दल स्थापित किये जा चुके हैं ।

(ख) मुख्य निर्देश पद ये हैं :—

(१) तीसरी योजना अवधि के कार्यक्रमों और योजानाओं की प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा करना,

(२) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक होने वाली स्थिति को चालू प्रवृत्तियों और अन्य उपलब्ध सांख्यिकी की दृष्टि से जांचना; और

(३) १९६६से प्रारम्भ होकर १० वर्ष की अवधि के लिये चौथी योजना के लिये प्रस्ताव बनाना ।

संयुक्त अरब गणराज्य के कामैट विमान की दुर्घटना

†*१७५. { **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ जुलाई, १९६३ को बम्बई के निकट संयुक्त अरब गणराज्य का एक विमान

---

†मूल अंग्रेजी में

दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में गिर पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या सहायता दी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

एक संयुक्त अरब एयर लाइन्स कौमट विमान सू-अल्द, जब वह बरास्ता हांगकांग, बेंगकोक, बम्बई और बहराइच, टोक्यो से काहिरा की अनुसूचित उड़ान पर था, अरब सागर में, २८ जुलाई, १९६३ को लगभग ०१५१ घंटे (आई एस टी) पर सन्ताक्रुज हवाई अड्डे से ९ वायु मीलों की दूरी पर दुर्घटना का शिकार हो गया ।

बम्बई वायु यातायात नियन्त्रण के साथ विमान का सम्बन्ध न रहने के तुरन्त पश्चात् भारत सरकार के अधिकारियों ने विमान को ढूंढने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया । भारतीय नौसेना, वायु सेना, असैनिक एयर लाइन्स और जिला अधिकारियों ने अनुसन्धान तथा सहायता कार्य में भाग लिया । उस विमान का अभी पता नहीं लगा । संकेत इस बात के मिले हैं कि दुर्घटना भारतीय प्रादेशिक जल प्रांगण से बाहर हुई है । संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार को उस जांच के लिये सब सहायता पेश की गई हैं, जो वे करना चाहें ।

डाक सेवाएं

†*१७६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मन्त्रालय डाक के तेजी से निबटारे के लिये यांत्रिक साधनों की व्यवस्था करने और डाक सेवा के आधुनिकीकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कार्य रूप में किस प्रकार परिणित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यह इस समय विचाराधीन अग्रिम अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

खेलकूद की टीमों को रेलवे यात्रा के लिए रियायतें

†*१७७. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प० कुन्हन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेलकूद की टीमों को रेलवे यात्राओं के लिये पुनः रियायतें देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले दी गई रियायतों में अब कोई परिवर्तन कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग) अखिल भारतीय खेल निकायों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रत्रेतापन टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिये जाने वाली खेल टीमों की रियायत में संशोधन किया जा चुका है। इन टीमों को वही रियायतें दी जाती हैं जो पहले दी जाती थीं ।

रेलवे जोन

†*१७८. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री गो० महन्ती :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद को हैडक्वार्टर बना कर एक नया जोन बनाने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कब बनाया जायेगा ; और

(ग) यह देश के किस भाग के लिये होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'एयरवेज' प्रणाली

†*१७६. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ६ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन किन मार्गों पर 'एयरवेज' प्रणाली चालू करने का विचार है ;

(ख) योजना को क्रियान्वित करने के लिये कितने अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता होगी और ये कहां से मंगाये जायेंगे ; और

(ग) योजना की क्रियान्विति में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) इन नौ मार्गों को प्रक्रमों में 'एयरवेज' में बदलने का विचार है :—

(१) अमृतसर-भटिंडा-दिल्ली

(२) लोहौर-भटिंडा-दिल्ली

(३) दिल्ली कलकत्ता

(४) दिल्ली-बम्बई

(५) बम्बई-नागपुर-कलकत्ता

(६) कराची-मंडसौर-कलकत्ता

(७) कराची-जोधपुर-दिल्ली

(८) कराची-नागपुर-भुवनेश्वर ; और

(९) कराची-भावनगर-बम्बई-कोलम्बो ।

(ख) और (ग) एयरवेज को चलाने के लिये अपेक्षित कुछ बुनियादी सुविधायें मार्गों के साथ कुछ स्थानों पर पहले ही विद्यमान हैं । लगभग ४·८ करोड़ रुपये के अतिरिक्त सामान की आवश्यकता सभी एयरवेज को कार्यान्वित करने के लिये होगी । सामान की कुछ मदों के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं और ये अमरीका से प्राप्त हो रहे हैं । सामान की शेष मदों के लिये उनका समाहार विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†४६६. **श्री जेना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य के इर्द-गिर्द समुद्र में गहरे पानी में मछलियां पकड़ने के लए केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिए प्रार्थना की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अथवा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से इस तथ्य की पूरी पूरी जांच की है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटों पर गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ी जा सकती हैं ;

(ग) यदि हां तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या देश की नदियों की अपेक्षा उड़ीसा को चिलका झील से कहीं ज्यादा मछलियां निकलती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मछली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावोत्पादक कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां। उड़ीसा मत्स्य-पालन विकास निगम की, जो अभी हाल में राज्य के मीन क्षेत्र संसाधनों का विकास करने के मुख्य उद्देश्य से स्थापित किया गया है, कार्यवाहियों के लिए धन दिये जाने के लिए उड़ीसा सरकार से ऋण-सहायता के एक आवेदन पत्र पर भारत सरकार विचार कर रही है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना के सम्बन्ध में विदेशों से ४ ट्रालर मंगाने की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) ऑफ शोर फिशिंग स्टेशन, विशाखापत्तनम् में स्थित मछली पकड़ने के ट्रालर नियमित रूप से अन्वेषणात्मक यात्राएं कर रहे हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के डीप-सी फिशिंग बोर्ड के ट्रालर्स ने १९५० से पिछले वर्ष तक अन्वेषणात्मक सर्वेक्षण किये थे। इन सभी नौकाओं द्वारा इकट्ठी की गयी जानकारी के विश्लेषण से उस क्षेत्र में मछली पकड़ने के समृद्ध क्षेत्रों का पता चलता है।

(घ) जी हां। पिछले तीन वर्षों में वार्षिक उत्पादन इस प्रकार रहा :—

१९५९ .	. ३७९६८ टन
१९६० .	. २६४५३ टन
१९६१–६२	. २८८१५ टन

(ङ) जी हां। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उस झील के प्राकृतिक तथा जल विज्ञान सम्बन्धी विशेषताओं का गहरा अध्ययन किया जा रहा है। उड़ीसा मीन क्षेत्र विकास निगम ने चिलका झील के और अधिक विकास तथा उससे और अधिक मछलियां निकालने की योजनाएं तैयार की हैं।

डाक-तार निदेशक, उड़ीसा, का कार्यालय

†४६७. **श्री जेना** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार निदेशक, उड़ीसा, का कार्यालय कटक से भुवनेश्वर इस कारण ले जाया जा रहा है कि वहां वह कार्यालय जगह की कमी के कारण सहूलियत से काम नहीं कर सकता ;

(ख) लगभग किस तारीख तक इस कार्यालय को भुवनेश्वर ले जाने का काम पूरा हो जायेगा; और

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी भुवनेश्वर में कार्यालय की इमारत के साथ साथ बनाये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) जी हां।

(ख) तीन या चार वर्षों में।

(ग) जी हां, अधिकतर कर्मचारियों के लिए।

डी सी–३ हवाई जहाज

†४६८. **श्री पू० चं० देवभंज : क्या परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट के पास विमान दुर्घटना के कारण कमशियल पाइलट्स असोसियेशन ने सरकार से यह मांग की है कि सभी डी सी–३ हवाई जहाज जिनमें आर–२००० इंजन लगे हुए हों, न उड़ाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन हवाई जहाजों की उड़ान बन्द कर दी है ; और

(ग) ऐसे कितने हवाई जहाज हैं जो नहीं उड़ाये जा रहे हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास अब इस ढंग का केवल एक ही हवाई जहाज है और वह उड़ाया नहीं जा रहा है।

चीनी का उत्पादन

†४६९. **श्री रामचन्द्र उलाका : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६१-६२ और १९६२-६३ में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कुल कितनी चीनी उड़ीसा से बाहर भेजी गई; और

(ग) उसका मूल्य कितना था ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क)

चीनी वर्ष	१९६१–६२ .	४,२४२	मीट्रिक टन
(नवम्बर, अक्तूबर)	१९६२–६३ .	३,५३३	मीट्रिक टन

(ख) निर्यात संवर्धन अधिनियम के अधीन निर्यात कोटा १९६१-६२ के उत्पादन पर ७०३.०४ मीट्रिक टन था और जुलाई, १९६३ के अन्त तक १९६२-६३ के उत्पादन पर ३३० मीट्रिक टन था।

(ग) लगभग ७·६२ लाख रुपये।

फीरोजपुर डिवीजन में गाड़ियों के रुकने के स्थान

†४७०. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री २० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७२ के उत्तर

†मूल अंग्रेजी में

के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीजन में गाड़ियों के ठहरने के दो नये स्थान (हाल्ट) चालू करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) लुधियाना लोहियां खास सेक्शन में नूरमहल और बिलगा स्टशनों के बीच गुमताली में ठेकेदार द्वारा चालित गाड़ी का एक विश्राम स्थान खोला गया है और दूसरा विश्राम स्थान जालन्धर-मुकेरियां सेक्शन में अलबरमपुर और काला बकरा स्टेशनों की बीच ब्यासपिंड में खोलने के लिये व्यवस्था आरम्भ कर दी गई है ।

चीनी कारखानों को उत्पादन के लिये प्रोत्साहन

†४७१. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ और १९६२-६३ में सरकार ने चीनी के कारखानों को क्या प्रोत्साहन दिये ; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक चीनी कारखाने को निर्यात क्षति और पुनर्वास भत्ते के रूप में उपकर और धन सम्बन्धी सहायता के मामलों में कितनी छट दी गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) सरकार ने १९६१-६२ और १९६२-६३ में कारखानों के उत्पादन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं हुआ।

(ख) इन वर्षों में निर्यात क्षति और पुनर्वास भत्ते के रूप में कारखानों को कोई भी प्रत्यक्ष धन सम्बन्धी सहायता नहीं दी गई । तथापि कृषक को इस वर्ष की उगाही में से अतिरिक्त मूल्य देने के पूर्व १९६१-६२ के लिये उन कारखानों के सम्बन्ध में पुनर्वास भत्ता अनुज्ञेय होगा जिन्होंने वास्तव में ही इस प्रयोजन के लिये निधियां बनाई थीं अथवा उनका उपयोग किया था । १९६१-६२ के लिये कृषक का भाग निर्धारित करने के बाद इन पर ध्यान दिया जायेगा ।

१९६१-६२ में इस उद्देश्य से कि कारखाने इनके क्षेत्र में उपलब्ध अतिरिक्त गन्ने का रस निकाल सकें उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने गन्ना उपकर/क्रय कर में ५३ लाख ४३ हजार रुपये, २० लाख ४ हजार रुपये की छट दी है । पंजाब सरकार से १९६१-६२ में क्रय कर की समस्त राशि छोड़ दी, जो २४ लाख २२ हजार रुपये थी । केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सरकारों को यह अधिकार दे दिया कि वे १ मई, १९६२ से ९ प्रतिशत से नीचे वसूली में प्रति १/१० प्रतिशत कमी पर १ रुपया ५ नये पैसे प्रति मन

†मूल अंग्रेजी में

गन्ने की दर से गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर छूट दें ; किन्तु शर्त यह थी कि आम तौर पर सबसे अधिक छूट १९ नये पैसे प्रति मन गन्ने से अधिक नहीं होगी और किसी भी स्थिति में यह २५ नये पैसे प्रति मन से अधिक नहीं होगी ।

मीन क्षेत्रों का विकास

†४७२. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने १९६२–६३ में आसाम को राज्य में मीन क्षेत्रों का विकास करने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा स्वीकृत सारी राशि इस अवधि में व्यय करदी है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शक्य शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सुप्राकेंडी स्टेशन

†४७३. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास कचार जिले में उत्तर सीमांत रेलवे के सुप्राकेंडी स्टेशन पर बुकिंग की सुविधायें चालू करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन आया हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने जनता की इस मांग पर विचार किया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). सुप्राकेंडी गाड़ी ठहरने का स्थान है, जहां ठेकेदार काम करता है और वहां केवल स्थानीय यात्रियों को ही टिकट दिये जाते हैं । सुप्राकेंडी को विभाग द्वारा चालित फ्लैग स्टेशन में बदलने और वहां सामान के बुक करने की सुविधायें चालू करने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं । प्रस्ताव का अध्ययन किया गया था किन्तु समुचित औचित्य न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया ।

महानदी पर पुल

†४७४. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक (उड़ीसा) जिले के करोज स्थान पर महानदी पर बन रहे पुल के निर्माण में, जिसे डी० बी० के रेलवे परियोजना द्वारा खुर्दा रोड और नेर्गुन्डी के बीच प्रस्तावित दोहरी लाइन बिछाने के लिये बनाया जा रहा है, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कार्य कब तक समाप्त होगा ; और

(ग) योजना का कुल व्यय क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) लगभग ५० प्रतिशत ।

(ख) जून, १९६६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दोहरी लाइन बिछाने का कुल अनुमानित व्यय ८०३ लाख रुपये है, जिसमें महानदी पर लगाये जाने वाले पुल के ३३६ लाख रुपये भी सम्मिलित हैं।

तिलहन का विकास

†४७५. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में केन्द्र ने उड़ीसा की सरकार को तिलहन के विकास के लिये कोई अनुदान या ऋण स्वीकृत किया है; और

(ख) १९६३–६४ में कितना ऋण अथवा अनुदान देने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को तिलहन के विकास के लिये कोई निर्धारित सहायता नहीं दी गई। संभव है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य विकास योजनाओं के लिये दी गई कुल विकास अनुदानों में से तिलहन के विकास के लिये १९६२–६३ में कुछ राशि व्यय की हो अथवा १९६३–६४ में करे। इन राशियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बागवानी का विकास

†४७६. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उड़ीसा की सरकार को बागबानी के विकास के लिये कितना ऋण अथवा अनुदान दिया गया ; और

(ख) १९६३–६४ में कितनी राशि देने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) १९६२–६३ में उड़ीसा सरकार को बागबानी के विकास के लिये ऋण और अनुदानों की निम्नलिखित राशियां दी गईं :—

योजना	केन्द्रीय सहायता ऋण रुपये	१९६१–६२ अनुदान रुपये
१. मालियों का प्रशिक्षण . .		१८,५००
२. प्रोजेनी आॅर्चेर्ड और फल रोपणियां लगाना	..	३२,५००
३. बाग क्षेत्र की स्थापना	५०,०००	५,०००
कुल रुपये . .	५०,०००	५६,५००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३-६४ में निम्नलिखित अनुमानित राशियां देने का विचार है :

योजना	१९६३–६४ में प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता	
	ऋण रुपये	अनुदान रुपये
१. मालियों का प्रशिक्षण . .	..	१४,४५०
२. प्रोजेनी ऑर्चर्ड और फल रोपणियां लगाना .	..	३५,३४०
३. बाग क्षेत्र की स्थापना .	..	३,२५०
		५३ ०४०

उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड

†४७७. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में और १९६३-६४ में अब तक राज्य के सामुदायिक विकास खंडों के लिये उड़ीसा राज्य को कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :**

१९६२-६३ .	२३० लाख ५० हजार रुपये, केन्द्रीय सहायता के रूप में (१४२ लाख ६६ हजार रुपये अनुदान के और ८७ लाख ८७ हजार रुपये ऋण के रूप में)।
१९६३-६४ . .	केन्द्रीय सहायता की निर्धारित राशि २२५ लाख ३० हजार रुपये है (१३५ लाख ८० हजार रूपये अनुदान के और ८९ लाख ५० हजार रुपये ऋण के रूप में) किन्तु वास्तविक भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार से व्यय विवरण के आने पर किया जायेगा ।

बम्बई में टेलीफोन के तारों का टूट जाना

†४७८. **श्री कर्णीसिहजी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में वर्षा के दिनों में अक्सर टेलीफोन के तार टूट जाते हैं और उससे काफी कठिनाई उत्पन्न होती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) टूटे हुये तारों की मरम्मत में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, नियमित सेवा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) हां। साफ़ मौसम की अपेक्षा वर्षा में तार टूटने की घटनायें अधिक होती हैं।

(ख) मानसून ऋतु में साधारणतः भूमिगत तार संयंत्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और ऐसे मामलों में विलम्ब इसलिये होता है कि लगातार वर्षा के दौरान भूमिगत तारों की मरम्मत करना संभव नहीं है।

(ग) नियमित सेवा को सुनिश्चित करने के लिये मानसून आरम्भ होने के ठीक पहले समस्त भूमिगत तारों, वितरण प्वाइंट, मुख्य लाइन से टलीफून तक पहुंचने वाले तारों आदि का निरीक्षण कर लिया जाता है। पता चलने पर त्रुटियों के स्थान के संबंध में उपचारात्मक उपाय कर लिये जाते हैं। मानसून ऋतु के पहले ही तारों की त्रुटियों के मामलों में आपातकालीन मरम्मत के उपाय निश्चित कर लिये जाते हैं और ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिये इतनी शीघ्रता से उपाय किये जाते हैं जितनी विद्यमान परिस्थिति में व्यवहार्य है ?

फसलों की क्षति

†४७९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में हाल ही में सूखे से और बाद को अधिक वर्षा से कुछ क्षति पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कुछ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश' उड़ीसा और दक्षिणी पंजाब के कुछ जिलों में से जून के अन्तिम सप्ताह से जुलाई, १९६३ के अंतिम सप्ताह के २–४ सप्ताहों के समय में अनावृष्टि की सूचना मिली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम के कुछ जिलों से अत्यधिक वर्षा और बाढ़ों की भी सूचना मिली है।

तथापि फसल पर इन असामान्य परिस्थितियों के वास्तविक प्रभाव का अनुमान अभी से नहीं लगाया जा सकता।

चावल और गेहूं का आयात

†४८०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रि यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में पृथकशः अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया से कितना चावल तथा कितना गेहूं आयात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : गत छः महीनों, अर्थात् १ फरवरी, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६३ के काल में चावल और गेहूं का कुल आयात

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार किया गया :

	१००० मीट्रिक टनों में मात्रा	
	चावल	गेहूं
अमरीका	१६४.८	१८४५.४
कनाडा	..	१६.१
आस्ट्रेलिया		३३.०

चीनी का निर्यात

†४८१. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में और अप्रैल, १९६३ अब तक विभिन्न देशों को (प्रत्येक देश को अलग-अलग) कितनी चीनी निर्यात की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: वित्तीय वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ (अप्रैल-जुलाई) में विभिन्न देशों को निम्नलिखित मात्रा में चीनी निर्यात की गई ।

देश का नाम	१९६२–६३ (अप्रैल–मार्च) में निर्यात की गई मात्रा मीट्रिक टन	१९६३–६४ (अप्रैल–जुलाई १९६३) में निर्यात की गई मात्रा मीट्रिक टन
अमरीका	८४,९१०	८८,९३२
जापान	६,६९२	८३,६६४
कनाडा	१,३६,४५५	३२,४८८
मलाया और सिंगापुर	७८,२८७	२३,९९३
सीरिया	..	२०,६७८
ब्रिटेन	१६,८७८	१०,२६१
दक्षिण वियतनाम	६,४३७	६,६७१
सीलोन	१०,०००	३,०००
पाकिस्तान	२०,६५७	१४
हांगकांग	१८,५६८	..
अदन	१०,१७८	..
अन्य देश	२३,३२२	१७०
कुल	४,२४,३८४	२,७३,५०१

†मूल अंग्रेजी में

घास अनुसंधान केन्द्र

†४८२. { **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री मुरारका :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि मंत्री संगठन भारत में एक घास अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने में सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा अनुसन्धान की कौन सी मुख्य परियोजनाएं आरम्भ करने की आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख) : दिनांक ६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४९ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि झांसी जिले के भावारी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि पर भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसन्धान संस्थान और कुछ खास खास कर्मचारी वहां रख दिये गये हैं। प्रस्तावित संस्थान के लिये सहायता देने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के अधिकारियों से प्रार्थना की गई है । इस पर अभी विचार किया जा रहा है ।

विचार यह है कि यह संस्थान कार्य कुशल पशु उद्योग के आधार स्वरूप तथा भूमिपरिरक्षण के लिये तथा भूमि के कटाव के लिये, अन्य अनुसन्धान संस्थाओं और राज्य अनुसंधान केन्द्रों में किये जाने वाले प्रत्युत अनुसन्धान के समन्वय के लिये, उन्हीं परिस्थितियों में भार तथा अन्य देशों में सम्बद्ध विषयों पर अनुसन्धान और प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिये भारत में चरागाह और चारा अनुसन्धान के मूल और व्यावहारिक पहलुओं पर कार्य करेगा ।

गेहूं को लोकप्रिय बनाने के लिए बेकरी

†४८३. { **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री राम रतन गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गेहूं को लोकप्रिय बनाने के लिये दक्षिण में बेकरी खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से, ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) नहीं; श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

खनिज अयस्कों के निर्यात के लिए भाड़े में रियायत

†४८४. { **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री बसुमतारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में खनिज अयस्कों के निर्यात पर भाड़े में रियायतें देने के विषय में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रियायतों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या गत वर्ष दी गई रियायतों से निर्यात में किसी प्रकार वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां।

(ख) जैसाकि २७–२–१९६३ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण में पहले ही बताया जा चुका है, १–४–१९६३ से मेंगनीज़ अयस्क के निर्यात पर दी जाने वाली रियायतें संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१४८३/६३']

रेलगाड़ी के इंजनों के लिये स्पीडोमीटर्स का निर्माण

†४८५. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मोहन सिंह }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की वर्कशाप में यात्री गाड़ियों के स्पीडोमीटर्स (रफ्तार दिखाने वाले मीटरों) का निर्माण हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की मासिक उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) क्या इससे रेलवे की मांग पूरी हो जायेगी ; और

(घ) क्या मालगाड़ियों के लिये भी स्पीडोमीटर बनाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) ३० प्रतिमाह ।

(ग) इससे अंशतः रेलों की मांग पूरी हो जायेगी। इसके साथ साथ देश में निर्मित अन्य स्पीडोमीटर भी प्राप्त किये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस बात पर तभी विचार किया जा सकता है। जब कि सारे यात्री गाड़ियों के इंजिनों में स्पीडोमीटर लग जायेंगे तथा देश में काफी मात्रा में स्पीडोमीटर बनने लगेंगे।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विकास बोर्ड

†४८६. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में बनों के फलों और पशुपालन का विकास करने के लिये कोई विकास बोर्ड बनाया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) राज्य सरकारों के परामर्श से जिनसे इस विषय में परामर्श किया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये सलाहकार बोर्ड की स्थापना करने का विचार है।

(ख) राज्य तथा संबंधित व्यक्तियों की प्रतिक्रिया ज्ञात होते ही इस संबंध में निर्णय कर लिया जायेगा।

बीजों के लिये किस्म नियंत्रण

†४८७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीजों पर किस्म नियंत्रण के लिये कोई विधान अधिनियमित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब पुरःस्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस विधान का क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) विधान बनाया जा रहा है। वह १९६४ में लागू किया जायेगा क्योंकि ऐसा विधान बनाने के पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस विधान को लागू करना इस दृष्टि से आवश्यक समझा गया है कि बीज उद्योग का उचित विकास हो वह विशुद्ध और गारन्टी शुद्धा बीज बेच सके।

हवाई अड्डों पर राडार उपकरण

†४८८. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ अप्रैल, १९६३ के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १५७३ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ता के हवाई अड्डों में राडार उपकरण लगाने में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या तीसरी परियोजना के दौरान किसी अन्य हवाई अड्डे में राडार उपकरण लगाया गया है ; यदि हां, तो कहां ; और

(ग) किस मापदंड के अनुसार उनमें राडार संयंत्र लगाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) बम्बई (शांताक्रुज) और कलकत्ता (दमदम) हवाई अड्डों के लिये प्रोसाइनल एप्रोच राडारों के लिये स्थान तथा इमारतों के रूपांकनों का निश्चय कर लिया गया है, तथा इमारतों तथा अन्य सहायक कार्यों के लिये इमारतें तथा अन्य आवश्यक उपकरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा नागपुर में उच्चशक्तियुक्त राडारों की स्थापना की जायेगी।

(ग) बड़े हवाई अड्डों में, जहां कई विमानमार्ग मिलते हैं वहां उच्च शक्ति युक्त सचेतक राडार लगाये गये हैं जिससे कि समस्त विमानमार्गों में विमानों का कुशलतापूर्वक नियंत्रण हो सके ।

डाक तथा तार विभाग की इमारतें

†४८९. { **श्री इम्बीचिबावा :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग द्वारा इस समय विभिन्न आफिस की इमारतों के किराये के भुगतान में प्रतिवर्ष कितना व्यय करना होता है ;

(ख) क्या विभाग के पास डाकखाने तथा टेलीफोन एक्सचेंजों के निर्माण करने के लिये कोई अपनी योजना है ;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में कितना व्यय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) रु० ९२३४७०१.०९ न० पै० ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). तीसरी योजना में ७.२० करोड़ रुपयों की लागत से टेलीफोन एक्सचेंज, डाकखाने और रेलवे डाक सेवा भवन बनाने की योजना है । इसमें से ४.२० करोड़ रुपये टेलीफोन एक्सचेंजों तथा ३ करोड़ रुपये डाक तथा रेलवे डाक सेवा के प्रवर्तक कार्यालयों के निर्माण में व्यय किये जायेंगे ।

सी–आइलैंड कपास की खेती

†*४९०. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तीसरी परियोजना के दौरान सी-आईलैंड कपास की खेती में वृद्धि करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के विस्तृत विवरण क्या हैं ;

(ग) योजना का अनुमानित व्यय क्या होगा ;

(घ) क्या केन्द्र ने योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ङ) राज्य को इस संबंध में कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) इस आठ वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में सी-आइलैंड कपास की खेती का विकास करना है । १९६३–६४ में केरल राज्य के तीन जिलों के अन्तर्गत २५०० एकड़ में सी आइलैंड कपास की एंड्रयूज किस्म की खेती इस प्रकार की जायेगी :—

त्रिचूर . . .	७५०
पालघाट .	१०००
कोज़ीकोड	७५०

(ग) १९६३–६४ से ८ वर्षों के लिये ८४.९९९ लाख रुपये व्यय किये जायेंगे ।

(घ) योजना विचाराधीन है । उसे भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा । तत्पश्चात् भारत सरकार उस पर विचार करेगी ।

(ङ) योजना अभी तक विचाराधीन है । अतः अभी तक इसमें कोई व्यय नहीं किया गया है । तथापि केरल राज्य में १९६०––६३ के दौरान सी-आइलैंड काटन का विकास करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये भारतीय केन्द्रीय कपास समिति ने लगभग ५.०६ लाख रुपये स्वीकृत किये थे ।

दिल्ली दुग्ध योजना

†४९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को १९६१–६२ में ५ लाख रुपये से अधिक की हानि हुई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) १९६२-६३ में कितनी हानि और लाभ हुआ ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) आलोच्य वर्ष में वास्तविक हानि रु० ४१६०६०.२४ न० पै० की हुई। न कि ५ लाख रु० से अधिक की।

(ख) दिल्ली दुग्ध परियोजना में घाटे का मुख्य कारण यह है कि उसमें अभी ७००० मन की संस्थापित क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन होना आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) आलोच्य वर्ष के लेखों को तालिकाबद्ध किया जा रहा है, अतः वे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली परिवहन उपक्रम

†४६२. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम को अपने हाथों में लेने का कार्य स्थगित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को निलम्बित करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को अपने हाथों में लेने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

राज्य परिवहन निगम के केन्द्रीय एकक

†४६३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन उपक्रमों का केन्द्रीय एकक तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा अनुसंधान संस्था स्थापित करने की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं ;

(ख) क्या इन सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय राज्यों से परामर्श ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी हां।

(ग) राज्य परिवहन उपक्रमों का केन्द्रीय एकक तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

१. उक्त एकक की स्थापना १३ अगस्त को एक बैठक में की गयी जिसमें अधिकांश राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित एककों ने केन्द्रीय एकक में शामिल होने की इच्छा प्रगट की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

१. आसाम राज्य परिवहन

२. बम्बई विद्युत् संभरण और परिवहन उपक्रम

३. कलकत्ता राज्य परिवहन उपक्रम

४. दिल्ली परिवहन निगम

५. गुजरात राज्य परिवहन

६. केरल राज्य परिवहन

७. मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम

८. उड़ीसा राज्य परिवहन

९. पंजाब रोडवेज़

१०. उत्तर प्रदेश रोडवेज़

बिहार राज्य परिवहन निगम और मद्रास राज्य परिवहन जो पहिले प्रस्ताव के समर्थक नहीं थे वे इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रहे हैं। अवशेष राज्यों के परिवहन उपक्रमों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

२. केन्द्रीय सड़क परिवहन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था : महाराष्ट्र, गुज पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा आंध्र राज्य सरकारों ने इस संस्था को अपने राज्य में स्थापित करने के लिये अनुरोध किया है। मामला विचाराधीन है।

दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे के कर्मचारी

†४६४. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व अथवा पूर्व रेलवे के द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण से, रेलवे अधिकारियों द्वारा पदोन्नति अथवा चुनावों द्वारा उक्त नीतियों के लिये कुल रक्षित स्थानों को भरने में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने कर्मचारियों को लाभ हुआ तथा द्वितीय और तृतीय श्रेणी से कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई;

(ग) क्या उक्त कर्मचारियों के लिये कुल रक्षित स्थान हर वर्ष भरे गये; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) ४३ अनुसूचित जातियों तथा ५ अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों ने इस अतिरिक्त प्रशिक्षण से लाभ उठाया। उन में से १७ व्यक्तियों की पदोन्नति हो चुकी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का उपलब्ध न होना।

---

†मूल अंग्रेजी में

गेंगमैन द्वारा रेलवे दुर्घटना का रोका जाना

†४६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी नगर स्टेशन के निकट गेंगमैन की सावधानी से एक बड़ी रेलवे दुर्घटना होते होते बच गयी, क्योंकि उसने २९ मई १९६३ को यह देखते ही कि साहूडांगी रेलवे पुल की फिश प्लेटें गायब हैं, निकटतम फ्लेग स्टेशन के प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी;

(ख) यदि हां, तो क्या गेंगमैन को उचित पुरस्कार दिया गया, यदि हां तो कितना; और

(ग) इस त्रुटि को देखने के तत्काल पश्चात् वहां से कौन सी गाड़ी ने कितनी देर बाद गुजरना था ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) २५-५-६३ को एक दुर्घटना होते होते टल गयी ।

(ख) गेटकीपर की पत्नी को, उसकी इन सेवाओं के लिये कि उसने बैनर फ्लेग दिखला कर और डीटोनटर्स रख कर आने वाली गाड़ी को चेतावनी देने में अपने पति की सहायता की, उसे ५० रु० दिये गये हैं ।

(ग) फिश प्लेट और फिश बोल्टों के हटाने की पहिली सूचना १६.५२ बजे, डबग्राम स्टेशन के स्टेशन मास्टर के ध्यान में लायी गयी । तथा संख्या १६६ डाउन यात्री गाड़ी जो उस के तत्काल बाद गुजरनी थी १७.२५ से १७.३० घंटों के बीच उस स्थान से गुजरनी थी ।

भारतीय नौवहन उद्योग

†४९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
डा० रानेन सेन :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय नौवहन उद्योग में अधिक विदेशी पूंजी की भागीदारिता को प्रोत्साहन देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) किसी भारतीय नौवहन समवाय में विदेशी कम्पनी की भागीदारिता का अनुपात २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ४० प्रतिशत कर दिया गया है । तथापि वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा २१ के अधीन समवाय के प्रबंधक व्यक्तियों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :—

(१) वे भारतीय नागरिक निदेशकों की कुल संख्या के तीन-चौथाई से कम नहीं होने चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) निदेशक बोर्ड अथवा प्रबन्धक बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय नागरिक होना चाहिये ।

(३) समवाय का प्रबन्धक अभिकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिये तथा जहां कोई समवाय प्रबन्धक अभिकर्ता हो वहां पर उसे उक्त शर्तें पूरी करनी चाहिये ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

*४६७. **श्री जेना** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के राष्ट्रीय राजपथ के पुलों और पुलियों को मिट्टी सहित पुनर्निमित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बालासोर जिले में कितने पुल बन रहे हैं, और कितनों का पुनर्निमाण किया जा रहा है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ के तीन बड़े पुलों में से वैतरणी का पुल बन रहा है । सालिन्दी और बूढ़ावालंगा में पुल मंजूर हो चुके हैं उन पर थोड़े समय बाद कार्य आरम्भ किया जायेगा । उसी राष्ट्रीय राजपथ पर ४६ में से ४ छोटे पुल बन रहे हैं । अवशेष ४२ में से ३७ छोटे पुलों के कार्य की स्वीकृति दी जा चुकी है । तथा उन पर मानसून के बाद कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

*४६८. **श्री जेना** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ बनाते समय नगरों को छोड़ दिया गया;

(ख) यदि हां, तो नगरों को क्यों छोड़ा गया; और

(ग) क्या मार्ग परिवर्तन के समय राज्य सरकारों की सलाह ली गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय राजपथों से नगर इसलिये हटा दिये जाते हैं कि उन में अधिक भीड़भाड़ न होने पावे । यह आवश्यक है कि नगरों के निवासियों को खतरा पहुंचाये बिना उन राज्य पथों पर निर्विघ्न यातायात होता रहे । इसी प्रकार नगरों को वहां पर भी छोड़ दिया जाता है जहां पर कि राष्ट्रीय राजपथों को चौड़ा करने के लिये भूमि प्राप्त नहीं होती है ।

(ग) जी हां, ऐसा नगरों को छोड़ने के पहिले राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है ।

मर्मागाओ पत्तन

†४६९. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्मागाओ का आधुनिक सुविधाओं से युक्त बड़े पत्तन के रूप में विकास करने की योजना जिससे कि वह बढ़ते हुए यातायात को संभाल सके, का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) क्या योजना आयोग ने उक्त योजना को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). मर्मागाओ के विकास की एक अस्थायी योजना योजना आयोग को भेजी गई है, अग्रेतर अध्ययन करने के पश्चात् ही योजना पर अन्तिम रूप से निश्चय किया जायेगा। ये अध्ययन आरम्भ करने के लिये सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

मसूलीपटनम् पत्तन

†५००. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मसूलीपटनम पत्तन पर एक नया मरण-घाट बनाने और अन्य सुधार निर्माण-कार्य करने का निर्णय किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** आंध्र प्रदेश सरकार से मालूम हुआ है कि कोई नया मरण-घाट बनाने का विचार नहीं है किन्तु तीसरी योजना की अवधि में निम्न कार्य लिये जायेंगे :—

१. एकरेज के लिए फ्लैशिंग बीकन ।
२. नय कटर सकशन ड्रेजर खरीदना ।
३. ग्रोयनस का बनाया जाना ।
४. बार की ओर एक नई चैनल खोदना ।
५. बार के पास स्टैकिंग क्षेत्र बनाना ।
६. नई लोहअयस्क की लदान जैटी बनाना ।
७. चैनल के साथ नई सड़क बनाना ।
८. स्टैकिंग क्षेत्र में बिजली लगाना ।
९. एक नये टग की खरीद ।
१०. वर्कशाप बनाना ।
११. सूखी गोदी बनाना ।

रेलों के लिए कोयला

†५०१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड मध्य प्रदेश की कोयला खानों से रेलवे के लिए कुछ किस्मों का कोयला खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की कोयला खानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसको रोकने के लिए सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे विभिन्न किस्मों को कुछ कोयला मध्य प्रदेश के कोयला खानों से ले रहे हैं। किन्तु बा र के क्षेत्रों के अधिक उत्पादन और परिव न की अधिक सुविधाजनक स्थिति के कारण, सभी उपभोक्ताओं के, जिन में रेलवे भी सम्मिलि त हैं आवंटन बढ़ाने का विचार है, यह बंगाल/बिहार कोयला खानों से कम कोयला लेकर किया जायेगा ।

(ख) जी नहीं, बंगाल/बिहार कोयला खानों से आवंटन की कटौती ५० डिब्बे प्रति दिन होगी जब कि प्रतिदिन की कुल लदान ५,५०० डिब्बे हैं । यह अन्य उपभोक्ताओं के आवंटन में वृद्धि करने से पूरा किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नील गाय की हत्या

+

५०२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री यशपालसिंह :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर में १८ मई को नीलगाय को गोली मार दी गई ;

(ख) गोली मारने का कारण क्या था ;

(ग) गोली मारने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था ; और

(घ) गोली किस कर्मचारी ने मारी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) जी हां।

(ख) अहाते में नील गाय की दूसरी नील गाय के साथ झगड़ते समय टांगे इतनी बुरी तरह से टूट गई थीं कि उनका ठीक होना असम्भव था और उसे बहुत दर्द हो रहा था । योग्य पशु चिकित्सक द्वारा इस केस का भली भांति निरीक्षण किया गया और दर्द से छुटकारा दिलाने के लिये गाय को मार डालना ही उचित समझा गया ।

(ग) और (घ). सुपरिन्टेंडेट, दिल्ली चिड़ियाघर ।

खतरे की जंजीर खींचना

५०३. **श्री बाल्मीकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६३ के अंतिम सप्ताह तक चलती गाड़ियों को जंजीर खींच कर रोकने की कितनी घटनायें हुई हैं ;

(ख) सब से अधिक किस जोन में ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसको रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४५,०२६ ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे ।

(ग) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं की रोक थाम के लिये आम तौर पर नीचे लिखे उपाय बरते गये हैं :—

(१) विद्यार्थियों में अनुशासन और कानून के पालन की भावना पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जाता है और विद्यार्थियों को गाड़ी कंट्रोल कार्यालयों में ले जाया जाता है ताकि वे यह समझ सकें कि खतरे की जंजीर के बेजा इस्तेमाल से गाड़ियों के आने जाने में कितनी अव्यवस्था और रुकावट पैदा होती है ।

(२) समाचार पत्रों और इश्तहारों के माध्यम से और प्रमुख स्टेशनों पर माइक्रोफोन से लोगों को बताया जाता है कि बेजा जंजीर खींचने के क्या परिणाम होते हैं ।

(३) बेजा तौर पर खतरे की जंजीर खींचने के लिये पहले केवल ५० रुपये तक जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब दण्ड बढ़ा दिया गया है जिसके अनुसार जंजीर के बेजा इस्तेमाल करने पर तीन महीने तक की कैद या २५० रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड देने की व्यवस्था है ।

(४) बेजा तौर पर खतरे की जंजीर खींचने के लिये अब अधिक दण्ड देने की जो व्यवस्था की गयी है, उसकी ओर यात्रियों का ध्यान दिलाने के लिये गाड़ियों के डिब्बों में नोटिस लगाये गये हैं ।

(५) जिन इलाकों में खतरे की जंजीर खीचने की घटनायें अधिक होती हैं, वहां इनकी रोक थाम के लिये राज्य सरकारों और राज्य पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से अधिक कारगर तरीके अपनाये गये हैं ।

(६) खतरे की जंजीर खींचे जाने के लिये जो गाड़ियां बदनाम हैं, उनके तीसरे दर्जे के डिब्बों में कुछ खास खास दिन रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी सादी वर्दी में तैनात किये जाते हैं ताकि निर्धारित समय पर उन सभी जगहों और गाड़ियों की नियमित जांच होती रहे जहां खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें अधिकतर होती हैं ।

(७) पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों में जहां खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें बहुत अधिक होती हैं, प्रयोग के रूप में, एक योजना शुरू की गयी है । इस योजना में उन व्यक्तियों को ५० रुपये तक नकद इनाम देने की व्यवस्था है जो अपराधियों का पता लगाने और अदालत में उन पर मुकदमा चलाने में रेल प्रशासनों की सहायता करते हैं ।

(८) जनता को उचित नोटिस देने के बाद कुछ चुनी हुई गाड़ियों के जनाना डिब्बों को छोड़ कर दूसरे डिब्बों में खतरे की जंजीर नाकाम कर दी जाती है ।

चलती गाड़ियों में दुर्घटनायें

५०४. श्री बाल्मीकी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६३ के अन्त तक रेलवे में चलती गाड़ियों में चोरी, डकैती, कत्ल तथा घातक

हमलों की कितनी घटनायें जोन वार घटित हुई हैं ;

(ख) सुरक्षा के लिये क्या सरकारी प्रयत्न किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि इसके लिये रक्षक ही भक्षक बन गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने सुरक्षा कर्मचारी पकड़े गये ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां) : (क) : एक बयान नत्थी है जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल० टी० १४८४/६३]

(ख) अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाना और अपराधियों पर मुकदमा चलाना राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है । अपराधों की रोकथाम के लिये हर समय सरकारी रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क में मिल जुल कर काम किया जाता है और जब कोई गंभीर घटना हो जाती है या जब किसी खास इलाके या गाड़ी में अपराधियों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो उसकी रोकथाम के लिये तुरन्त ध्यान दिलाया जाता है ।

इस सम्बन्ध में रेल प्रशासनों ने भी निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(१) सवारी डिब्बों में सुरक्षा साधनों की व्यवस्था की गयी है ताकि अवांछनीय व्यक्ति अनधिकृत रूप से डिब्बों में न घुस सकें ;

(२) अभी हाल में एक नयी युक्ति अपनायी गयी है । वह यह है कि जनाना डिब्बों में पुश बटन लगा दिये गये हैं जिसको दबाने से गार्ड के कक्ष में और साथ के डिब्बे में घंटी बजने लगती है और जनाना डिब्बे के बाहर लाल बत्ती भी जल जाती है, जिससे यह मालूम हो जाता है कि तुरन्त सहायता आवश्यक है । यह युक्ति कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के जनाने डिब्बों में की गयी है ।

(३) कंडक्टर गार्ड और चल टिकट परीक्षकों को इस बात की हिदायत है कि वे महिला यात्रियों का, खासतौर पर जब वे अकेली यात्रा कर रही हों, विशेष ध्यान रखें ;

(४) ऊंचे दर्जे में यात्रा करने वाली महिलाएं रात में अपने साथ तीसरे दज का टिकट लेकर एक परिचर ले जा सकती हैं ;

(५) लाउड स्पीकरों और नोटिसों द्वारा यात्रियों को जेब कतरों और दूसरे समाज विरोधी तत्वों से सावधान और सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है ।

(६) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने का जुर्माना बढ़ाकर २५० रुपये तक कर दिया गया है ।

(७) इस बात की हिदायत जारी की गई है कि जो गाड़ियां रात में चलती हैं, प्रस्थान स्टेशन पर उत्तरदायी कर्मचारी उनकी जांच करें और यह देखें कि ऊंचे दर्जे के डिब्बों में खास तौर पर महिलाओं के लिये आरक्षित डिब्बों में, कोई आदमी टट्टी या शायिकाओं के नीचे तो नहीं छिपा है ।

(८) रेलवे सुरक्षा दल की खुफिया शाखा को इस बात की हिदायत है कि वह रेलों में अपराध करने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें और इस सम्बन्ध में जो सूचना मिले, उसे सरकारी रेलवे पुलिस को दे दें ।

(९) जिन सेक्शनों में इस तरह के अपराधों की आशंका रहती है, वहां सुरक्षा के लिये गाड़ियों में पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(१०) जिन यार्डों और रेलवे लाइनों में अधिक अपराध होते हैं, वहां गश्त लगाने के लिये रेलवे सुरक्षा दल के हथियारबन्द कर्मचारी रखे जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

मैफलिन सूत्र

†५०५. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित मैफलिन सूत्र जिसके अन्तर्गत गैंग की संख्या निर्धारित की गई है। सब रेलवे में क्रियान्वित किया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो कौन कौनसे रेलवे प्रशासनों ने अभी तक इन्हें क्रियान्वि नहीं किया ; और

(ग) रेलवे बोर्ड का इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाने का विचार है ;

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग) बहुत गम्भीरता से विचार के बाद रेलवे बोर्ड ने संशोधित सूत्र, जिसके अन्तर्गत मेन लाइनों, साइडिंग और यार्डों आदि में गैंगों की संख्या निर्धारित की गयी है। कुछ परिवर्तन के साथ मंजर कर लिया है। सभी रेलों को अगस्त १९६२ में निदेश जारी किये गये हैं कि वे संशोधित सूत्र के अनुसार गैंगों की संख्या निर्धारित करें और धीरे धीरे इनमें समायोजन करें। यह अनुमान लगाना अधिकतर रेलवे पर समाप्त किया जा चुका है और गैंगों की संख्या बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

बेरियम कैमिकल्स लि०

*५०६. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरियम केमिकल्स लि० कोठागुडियम, आंध्र प्रदेश ने मध्य रेलवे प्रशासन से अपने कारखाने के लिए एक साइडिंग के लिए प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब लिया जायेगा ?

***रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव अभी मध्य रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है, जोकि प्रस्तावित लाइन के लिए फर्म की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है।

डीजल इंजन

†५०७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी पर डीज़ल इंजन बनाने के लिए अमेरिका के एलको के साथ सहयोग की क्या शर्तें हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) अन्त में कारखाने की क्षमता क्या होगी ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक विवरण जिस में समझौते की मोटी मोटी बातें और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता बताई गई है, संलग्न है ।

विवरण

समझौते की मोटी मोटी बातें :

फरवरी १९६२ में वाराणसी में स्थापित किये जाने वाले डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल इंजन बनाने में सहायता देने के लिए एक अमरीकी फर्म मैसर्ज़ आलको प्राडक्ट्स इंक से प्रविधिक सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे । समझौते के अनुसार अमरीकी फर्म प्रविधिक जानकारी और सहायता देगी, जिस में नकशे, डिज़ाइन, कारखाने, मशीनरी लेआऊट सम्मिलित हैं और भारत सरकार को डीज़ल इंजनों के निर्माण के बारे में सलाह देगी । इस प्रयोजन के लिए फर्म अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध करेगी और कारीगरों तथा अधीक्षकों के प्रशिक्षण की विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगी ।

प्रारंभिक अवस्था में फर्म पुर्जे और असैम्बलियां अलग की हुई अवस्था में देगी । फ़र्म मशीनरी, संयंत्र और सामान को उपलब्ध करने में भी सहायता देगी, यदि उस से इस बात के लिए कहा गया ।

समझौते के अनुसार प्रत्येक डिजाइन के लिए पिंड राशि देगी । ये इंजनों के मामले में ४० हजार डालर से ५० हजार डालर तक और इंजन के शेष मशीनी हिस्से के लिए २० हजार डालर से २५ हजार डालर होगा । फर्म को एक इंजीनियरिंग फीस और भारत में वास्तविक उत्पादन के अनुसार स्वामित्व दिया जायेगा ।

समझौता १० वर्ष की अवधि के लिए है किन्तु दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है ।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की क्षमता

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का प्रतिवर्ष १५० बड़ी लाइन के डीज़ल बिजली के इंजन बनाने का लक्ष्य है, जिसे भविष्य में २५० तक बढ़ाया जा सकता है । उत्पादन का संभावित पूर्वानुमान इस प्रकार है :

१९६३–६४ . . .	३ इंजनों का आंशिक उत्पादन
१९६३–६४ } १९६४–६५ } . .	१२ डीज़ल इंजनों को जोड़ा जाना और २६ इंजनों का निर्माण ।
१९६५–६६ . . .	५४
योग तीसरी योजना में . .	९५
१९६६–६७ . . .	१०८

नोट : प्रति वर्ष १५० इंजन बनाने अर्थात् १२/१३ प्रति मास का लक्ष्य १९६७ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

†मूल अंग्रेजी में

१५० इंजन प्रति वर्ष के प्रारम्भिक लक्ष्य के उत्पादन को स्थिर करने के बाद यथासमय २५० इंजन प्रतिवर्ष के अन्तिम उत्पादन स्तर तक क्षमता को बढ़ाने और विस्तार करने की विकास योजनाओं पर विचार किया जायेगा ।

सफदरजंग हवाई अड्डे पर ग्लाइडर की दुर्घटना

५०८. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३ फरवरी, १९६३ को दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे में जो ग्लाइडर दुर्घटना हो गई थी उस की जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) उस जांच के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) हादसे की वजह यह थी कि पायलट ने गलती से ग्लाइडर को ज्यादा नीचे उतार दिया और ३६०° का मोड़ इस उम्मीद में लिया कि उस की ऊंचाई काफी है और कोई खतरा नहीं है ।

(ख) क्लबों को हिदायत दी गई है कि वह इस पर खास तौर पर निगरानी रखें कि पायलट कायदों के तहत दी हुई हिदायत की खिलाफ़वर्ज़ी न करें और उन्हें नीचाई से उतरने से रोका जाय ।

ऊसर भूमि का कृष्यकरण

५०९. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि के कृष्यकरण और झाड़ी-जंगल को साफ कर के किसानों को बसाने की जिन योजनाओं पर पत्र व्यवहार चल रहा था उन के बारे में अब तक क्या ठोस प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : राज्य सरकार ने इस योजना के दो भाग कर दिए हैं । पहले भाग में भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत भूमि-सुधार के लिए आर्थिक सहायता देना है और दूसरे भाग में पुनः स्थापन योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापन के लिये सहायता देना है । संशोधित योजनाएं अभी विचाराधीन हैं । जहां संभव है वहां झाड़ी-जंगल वाले क्षेत्र को सुधारने के लिए भी भूमि-सुधार योजना का उपयोग किया जायेगा । योजना के खर्च में राज्य सरकार कमी नहीं कर सकी ।

रेगिस्तान में वनस्पति

५१०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर ने विश्व के विविध रेगिस्तानी इलाकों से भिन्न भिन्न पेड़, पौधे और वनस्पतियां एकत्र की हैं और उन पर प्रयोगात्मक परीक्षण किया जा रहा है ;

(ख) क्या किसी विदेशी पेड़, पौधे या वनस्पति को भारतीय रेगिस्तानी इलाकों में अपनाने की कोई संभावना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विवरण सहित उल्लेख करें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इकैलिपटस की ६८ किस्में, अकेसिया की ४० किस्में, विविध पड़ों की ६२ किस्में जिन के नाम ये हैं :—कैसुआरिना, कुपरेसस, कैसिया, डोडोनिया, अट्रिपलैक्स, एलीगनस, पीनस, सैलटिस आदि संसार के विभिन्न समान जलवायु वाले शुष्क प्रदेशों से लाई गई हैं। घास और फलियों की २० किस्मों का परीक्षण हो रहा है । बाजरे की १६ किस्में और अन्य फसलों की ६४ किस्में भी विदेश से लाई गई हैं । इकेलिपटस की एक किस्म और एक किस्म एकासिया की चुन ली गई हैं और पश्चिमी राजस्थान की वन भूमि में लगाई जा रही हैं । घासों में पैनीकम कोलोरेटम की केवल एक किस्म बची है । "घना" नामक बाजरे की एक किस्म सफल रही है ।

केरल के लिए शक्तिचालित हल

†५११. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केरल के पेकेज कार्यक्रम के क्षेत्रों में प्रयोग के लिए शक्ति चालित हलों (छोटे ट्रेक्टरों) की मांग की है ।

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) केरल सरकार ने जापान से ९ छोटे ट्रेक्टर खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की प्रार्थना की है । ये राज्य के ९ जिलों में से प्रत्येक जिले में प्रयोग किये जायेंगे और केवल पैकेज कार्यक्रम जिले में नहीं ।

(ख) जब जापान से इन के आयात के लिये येन विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जायेगी, तो शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

पूर्व-अफ्रीकी पत्तनों के लिए यात्री किरायें

†५१२. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को अफ्रीकी पत्तनों और भारतीय पत्तनों के बीच ले जाने के लिए गत वर्ष किराये ३० प्रतिशत बढ़ा दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार को यात्रियों द्वारा किया जाने वाले विरोध का ज्ञान है ; और

(ग) क्या सरकार मामले पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं । पिछले वर्ष किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई । तथापि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा विदेश जाने वाले भारतीय यात्रियों पर भारतीय मुद्रा ले जाने की पाबन्दी के कारण, सितम्बर, १९६२ से बिना भोजन के बैंक श्रेणी के टिकट देना बन्द कर दिया गया था और सभी टिकटें भोजन के साथ खरीदनी पड़ती थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस के फलस्वरूप २२० रुपये के किराये में ३७ रुपये भोजन के भी जोड़ दिये गये थे । इस के अतिरिक्त, ५ रुपये मोम्बासा पर भरण-घाट देय के रूप में जोड़ दिये गये थे, जिस से कुल किराया २६२ रुपये प्रति यात्री हो गया था । बेक श्रेणी किराये में केवल इस वर्ष १० प्रतिशत वृद्धि की गई है, जिस के फलस्वरूप १ जुलाई १९६३ से प्रति यात्री किराया २८८ रुपये हो गया है । अतः किराये में वृद्धि केवल २६ रुपये है और शेष ४२ रुपये भोजन और भरण-घाट व्यय है ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । शिपिंग कारपोरेशन आफ़ इंडिया लि० द्वारा किराये बढ़ाने के प्रस्ताव की स्वीकृति सब संगत बातों पर विचार करने के बाद दी गई थी ।

पोस्टल सुपरिंटेंडेंट

†५१३. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्टल सुपरिंटेंडेंट सेवा श्रेणी २ और पोस्ट मास्टर सेवा श्रेणी २ को मिला देने का विचार है ;

(ख) क्या प्रारूप भरती नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उस के कारण ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां, एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) नहीं ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के विचार मालूम कर लिये गये हैं और अब मामला डाक तार बोर्ड के सामने रखा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन

†५१४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६३ में लखनऊ में संघ और उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन के लिये राज्यों की योजना पर चर्चा की थी;

(ख) क्या योजना आयोग के कृषि विशेषज्ञों ने देखा कि बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा पैदा की गई सिंचाई क्षमता और इस के उपयोग में बहुत अन्तर था;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकार का ध्यान सामुदायिक विकास, कृषि और सहकारिता विभाग के बीच सहयोग की कमी की ओर दिलाया है;

(घ) क्या यह सुझाव दिया गया है कि कार्यक्रम इन विभागों और पंचायती राज संगठन के गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार और अनुमोदित किये जाने चाहियें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या यह कार्यवाही अन्य राज्यों के सम्बन्धित मंत्रालयों में परिचालित की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां। एक खाद्य और कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के एक केन्द्रीय दल ने २५ मई, १९६३ तक उत्तर प्रदेश का दौरा किया था ताकि राज्य के प्रतिनिधियों से १९६३-६४ के कृषि उत्पादन के कार्यक्रमों का संयुक्त पुर्नविलोकन किया जा सके और इन कार्यक्रमों को प्रभावोत्पादक रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

(ख) नवीनतम अनुमानों के अनुसार यह देखा गया था कि बड़ी और छोटी सिंचाई योजनाओं के द्वारा पैदा की गई ३.५४ लाख सिंचाई क्षमता का उपयोग अभी किया जाना है। इस का कारण आंशिक रूप से सिंचाई नहरों का न होना है।

(ग) दल ने देखा है कि विभिन्न स्तरों—राज्य, प्रादेशिक, जिला-खंड स्तरों पर समन्वय ठीक काम करता नजर आता है। तथापि दल ने देखा है कि सामुदायिक विकास, कृषि और सहकारिता विभागों में समन्वय की कमी है। अधिक समन्वय स्थापित करने के लिये सुझाव दिये गये हैं।

(घ) जी हां। दल ने सुझाव दिया है कि किसी विशेष क्षेत्र का सारा कार्यक्रम साझे तौर पर बनाया जाये।

(ङ) दलों ने विभिन्न राज्यों के बारे में अलग अलग प्रतिवेदन दिये हैं, जो उन्हें आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये गये हैं। तथापि विभिन्न विभागों के बीच अधिक समन्वय और सिंचाई क्षमता का अधिकतम प्रयोग के लिये राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है।

पश्चिमी बंगाल में कृषि उत्पादन

†५१५. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
{ **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की खाद्य उत्पादन क्षमता काफी है, किन्तु आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये राज्य के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता;

(ख) राज्य सरकार को राज्य कृषि विभाग के अविकसित रूप को ठीक करने के लिये क्या पग सुझाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को सहकारी संस्थाओं द्वारा मछली पालन के लिये नदियों और तालाबों के प्रयोग की सलाह दी गई है; और

(घ) कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, और मुर्गी पालन के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिये विकास खंडों का किस हद तक प्रयोग किया गया है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) मंत्री ने कहा था कि कृषि में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी, किन्तु अभी बहुत क्षमता का उपयोग करना बाकी है।

(ख) नालागढ़ समिति की सिफारिश की पुष्टि में यह सुझाव दिया गया है कि कृषि विभाग का दर्जा बढ़ा दिया जाये और अधिक योग्य कर्मचारियों के वेतन क्रम बढ़ा दिये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पंचायतों और सहकारी संस्थाओं द्वारा मत्स्यपालन के लिये तालाबों के प्रयोग का सुझाव दिया गया है ।

(घ) आयोजन और विकास के लिये पश्चिमी बंगाल में खंड अभी एकक नहीं बना । तथापि बीज पैदा करने के फार्मों के प्रबन्ध और छोटी सिंचाई के लिये रुपया खंडों के अरा दिया जायेगा ।

"सूरी ट्रांसमिशन" पर आधारित इंजन

५१६. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरी ट्रान्समिशन के प्रयोगार्थ जर्मनी में जिन इंजनों का निर्माण कराया गया था उन में से कितने भारत आ गये और इन में से प्रत्येक का क्या मूल्य पड़ा;

(ख) इन इंजनों के प्रयोग के क्या अनुभव हैं;

(ग) इन इंजनों के भारत में निर्माण की क्या स्थिति है और वह किस तरह कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) क्या अन्य देशों नें उक्त आविष्कार का लाभ उठाया है और यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी तक भारतीय रेलों को जितने डीजल रेल इंजनों की जरूरत होती रही है वे विदेशों से मंगाये गये हैं ।१९५६ में सूरी ट्रांसमिशन युक्त ७ डीजल हाइड्रालिक रेल इंजनों का आर्डर पश्चिम जर्मनी को दिया गया था। ये सातों रेल इंजन मिल गये हैं । लदान बन्दरगाह पर जहाज तक निःशुल्क प्रत्येक इंजन की लागत ४·५३ लाख रुपयें है ।

(ख) ये इंजन दिल्ली के आसपास शटल गाड़ियों और शंटिंग के काम में इस्तेमाल किये जा रहे हैं । इन का काम सन्तोषप्रद है ।

(ग) जर्मनी से जो रेल इंजन मंगाये गये हैं, उन्हीं इंजनों की तरह के ३० रेल इंजन पूर्व रेलवे के जमालपुर कारखाने में बनाने का विचार है । इन के लिये "पावर पैक" विदेशों से मंगाने का विचार है और बाकी पुर्जे जिन की कीमत इंजन की आधी कीमत से अधिक होगी देश में तैयार किये जायेंगे ।

(घ) अभी तक उपर्युक्त आविष्कार का लाभ किसी और देश ने नहीं उठाया है । लेकिन इस ट्रांसमिशन को अधिक शक्तिशाली इंजन के रूप में विकसित करने के लिये जर्मनी, ब्रिटेन और अमरीका के कुछ प्रमुख डीजल रेल इंजन निर्माता इस में कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं ।

रेलवे लाइनें

†५१७. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कानपुर और बांदा के बीच और बांदा

---

†मूल अंग्रेजी में।

और मानिकपुर के बीच रेलवे लाइनों का बदलने का विचार है, क्योंकि यह बहुत पुरानी हो चुकी हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : कानपुर-बांदा विभाग पर १४० किलोमीटर से २५ किलोमीटर हाल में बदले गये थे, ३७ किलोमीटर १९६३–६४ में बदले जायेंगे और शेष को वर्तमान सामान की स्थिति के अनुसार भविष्य में शनैः शनैः बदला जायेगा ।

बांदा-मानिकपुर विभाग के १०० किलोमीटर पिछले पांच वर्षों में पूर्ण रूप में बदले गये थे ।

सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण

†५१८. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सं० बं० पाटिल : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि विभिन्न अध्ययन दलों ने जिस में बलबंतराय मेहता समिति भी सम्मिलित है सुझाव दिया है, सब सरकारी ऋणों और तकावियों को सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : नवम्बर, १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारिता नीति पर एक संकल्प पारित किया था, कि तकावी और अन्य सुविधायें सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने के लिये ऐसी परिस्थितियां पैदा की जायें कि प्रत्येक किसान ग्राम सहकारी संस्था में शामिल होना लाभप्रद समझे । राज्य सरकारों को नई नीति की सूचना देते समय, यह सुझाव दिया गया था कि साधारणतया, संकट तकावी को छोड़ कर किसानों को सभी सहायता सहकारी संस्थाओं के द्वारा दी जानी चाहिये । यद्यपि कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा करने के लिये कदम उठाये, फिर भी प्रगति अधिक नहीं हुई । अनुभव किया गया कि विभिन्न प्रशासनीय प्रक्रिया सम्बंधी और संगठन संबंधी कठिनाइयों पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है । तदानुसार भारत सरकार ने जुलाई १९६१ में प्रश्न की जांच करने और उपयुक्त प्रक्रिया सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । इसने अपना प्रतिवेदन अगस्त १९६२ में दिया था । इस पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है । आशा है कि निर्णय शीघ्र किये जायेंगे ।

मोटल[1]

†५१९. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राज मार्गों को मोड़ कर मोटलों को मिलाने का है ; और

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में एक राज मार्ग पर नया मोटल खोला गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सरकार कार द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधा के लिए मोटलों की व्यवस्था करना चाहती है, मोटल स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान राष्ट्रीय राज मार्ग का वह स्थान है जो पैट्रोल पम्प और सर्विस स्टेशन

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Motels.

के निकट हो। इस प्रयत्न के लिये राज मार्ग को मोड़ने की आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राज मार्ग का होना ही मोटल की स्थापना के निर्णय में स ायक होता है।

(ख) एक मोटल आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राज मार्ग पर भरतपुर के घाना बनमृग के निकट बनाया गया था जो २६ मई, १९६३ से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है।

टैंकर

†५२०. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी समवाय द्वारा समुद्र पार जाने वाले ५१,८०० टन के टैंकर के निर्माण के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) क्या कुछ कुछ विदेशी समवायों के सहयोग से, समुद्र पार जाने वाले नये टैंकरों का सरकारी उद्योग क्षेत्र में निर्माण करने का विचार किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) यह टैंकर बनाने के लिए जापान में गैर सरकारी क्षेत्र के एक समवाय को मंजूरी दी गई है ;

(ख) हां श्रीमान। भारत के नौवहन निगम का स्थगित भुगतान की शर्तों के आधार पर दो समुद्र पार जाने वाले टैंकर बनाने का विचार है, किन्तु वे इस निर्माण कार्य में कोई विदेशी सहायता प्राप्त करने का विचार नहीं कर रहे। निगम प ले ही जापान के ि ताची जहाज कारखाने में ३३,००० टन का टैंकर बना रहा है।

सीमान्त प्रदेशों में रेलवे लाइनें

†५२१. { **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में सीमान्त प्रदेशों में कितने रेलवे लाइन और बनाने का विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १९६३-६४ में सीमान्त प्रदेशों में ५३.०४ मील रेलवे लाइन खोलने का विचार है।

ऊपरी पुल

†५२२. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२७ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) जो सड़क के ऊपरी पुल राज्य और केन्द्रीय सरकारों की वित्तीय सहकारिता द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाये जाते हैं उनके निर्माण को पूरा करने की क्या प्रक्रिया है ; और

(ख) ऐसे पुलों के निर्माण का कार्यक्रम बनाने या विचार करने की क्या प्रक्रिया है और क्या यह राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) तथा (ख) वर्तमान रेलवे फाटकों के स्थान पर सड़क के ऊपरी या नीचे के पुलों की व्यवस्था करने के बारे में सामान्य नीति यह है कि रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार की निश्चित सिफारिश पर और उन द्वारा बतायी गयी प्राथमिकता के आधार पर, ऐसा निर्माण कार्य हाथ में लेता है। राज्य सरकार या सम्बंधित सड़क प्राधिकार को भी खर्च में अपना हिस्सा अर्थात पुल तक सड़क की ढलान बनाने का खर्च वहन करने के लिए सहमत होना पड़ता है। रेलवे पुल बनाती है और उस तक जाने वाली सड़क राज्य सरकार या सड़क प्राधिकार बनाता है ।

दिल्ली दुग्ध योजना

†५२३. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती सावित्री निगम : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री दिनांक ६ अप्रैल, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना का १६६२-६३ में कितना मक्खन और घी बनाने का लक्ष्य था ; और

(ख) घी और मक्खन बनाने के उपरांत बिना मक्खन वाले दूध का क्या उपयोग किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १६६२-६३ के दौरान १६३ टन मक्खन और १५० टन घी बनाने का लक्ष्य था ।

(ख) बिना मक्खन का दूध बहुत कम मात्रा में बेचा जाता है। ऐसा अधिकांश दूध प्रामाणिक दूध, टोंड दूध, बिना मक्खन के दूध का चूर्ण तैयार करने में प्रयोग किया जाता है।

सब्जियों की खेती

†५२४. { **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० महादेव प्रसाद : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ फरवरी, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सब्जियों की खेती के लिए कितने राज्यों को ऋण या अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) सब्जी के बीज संबर्धन के कार्यक्रम को कितने राज्यों ने आरम्भ किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) आपातकालीन सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के अधीन सब्जी पैदा करने के लिए असम और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों को अल्पकालीन ऋण और राजकीय सहायता दी गई थी। प्याज और आलू पैदा करने के लिए बिहार राज्य को भी ऋण दिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सभी राज्य अलग अलग मात्रा में सब्जियों के बीज पैदा करते हैं। असम पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश प्रशासन के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली। कटराई से सब्जियों के बीज दिये जाते हैं ताकि वे इनका संवर्धन करें। कलियानपुर कानपुर के सब्जी अनुसंधान केन्द्र में पैदा किये गये बीज से उत्तर प्रेरणा ने भी बी संवर्धन का अपना कार्य-क्रम आरम्भ किया है।

वनरोपण

†५२५. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश की सारी भूमि के एक तिहाई भाग में वनरोपण करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना पर कितना खर्च होगा ; और

(ग) यह योजना कब आरम्भ की जाएगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय बन बोर्ड ने १९५२ में सिफारिश की थी कि एक तिहाई भूभाग में वनरोपण किया जाए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बन नीति के अन्तर्गत इसे स्वीकार कर लिया है।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए किये गये कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर बनरोपण आरंभ किया गया है ;

(२) २७५ लाख रुपये के अनुमित व्यय से १,३७,००० एकड़ क्षेत्र में तेजी से पैदा होने वाले वृक्ष लगाने की केन्द्र द्वारा प्रस्तावित योजना को चालू योजना में शामिल कर लिया गया है।

(३) वन महोत्सव में उपलब्ध भूमि में लाखों वृक्ष लगाये जाते हैं।

(४) "खेत" बनरोपण योजना के अन्तर्गत सामुदायिक विकास खण्डों द्वारा गांवों की सामूहिक भूमि में वृक्ष लगाये जा रहे हैं।

(५) अनधिकृत अतिक्रमण को रोकने के लिए बन निधि में संशोधन की आश्यकता है।

(६) बंजर भूमि के बड़े बड़े भागों में बन लगाना और नदी धाटी के जल एकत्र करने के क्षेत्र में बन लगाया जाय।

लक्ष्य प्राप्ति में कितना खर्च होगा इस का अनुमान लगाना संभव नहीं क्योंकि इस में कई योजनाओं का काल लग जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना

†५२६. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में १ जनवरी, १९६० से २१ जुलाई, १९६३ तक कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई ; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस और सोनपुर डिवीजनों में कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अस्सी ।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस और सोनपुर डिवीजनों में निम्नलिखित स्टेशनों पर बिजली लगाई गई है :

बनारस जिला :

अंकुशपुर, बरहज बाजार, दीयार गंज रोड, दोहरी घाट, गाज़ीपुर घाट, घोसी, जखानियां, नन्द गंज, सैयदपुर, भित्तरी, सलीमपुर, सागर पाली, तरौन, भूखमपुर ।

सोनपुर जिला

अमलोटी सरसार, बीदूपुर, भाटपर रानी, चक सिकंदर, दरोडा जंक्शन, देसारी, डिगबाड़ा, गोलदिन गंज, जलालपुर, महाराज गंज, मरहो वरा , भैरवा, मन र रोड, पिपरायच, पररौथ, पचरुखी, सस्यमूसा, सिधवालिया, शाहपुर, पटोरी, सीतालपुर, सा दो बुजरुग, तमकुही रोड ।

१.१.६० से पूर्व

बनारस जिला

इलाहाबाद नगर, औनरी र जंक्शन, आज़मगढ़ जंक्शन, बलिया, वाराणसी नगर, दारागंज, ग्यानपुर रोड, गाज़ीपुर रोड, डिया खास, इंदरा झूसी, खोरासां रोड, माधो सिंह, मंडुआडीह, मोऊ जंक्शन, फैफना, रानी की सिराल, रासदा, रतनपुरा, सारनाथ, वाराणसी ।

सोनपुर जिला

बरौनी फ्लैग, भगवानपुर, बरौनी जंक्शन, धुपड़ा के, कप्तान गंज, छपरा जंक्शन, दीधा घाट, गोरौल, र खुआ, हथुआ, हाजीपुर, जीरादई, महेन्द्र घाट, पालजाघाट, सिवां बाजार, सिवां के, सराय, भीवा जंक्शन, सोनपुर जंक्शन, तुकी, थावे, विद्यापति नगर ।

हवाई यात्रा का किराया

†५२७. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में कितनी बार कलकत्ता-बम्बई, कलकत्ता-दिल्ली और कलकत्ता-गौहाटी का हवाई यात्रा का किराया घटाया या बढ़ाया गया; और

(ख) इस प्रकार किराया घटाने या बढ़ाने के कारण क्या थे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में निगम ने किरायों में निम्नलिखित परिवर्तन किये :—

क्षेत्र	३१-३-६० का किराया	१९६०—६१ को किराये में किया गया परिवर्तन (परिवर्तन की तिथि कोष्ठक में दी गई है)	१९६१-६२ में किराये में किया गया परिवर्तन (परिवर्तन की तिथि कोष्ठक में दी गई है)	१९६२-६३ में किराये में किया गया परिवर्तन
कलकत्ता—बम्बई (सीधे)	२४० रुपये	२६० रुपये (१-११-६०)	२७० रुपये (१-९-१९६१)	कोई परिवर्तन नहीं
कलकत्ता—बम्बई (एन० एम० एस०)	२१६ रुपये	कोई परिवर्तन नहीं	२३० रुपये (१-१०-१९६१)	तदैव
कलकत्ता—दिल्ली (सीधे)	२१५ रुपये	२१८ रुपये (१-११-६०)	२४६ रुपये (१-९-१९६१)	तदैव
कलकत्ता-दिल्ली (रुक कर)	२०५ रुपये	कोई परिवर्तन नहीं	२०८ रुपये (१६-१०-१९६१)	तदैव
कलकत्ता—दिल्ली (एन० एम० एस०)	१९४ रुपये	कोई परिवर्तन नहीं	२०२ रुपये (१-१०-१९६१)	तदैव
कलकत्ता—गोहाटी (एफ—२७)	फ्रेंडशिप सर्विस नहीं	..	९६ रुपये (१६-१०-६२)	तदैव
कलकत्ता—गोहाटी (डी० सी० ३)	८० रुपये	कोई परिवर्तन नहीं	८६ रुपये (१६-१०-६२)	तदैव

किरायों पर बीमा अतिकर के कारण एक ओर के किराये में १ रुपये और वापसी किराये में ४ रुपये बढ़ाये जाने हैं ।

(ख) निगम के वेतन बिल में १९६०-६१ से १ करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण किरायों में परिवर्तन किया गया ।

जरसी बैल

†५२८. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब की पहाड़ियों में बैलों और गायों की नस्ल सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार से जरसी बैल और गायें देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सुअर भी मांगे हैं ; और

(घ) यदि हां तो इस संभरण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ४ जरसी बैल दिये जा चुके हैं और २ दिये जाने हैं । कोई गाय नहीं दी गई ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि अन्य राज्यों में कितने बढ़िया किस्म के सुअर फालतू हैं और उसे कहा गया है कि वे उन से सीधे प्राप्त कर लें ।

रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि

†५२९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि की मांग की है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने यह भी कहा है कि विचाराधीन विवादों के निबटारे के लिए स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए भी कहा है ; और

(ग) इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की महा परिषद् की मई १९६३ में कोयम्बटूर में हुई बैठक में जो संकल्प पारित किया गया था उस की एक प्रति रेलवे मंत्रालय को भी भेजी गई थी । उसमें लिखा था कि रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तदर्थ वृद्धि की जाये ताकि वे जीवन स्तर की गिरती हुई स्थिति को संभाल सकें । संघ ने बकाया विवादों के निबटारे के लिए स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रश्न को रेलवे बोर्ड के साथ हुई सामान्य बैठक में (२३–७–१९६३ को) उठाया था ।

२. जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि यदि १२ महीनों में श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य ११५ से औसतन १० प्वाइंट अधिक रहे तो सरकार को महंगाई में उचित वृद्धि करने के बारे में विचार करना चाहिये । श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य में नवम्बर, १९६० से अक्तूबर १९६१ तक औसतन अंक १२५ रहे अर्थात् ११५ से १० अंक अधिक रहे जिस का वेतन आयोग ने उल्लेख किया था । सरकार ने १-११-६१ से महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी थी और ४०० रुपये मासिक पाने वाले व्यक्ति को भी महंगाई भत्ता दिया गया । महंगाई भत्ते की वृद्धि ने मूल्यों की ७५ प्रतिशत वृद्धि को दूर कर दिया ।

३. वेतन आयोग ने पूरी मूल्य वृद्धि को दूर करने से इन्कार कर दिया । इस दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए कि महंगाई भत्ता मूल्यों में सारी वृद्धि को दूर करने के लिए नहीं है, १९६० में संसद् में बताया गया कि स्थिति का पुनर्विलोकन किया जाये और यदि मूल्यों में निरन्तर १० प्वाइंट वृद्धि हो तो महंगाई भत्ते द्वारा उसे ५० प्रतिशत तक दूर किया जायेगा और अन्य प्रकार की क्षति पूर्ति पर भी विचार किया जायेगा । यदि मूल्य अंक अगले १२ महीने १३५ रहे तो पुनर्विलोकन किया जायेगा । मई, १९६२ से अप्रैल १९६३ तक मूल्य अंक १३१–२५ रहे हैं अतः महंगाई भत्ते में और वृद्धि आवश्यक नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

४. बकाया विवादों के निबटारे के लिए स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना के प्रश्न के संबंध में यह है कि रेलवे की स्थायी वार्ता व्यवस्था योजना में तदर्थ न्यायाधिकरण का उपबन्ध है जिसे ऐसे महत्वपूर्ण विवाद भेजे जा सकते हैं जिनका फैसला न हो सका हो। अतः स्थायी न्यायाधिकरण की आवश्यकता नहीं।

किसानों को ऋण

५३०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसानों को कर्जा सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए कोई योजना बनाई जा रही है ताकि वे अपने कार्य भली प्रकार चला सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विस्तृत विवरण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कोआपरेटिव से कर्जा लेने में और तकावी से कर्जा लेने में सूद की दरों में अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस भिन्नता को दूर करने के लिये कोई सूद की समान दरें निर्धारित करेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) व (ख). चूंकि एक योजना पहले से ही चल रही है इसलिए कोई नई योजना नहीं बनाई जा रही है। सहकारी उधार समिति की सिफ़ारिशों पर सेवा सहकारी समितियों को एक मुश्त अनुदान देने की एक योजना १९६२-६३ में चलाई जा रही है। इस योजना के अधीन सेवा सहकारी समितियों को एक मुश्त अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान उक्त समितियों द्वारा किसानों को कृषि उत्पादन के लिए दिये जाने वाले ऋण में हुई उस बढ़ोत्तरी पर आधारित होता है जोकि किसी भी वर्ष में उस से पिछले वर्ष में दिए गए ऋण में हुई हो। यह अनुदान मुख्यतः समितियों को छोटे किसानों, भूमिहीन कृषकों आदि को सदस्य बनाने और उत्पादन की आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें पर्याप्त ऋण सुलभ करने में प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस योजना से छोटे किसानों को कहां तक लाभ पहुंचा है, इस का अंदाजा लगाने के लिए १९६४-६५ में इस का पुर्नविलोकन करने का विचार है।

(ग) जी हां।

(घ) सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर जो व्याज की दर वसूल की जाती है वह विभिन्न कारणों पर आधारित होती है जैसे उनकी अपनी निधि कितनी है, बाजार से कितना ऋण लिया है, निक्षेपों पर कितना व्याज मिलता है, प्रबन्ध पर कितना खर्च है आदि। इसलिए देश भर में सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले सभी ऋणों पर एक समान व्याज की दर निश्चित करना सम्भव नहीं है। फिर भी राज्य सरकारें और सहकारी संस्थाएं समय-समय पर यह देखती रहती हैं कि उनकी व्याज की दरें उचित हैं।

पंचायत संसाधन समिति

५३१. { **श्री मोहन स्वरूप** :
{ **श्री पें० वेंकट सुब्बया** :

†मूल अंग्रेजी में

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की पंचायत संसाधन समिति ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया;

(ख) क्या उपरोक्त समिति ने यह भय प्रकट किया कि राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिये भारी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि पंचायतों अथवा जिला परिषदों के पास धन का अभाव है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि समिति ने राज्य सरकार को सुझाया है कि पंचायतों के साधन बढ़ाने के लिये मालगुजारी का कुछ प्रतिशत पंचायतों को दिया जाना चाहिये और यदि हां, तो इस दिशा में केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० मु० मूर्त्ति) : (क) जी हां । समिति ने १४ से १९ अप्रैल, १९६३ तक उत्तर प्रदेश का दौरा किया ।

(ख) और (ग). जी नहीं । सदस्यों ने पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न वित्तीय पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की थी किन्तु समिति ने इनमें से किसी भी विषय पर निश्चित मत प्रकट नहीं किया था ।

कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

५३२. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैनीताल के तराई के पंतनगर, उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के ५०० एकड़ के फार्म पर एक परीक्षणात्मक केन्द्र स्थापित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के साथ नैनीताल ज़िले के दो विकास खण्ड तथा बदायूं ज़िले के एक विकास खण्ड को सम्बद्ध किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा किन बातों का अध्ययन किया जायेगा; और

(ग) केन्द्र की स्थापना पर कितना रुपया व्यय होगा और यह योजना कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का अध्यापन अनुसन्धगन तथा विस्तार के सम्बन्ध में तेहरा कार्यक्रम है । अनुसन्धान करने के लिये विश्वविद्यालय के प्रांगण में ५०० एकड़ भूमि पर एक विश्वविद्यालय कृषि प्रायोगिक केन्द्र का विकास हो रहा है जहां पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य से समन्वित अनुसन्धान परियोजनायें शुरू की जायेंगी ।

विस्तार के लिये विश्वविद्यालय विशिष्ट कृषि-जलवायु सम्बन्धी क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाले निम्नलिखित ३ विस्तार खण्डों के लिये कार्य करता है :—

१. बदायूं ज़िले में बिसौली खण्ड जोकि मैदानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ।

२. नैनीताल ज़िले में रुद्रपुर खण्ड—जोकि तराई परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है और;

३. नैनीताल ज़िले में रामगढ़ खण्ड जोकि पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि तथा पशुपालन के उन्नत तरीकों को काम में लाने के लिये विश्वविद्यालय विस्तार सेवा उपरोक्त ३ खण्डों के अधिकारियों के सहयोग से कार्य करता है। फिर भी विस्तार खण्ड विश्वविद्यालय के सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत नहीं हैं।

(ख) दूसरी बातों के अतिरिक्त प्रायोगिक केन्द्र निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुसन्धान करेगा :—

१. भू-प्रबन्ध के तरीके

२. फसलोत्पादन के उन्नत तरीके

३. उन्नत कृषि औज़ार

४. उन्नत पशुपालन, जिस में कुक्कट-पालन भी शामिल है।

(ग) प्रायोगिक केन्द्र का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। यह एक लगातार चलने वाली योजना है, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि उस पर कुल कितना खर्च होगा। फिर भी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस केन्द्र पर अनुमानतः ११,२५,००० रुपये खर्च होने की संभावना है।

दक्षिण पूर्व रेलवे में होस्टल

†५३३. **श्री गो० महन्ती :** क्या रेलवे मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में विभिन्न भाषा भाषियों के लिए कितने होस्टल हैं और वे कहां कहां हैं;

(ख) प्रत्येक भाषा भाषी वर्ग के लाभ प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं; और

(ग) क्या होस्टलों के प्रशासन के नियमों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) खड़गपुर में बंगालियों के लिए एक और कटक में उड़िया भाषियों के लिए एक।

(ख) प्रत्येक होस्टल में २८। प्रत्येक में ५० लोग रह सकते हैं।

(ग) प्रत्येक होस्टल एक वार्डन के अधीन है। रेलवे प्रशासन द्वारा बनाये गये नियमों के मुख्य उपबन्धों की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल टी० १४८५/६३]**

पंजाब के लिए चीनी का अभ्यंश

†५३४. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया चीनी का अभ्यंश बहुत कम है; और

(ख) यदि हां तो क्या पंजाब में चीनी का संभरण कम होने के कारण सरकार और अभ्यंश देने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) नहीं श्रीमान्। पंजाब के लिए मासिक अभ्यंश १४,००० टन चीनी है। यह कम बिल्कुल नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान दुर्घटनाएं

†५३५. **श्री बूटा सिंह** :
श्री गुलशन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ६ महीनों में कितनी विमान दुर्घटनाओं का पता लगा है;

(ख) उस के कारण कितने धन की हानि हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). ३१ जुलाई, १९६३ तक के ६ महीनों में भारतीय क्षेत्र में छै दुर्घटनाएं हुईं। तीन विमान चालकों की गलती के कारण हुईं और शेष तीन की अभी जांच हो रही है। धन की हानि की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं। यह एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

पटसन पैदा करने वालों को उर्वरक

†५३६. **श्री त्रिदिबकुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पटसन पैदा करने वालों को उधार उर्वरक देने के लिए इस वर्ष कितनी कुल राशि मंजूर की है और राज्यवार क्या व्यौरा है;

(ख) यह उर्वरक ऋण कैसे और किन अभिकरणों द्वारा बांटे जायेंगे; और

(ग) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों की मांगों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए कोटा निर्धारित किया गया था या केन्द्रीय पटसन समिति की सिफारिशों के आधार पर?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) चालू वित्त वर्ष में अब तक पटसन की फसल पर इस्तेमाल करने के प्रयोजन से उर्वरक खरीदने और काश्तकारों में बांटने के लिए २५,७९,००० रुपये के अल्पकालीन ऋण पश्चिमी बंगाल और बिहार सरकारों को मंजूर कर दिये हैं; राज्य वार व्यौरा नीचे उल्लिखित है :

राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि
पश्चिम बंगाल .	५,००,००० रुपये
बिहार	२०,७९,००० रुपये

(ख) भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये अल्पकालीन ऋणों के वितरण और उपयोग के ढंग के बारे में राज्य सरकारों को कोई विशिष्ट आदेश नहीं दिये गये हैं। कुछ राज्य व्यक्तिगत रूप से काश्तकारों को उर्वरक देते हैं और कुछ नकद रकम देते हैं। राज्य सरकारें उर्वरक सहकारी

†मूल अंग्रेजी में

समितियों अथवा गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा या ज़िला कृषि सम्बन्धी संगठनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से सीधे काश्तकारों को बांटते हैं।

(ग) पटसन की फसल के लिए उर्वरकों के खरीदने और वितरण के लिए अल्पकालीन ऋण भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों से मांगों के आधार पर मंजूर किये गये थे।

दिल्ली में राशनिंग

५३७. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दिल्ली में खाद्य वस्तुओं के लिए राशनिंग प्रणाली चालू करना चाहती है, और

(ख) यदि हां, तो किन खाद्यान्नों का राशन करने की संभवना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे स्लीपर

†५३८. श्री इम्बीचिबावा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और मैसूर से लकड़ी को रेलवे स्लीपर बनाने के लिए उपयोग में लाने की सम्भावना पर सरकार ने विचार किया है: और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) रेलवे पहले ही मैसूर और केरल राज्यों से लकड़ी के स्लीपर मंगवा रही हैं।

(ख) १९६२–६३ में २३ लाख क्यूबिक फुट मैसूर सरकार ने दिये और $^{1}/_{2}$ लाख क्यूबिक फुट केरल सरकार ने दिये।

कोयले का परिवहन

†५३९. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे और कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच कलकत्ता में ११ जून, १९६३ को बैठक हुई जहां कि उद्योगपतियों ने मांग की कि कोयले के शीघ्र परिवहन के लिए १०० टन के पुल की व्यवस्था की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ११ जून को कलकत्ता में जो रेलवे और कोयला उद्योग के प्रतिनिधियों में जो बैठक हुई उसमें केवल कोयला की साइडिंग्स के प्रश्न पर विचार हुआ, परन्तु १०० टन के ब्रिजों की व्यवस्था की चर्चा नहीं की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विमान चालकों का प्रशिक्षण

†५४०. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, १९६३ तक कितने (क) और (ख) विमानचालकों का प्रशिक्षण हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

है ; और

(ख) फलाइंग क्लब में नि:शुल्क उड़ान के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) ८-९-६२ से विमान चालकों की (क) और (ख) लाइसेंस एक के स्थान पर गैर सरकारी विमाचालक लाइसेंस और वाणिज्य विमानचालक लाइसेंस रख दिए हैं। जहां तक प्रशिक्षण विमानचालकों की संख्या का सम्बन्ध है, कई प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न फलाइंग क्लबों में दाखिल होते हैं और इस कालावधि में ३२ विमानचालकों को गैर सरकारी विमानचालक लाइसेंस दिया गया था।

सिविल एवियेशन ट्रेनिंग सैंटर, इलाहाबाद में फलाइंग स्कूल जहां कि वाणिज्य विमान लाइसेंस देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था अब बन्द कर दिया गया है। परन्तु जिन विमान चालकों ने १९६२ में इस संस्था में प्रशिक्षण खत्म किया, उन को उस कालावधि में २० लाइसेंस जारी किए गए। फलाइंग क्लब वाणिज्य विमानचालक लाइसेंस के लिए उम्मीदवारों को लगातार तरीके से संगठित प्रशिक्षण भी देते हैं। परन्तु ५ विमानचालकों को जिन्होंने विभिन्न फलाइंग क्लबों में अपना उड़ान का प्रशिक्षण पूरा किया विहित प्रविधिक परीक्षाएं देने के बाद वाणिज्यक विमानचालक लाइसेंस दिये गये।

(ख) १९६३-६४ में ३० घंटे नि:शुल्क उड़ान की १०० छात्रवृत्तिया प्रत्येक ३ महीने के लिये मंजूर कर दी गई हैं जब कि पहले ५० घंटे नि:शुल्क उड़ान की ६० छात्रवत्तियां प्रत्येक वर्ष मंजूर की जाती थीं।

टैलीप्रिंटर

†**५४१. श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मई, १९६२ से अप्रैल १९६३ की कालावधि में हिन्दुस्तान टैलीप्रिंटर्ज लिमिटेड, मद्रास में कितने टैलीप्रिंटर पुर्जे जोड़ कर संकलित किए ; और

(ख) पुर्जों के देश में निर्माण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती):** (क) मई १९६२ से अप्रैल, १९६३ तक की कावावधि में हिन्दुस्तान टैलीप्रिंचर्ज लिमिटेड में ७५३ टैलीप्रिंटर पुर्जे जोड़ कर संकलित किए गए।

(ख) मई, १९६२ से अप्रैल, १९६३ तक की कालावधि में देश में पुर्जों के निर्माण में २१% की वृद्धि हुई।

बीकानेर स्टेशन

†**५४२. श्री कर्णीसिंह जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर नगर में से जाने वाली रेलवे लाइन के बदलने के सम्बन्ध में विभिन्न प्रस्तावों पर और सड़क पर पुल की व्यवस्था के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** २१-१२-१९६१ को रेलवे मंत्रालय और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बीकानेर में हुई बैठक में बीकानेर और लालगढ़ के बीच लैवल क्रासिंग की प्राय: और आवश्यक बन्द करने पर जनता को होने वाली असुविधाओं

†मूल अंग्रेजी में

को कम करने के प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया गया। अन्त में यह निर्णय हुआ था कि इसका केवल यही हल है कि बीकानेर और लालगढ़ के बीच वर्तमान लैवल क्रोसिंग के स्थान पर सड़कों के ऊपर के पुल बना दिये जायें। लालगढ़ और बीकानेर स्टशन के बीच रेलवे लाइन को बदलने और दोनों स्टेशनों को नए स्थानों पर ले जाने की संभावना पर विचार किया गया और असम्भव लगा। इन दोनों के बीच काहल जिस में दोनों स्टेशन इसी जगह रहेंगे और दोनों में एक 'डाईवर्शन अलाइनमैंट' की व्यवस्था की जाएगी पर भी विचार किया गया था और असम्भव पाया गया।

अन्त में शीघ्र सहायता के लिए यह निर्णय किया गया कि दो सड़कों के पुल---एक बीकानेर स्टेशन के नजदीक और दूसरा हस्पताल रोड पर बनाये जायेंगे।

चूंकि राज्य सरकार ने बीकानेर स्टेशन के नजदीक सड़क के ऊपर का पुल बनाने के लिए डिजाइन के व्यौरे को अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया है यद्यपि कई देर पहले योजनायें भेजी गईं। इसलिए काम शुरू करना सम्भव नहीं हुआ है। जहां तक हस्पताल रोड पर लेवल क्रोसिंग के स्थान पर सड़क के ऊपर का पुल बनाने का सम्बन्ध है और टैक्नीकल विचार करते समय करने पर इस जगह एक छोटा रास्ता (सब-वे) की व्यवस्था करना आवश्यक पाया गया है।

मध्य प्रदेश में विमान सेवाएं

*५४३. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में विमान सेवायें फिर से चाल करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) से (ग). वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ३४(२) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अन्तर्गत १-१२-१९५९ से इण्डियन एयरलाइनज कार्पोरेशन भोपाल में से एक सेवा चला रही थी यह सेवा शुरू से हानि पर चल रही थी और तीन वर्ष चलने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। प्रति वर्ष ८ लाख रुपये की हानि होती थी। अतः केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश को ३०-११-१९६३ से आगे न लागू करने क निर्णय किया। मध्य प्रदेश को इस स्थिति से अवगत किया गया और इस विमान सेवा को चालू रखने के लिए निगम के साथ अर्थसहाय्य का प्रबन्ध करने की सलाह दी गई। चूंकि राज्य सरकार इस प्रबन्ध से सहमत नहीं थी, निगम ने यह सेवा १-४-१९६३ से बन्द कर दी।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समितियां

*५४४. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में १९६२-६३ में कितनी समितियां/अध्ययन दल/अध्ययन टीमें नियुक्त की गईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जिन समितियों/अध्ययन दलों/अध्ययन टीमों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं उन की क्या संख्या है ; और

(ग) ऊपर की कालावधि में उन पर (१) कर्मचारियों के टी० ए०/डी० ए० (२) सदस्यों के टी० ए०/डी० ए० पर कितना व्यय हुआ ।

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मद संख्या	१९६२–६३ में सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा संयुक्त समिति/अध्ययन वर्ग/अध्ययन दल का नाम	प्रतिवेदन प्रस्तुत किया या नहीं	१९६२–६३ में यात्रा भत्ता (टी० ए०) और दैनिच भत्ता (डी० ए०) पर हुआ व्यय		
			कर्मचारियों पर	सदस्यों पर	कुल
१.	श्री आर० आर० दीवाकर के सभापतित्व में ग्राम सभा के काम के सम्बन्ध में अध्ययन दल . . .	हां	१२,२२७.४०	१०,३९७.९०	२२,६२५.३०
२.	श्री के० संथानम के सभापतित्व में पंचायती राज निकायों के संसाधनों और वित्तों सम्बन्धी अध्ययन दल . .	हां	५,०४.००	३,७४१.८०	८,७८१.८०
३.	पंचायती राज संस्थाओं के बजट और लेखा प्रक्रिया के सम्बन्धी अध्ययन दल . .	हां	कोई नहीं	१,३९०.३०	१,३९०.३०
४.	रेलवे, डाक तथा तार विभाग आदि के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सम्बन्ध में अध्ययन दल . .	हां	१,००२.९०	५,१७५.७५	६,१७८.६५

काजू के प्रयोगात्मक फार्म

†५४५. **श्री वारियर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू के प्रयोगात्मक फर्मों को केन्द्रीय सरकार कोई अनुदान देती है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) उन खेतों में क्या काम किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) काजू के उत्पादन में स ायता के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :** (क) से (ग). काजू गवेषणा फार्म केरल राज्य की तृतीय योजना की मांग है। केरल राज्य को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आनेवाली योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मिलती है। केन्द्रीय सहायता इकट्ठे अनुदान के रूप में ही दी जाती है। इन फार्मों में देशी अथवा विदेशी किस्मों के सर्वेक्षण, चुनाव और आरोपण का काम किया जाता है। काजू की कोपलों की रचना सम्बन्धी अध्ययन, एयर लेअरिंग सम्बन्धी और उनकी वृद्धि सम्बन्धी अन्य तरीकों का अध्ययन किया जाता है।

८,००,००० अतिरिक्त एकड़ों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये काजू के विकास के लिये तीसरी योजना की दौरान में १.५० करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों, जिनमें केरल भी है, इस उद्देश्य के लिये विकास योजनायें बन रही हैं। इस के अतिरिक्त गर्म मसालों और काजू के पूर्ण विकास की देखभाल के लिये भारतीय केन्द्रीय गर्म मसाले और काजू सम्बन्धी समिति भारत सरकार के संकल्प के अन्तर्गत बनाई गई है। इस समिति में जिसका मुख्यतया इकैंकुलम भी है १९६२–६३ में काम आरम्भ किया।

डेक यात्री कल्याण समिति

†**५४६. श्रीमती शारदा मुकर्जी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक यात्री कल्याण समिति स्थापित की है ;

(ख) इस सिमिति के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस समिति की रचना कैसी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) : जी हां। डेक यात्री कल्याण समितियां बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नागापट्टिनम के पत्तनों पर स्थापित की गई हैं।

(ख) ये समितियां सभी बोर्ड जलयानों पर डेक यात्रियों के हितों, सुविधाओं की देखभाल करती हैं और विशेष कर :

(१) चढ़ने और उतरने से पूर्व पत्तन पर डेक यात्रियों के हटने का प्रबन्ध करती है ;

(२) उनकी टिकट, परमिट, बीसा और अन्य कागज़ प्राप्त करने में उनकी सहायता और टीका आदि का प्रबन्ध करती हैं ;

(३) सरकारी परिवहन कम्पनियों के सहयोग से परिवहन का प्रबन्ध करती हैं ;

(४) उतरने और चढ़ने की सुविधा के लिये और अनुचित खर्चों से यात्रियों के संरक्षण के लिये उत्तरदायी हैं ;

(५) ये खाली यात्री जलयानों में जाती हैं और किसी कानून की अवहेलना या कोई असंतोषजनक परिस्थिति को मरकेंटाइल मैरीन विभाग के ध्यान में लाती हैं; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(६) उतरे हुए यात्रियों की शिकायतें सुनती हैं और उचित अधिकारियों से उनका हल करवाती हैं ।

(ग) इस समिति की रचना इस प्रकार है :--

		सरकारी सदस्य	गैर सरकारी सदस्य
डेक यात्री कल्याण समिति, बम्बई	.	७	५ (एक संसद सदस्य सहित)
डेक यात्री कल्याण समिति, कलकत्ता	.	६	४ (एक संसद सदस्य सहित)
डेक यात्री कल्याण समिति, मद्रास	.	७	७ (दो संसद सदस्यों सहित)
डेक यात्री कल्याण समिति, नागापट्टिनम	.	७	५ (एक संसद सदस्य सहित)

यंत्रीकृत फार्म

†५४७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सूरत गढ़ फार्म के नमूने पर और अधिक यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना के बारे में सरकार ने स्थान और समय का अन्तिम निर्णय कर लिया है ।

(ख) मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में इसी प्रकार एक फार्म बनान के बारे में क्या नवीनतम स्थिति है ; और

(ग) राजस्थान में जेतसार में दूसरा यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने की दिशा में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) और (ख). वृहद आकार वाले फार्मों सम्बन्धी समिति के विचराधीन यह प्रश्न अभी तक है । राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न स्थानों की उपयुक्तता के बारे में , जिनमें बेतूल जिसा भी सम्मिलित है उक्त समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ग) मशीनों की प्राप्त, आवश्यक भवनों का निर्माण आदि प्रारम्भिक कदम उठाये जा रहे हैं । खरीफ, १९६४ में कृषि कार्य प्रारम्भ करने का विचार है ।

रामगंज मंडी और भोपाल के बीच रेलवे लाइन

५४८. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगंज मण्डी से भोपाल तक रेलवे लाइन बनाने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार ने क्या विचार-विमर्श किया है ; और

(ग) यह लाइन कब तक बन जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) . सवाल ही नहीं उठता ।

†मल अग्रेज़ी में

दूध का भाव

५४९. **श्री श्रोंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध का भाव बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और कब तक ;

(ग) क्या गर्मियों में दूध की कमी के कारण कुछ नकद बिक्री कम की जा रही है ; और

(घ) इस वक्त नकद बिक्री में कितना दूध बेचा जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) : जी नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी हां । कार्ड वालों को दूध पहले दिया जाता है और यदि दूध बच जाय तो उसे नकद बेच दिया जाता है ।

(घ) नकद बिक्री के दूध की मात्रा निम्नलिखित है :—

जुलाई	लिटर	अगस्त (पहला सप्ताह) लिटर
भैंस का दूध . .	१४४०००	३१७०००
गाय का दूध	१०८००	३०००
टोंड मिल्क . .	८६०००	२०४००

खजूर की चीनी

५५०. **श्री श्रोंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जासौर नामक क्षेत्र में खजूर से चीनी बनाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार खजूर के पेड़ों को प्रोत्साहन देने के बारे में क्या कुछ सोच विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि राजस्थान में जासौर नाम का एसा कोई स्थान नहीं है जहां पर खजूर से शर्करा बनाई जाती हो ।

(ख) फिर भी वर्षा ऋतु में हजारों की संख्या में खजूर के पेड़ राजस्थान में उन स्थानों पर लगाये जाते हैं जहां पर भविष्य में इस उद्योग के सुचारु रूप से चलने की संभावना है ।

कृमिनाशक औषधियां

५५१. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास के कीड़ों को मारने के लिये कोई खास दवा का प्रयोग किया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किस-किस किस्म की कपास में कौन-कौन सी दवा का प्रयोग किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कपास की फसल को खराब करने वाले विभिन्न कीड़ों को मारने के लिये कई कीटनाशी औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं।

(ख) कपास की फसलों की खराब करने वाले कीड़ों की मारने के लिये आमतौर से जो कीटनाशी औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनके नाम ये हैं :--

एन्ड्रन, डी० डी० टी, बी० एच० सी०, फोलीडौल, एलड्रिन, डाइलड्रिन और क्लोरडेन इन्हें अकेले या विभिन्न अनुपात में मिला कर प्रयोग में लाया जाता है। इन कीटनाशी औषधियों का प्रयोग अमरीकन और देसी दोनों कपासों पर होता है, किन्तु इनका अमरीकन कपास पर अधिक प्रयोग होता क्योंकि देसी कपास की अपेक्षा अमरीकन कपास पर कीड़ों का आक्रमण अधिक होता है।

शकरकन्द से चीनी का निर्माण

५५२. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में शकरकन्द ने चीनी बनाने का कारखाना चालू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने भी कोई एसा परीक्षण किया है कि शकरकन्द से चीनी बन सके ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) शकरकन्द से शर्करा बनाना खर्चीला समझा जाता है, इस कारण भारत में अभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है ।

भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय

†**५५३. श्री रामचन्द्र बड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर (उड़ीसा) को अमेरीका की ओर से कोई मदद दी गई है अथवा दिये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मदद दी गई है ; और

(ग) क्या सम्पूर्ण रकम एक बार में मिल जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ग). कृषि और टैक्नालाजी के उड़ीसा विश्वविद्यालय की स्थापना २४ अगस्त, १९६२ को हुई थी। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से अब तक अमेरीका सरकार द्वारा निम्नलिखित सहायता प्राप्त हुई है :—

१. उत्कल कृषि महाविद्यालय के ६ कृषि प्राध्यापक और दो पशु चिकित्सा प्राध्यापक उच्तर प्रशिक्षण के लिये मिसौरी विश्वविद्यालय, अमरीका में उच्चतर प्रशिक्षण के लिये भेजे गये थे। कृषि के पांच और पशु चिकित्सा विज्ञान के दो और प्राध्यापक इस वर्ष प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

२. दो विशेषज्ञ—एक कृषि कालेज प्रशासन में और एक कृषि विस्तार सम्बन्धि आजकल विश्वविद्यालय को टेक्नीकल परामर्श दे रहे हैं। नौ अमरीकी विशेषज्ञ और देने की सहमति मिल गई है और वे यथासमय विश्वविद्यालय केम्पस में आयेंगे।

३. उड़ीसा कृषि और टेक्नालाजी विश्वविद्यालय के लिये पुस्तकें और उपकरण प्राप्त करने के लिये २०,००० डालर तक निधि का उपबंध किया गया है।

४. उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त अमेरिका सरकार ने उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालय के विकासहेतु पी० एल० ६६५ और पी०एल० ४८० के अन्तर्गत कतिपय रुपया निधि आवंटित करने का बिचार किया है।

खाद्यान्न

†५५४. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
　　　 श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य से बाहर कितना खाद्यान्न १९६० से अब तक की अवधियों में, प्रतिवर्ष पृथक् प्रथक्, भेजा गया है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के स्टोर्स और केन्द्रीय सरकार के राज्य स्थित भाण्डागारों में खाद्य मंत्रालय के पास उपलब्ध स्टाक यदि कोई कमी हुई तो उसे पूरा करने में पर्याप्त हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को व्यापार खाते में १९६०, १९६१ और १९६२ और २५ मई, १९६३ तक चावल और धान की निम्नलिखित मात्रा भेजी गई थी :—

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (हजारों टनों में)	
	चावल	धान
१९६०	१७८.६	२६८.०
१९६१	१६७.४	२०७.१
१९६२	१७५.८	१३४.८
१९६३ (२५ मई, १९६३ तक)	९३.९	३९.६

उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को चावल और धान का निर्यात २५ मई, १९६३ से रोक दिया गया।

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्टाक डिपो सम्पूर्ण देश में सुविधाजनक स्थानों में बने हुए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य की आवश्यकता पूर्ति उसी राज्य में स्थित डिपो से की जाये। जितनी और जब भी आवश्यकता हो दूसरे डिपो से भी खाद्यान्न भेजा जाता है।

†मूल अंग्रजी में

कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के लिये बसें

†५५५. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता राज्य परिवहन निगम के लिये बसों के क्रय के लिये विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर नहीं की गयी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) जनवरी १९५८ से अगस्त १९६१ की अवधि के लिये सरकार ने २७५ बड़ी बसों के आयात के लिये कलकत्ता राज्य परिवहन निगम को अब तक ८२.८० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूर की है। अगस्त १९६१ से बसें खरीदने के लिये अग्रेतर विदेशी मुद्रा देना सम्भव नहीं था क्योंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति खराब हो गयी थी। तथापि निर्विलम्ब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ बड़ी बसों के आयात सम्बन्धी निगम के अनुरोध पर सरकार द्वारा इस समय विचार किया जा रहा है।

चीनी उद्योग

†५५६. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस देने के लिये सरकार ने निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) नये चीनी कारखाने आरम्भ करने के लिए सरकार को गत एक वर्ष की अवधि में कितने आवेदन पाप्त हुए हैं ; और

(घ) इन आवेदनों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां।

(ख) ५ लाख टन के लिये।

(ग) गत एक वर्ष में १५ आवेदन, परन्तु जुलाई १९६२ से पूर्व ६९ अन्य आवेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) इन पर विचार किया जा रहा है।

यात्री-डिब्बों का वितरण

†५५७. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों म विभिन्न रेलवे खण्डों में, डिवीजन-वार, कितने रेल डिब्बे वितरित किये गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** गत दो वर्षों में विभिन्न रेलवेज को वितरित नये रेल डिब्बों की संख्या दिखाने वाला विवरण संलग्न है। रेल डिब्बे डिवीजन-वार आवंटित नहीं किये जाते। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १४८६/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों को रेलवे रियायतें

†५५८. **श्री बड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों को केवल उनके स्कूलों से घरों तक रेलवे रियायतें दी जाती हैं ;

(ख) विद्यार्थियों को, व्यक्तिगत प्रयोग के लिये, छुट्टियों की अवधि में शिक्षा के लिये यात्रा करने के लिये रेलवे रियायतें क्यों नहीं दी जातीं ; और

(ग) क्या विद्यार्थी 'विद्यार्थी' यात्रा रियायतों को अपने मां बाप के साथ प्रयोग में नहीं ला सकते ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के विद्यार्थियों को उनके घरों से शिक्षा संस्थाओं के स्थानों / परीक्षा अथवा प्रशिक्षण केन्द्रों तक रेलवे द्वारा यात्रा की रियायतें दी जाती हैं ।

(ख) उन विद्यार्थियों को छुट्टियों में शिक्षा के लिये यात्रा करने के लिये जो कम से कम १० का ग्रुप बना कर जाते थे, रेलवे द्वारा यात्रा की रियायतें पहले दी जाती थीं, परन्तु उन रियायतों के साथ-साथ कई अन्य रियायतों को भी आपात की अवधि में रेलवे संसाधन सुरक्षित रखने की दृष्टि से १-१-१९६३ से वापिस ले लिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

चीनी उद्योग को प्रोत्साहन

†५५९. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश में चीनी उद्योग में संकट की स्थिति के निवारण के प्रयोजनार्थ चीनी उद्योग को उत्पादन शुल्क में छूट जैसे कोई प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रोत्साहन किस प्रकार के होंगे ; और

(ग) क्या सरकार का देश के गन्ना उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). आने वाले चीनी मौसम (१९६३–६४) में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग, दोनों को प्रोसाहन देने के प्रस्ताव विचाराधीन है । उन पर निर्णय लिये जाने के पश्चात घोषणा कर दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमरीकी सहायता से गोदामों का निर्माण

†५६०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत में खाद्यान्न के गोदामों के निर्माण के लिये, जिन में १८ लाख टन खाद्यान्न रखा जा सकेगा, भारत सरकार को लगभग २ करोड़ रुपया दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता से खाद्यान्न के कितने गोदाम, राज्यबार बनाये जायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) तथा (ख): अमरीका सरकार ने १०,३४,५०,००० रुपये की पहले आवंटित राशि के अतिरिक्त भारत सरकार को २८ जून, १९६३ को १,८३,१२,००० रुपये की राशि और आवंटित की है, जो पी० एल० ४८० करार के अन्तर्गत आयातित खाद्यान्नों की बिक्री से रुपया निधि में से अनुदान के रूप में होगी, और जो १८,२५,७०० टन की क्षमता के खाद्यान्न के गोदामों के निर्माण की लागत के रूप में अदा होगी। राज्यबार आवंटन जिस में केन्द्रों की संख्या और सम्बद्ध गोदाम की क्षमता भी दिखाई गई है, निम्न प्रकार है :–

राज्य	केन्द्र	क्षमता (टनों में)
१. आंध्र प्रदेश	५	५०,९००
२. आसाम	४	३१,५००
३. बिहार	१२	२,२३,२००
४. गुजरात	३	७२,८००
५. केरल	३	१८,३००
६. मध्य प्रदेश	५	५०,०००
७. मद्रास	२	५०,४००
८. महाराष्ट्र	१०	५,३२,१००
९. उड़ीसा	३	२०,०००
१०. पंजाब	८	४२,५००
११. राजस्थान	५	३६,५००
१२. उत्तर प्रदेश	१८	२,९५,९००
१३. पश्चिम बंगाल	८	३,३०,६००
१४. दिल्ली	३	७१,०००
	८९	१८,२५,७००

†मूल अंग्रेजी में

डीजल इंजनों का आयात

†५६१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शीघ्र ही ३० डीजल इंजनों का आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह इंजन किन लाइनों को आवंटित किये जायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ६२ छोटी लाईन के डीजल लोकोमोटिव्ज के लिये (३० के लिये नहीं) हाल ही में विदेशों में आर्डर किया गया है —२५ के लिये अमरीका में जून ६३ में और ३७ के लिये कनाडा में जुलाई ६३ में आर्डर दिया गया।

(ख) अमरीका से आने वाले २५ छोटी लाईन के डीजल लोकोमोटिव्ज का प्रयोग दक्षिण रेलवे पर गुंताकल घरमावरम–यशवंतपुर भाग में किया जायेगा। कनाडा से आने वाले ३७ लोकोमोटिव्ज का प्रयोग दक्षिण रेलवे के गुंताकल-हास्पेट-गोआ भाग में और पश्चिम रेलवे के कांडला-पालमपुर-फुलेरा भाग में किया जायेगा। इन में से कुछ का प्रयोग पश्चिम और केन्द्रीय रेलवे के रतलाम-माऊ-खंडवा-अकोला भागों में किये जाने की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

दिल्ली जंक्शन में चोरियां

†५६२. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जंक्शन के सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में दीवार में लगी हुई तिजौरी में से २३ दिसम्बर, १९६२ को १८,००० रु० की चोरी हो जाने की खबर छपी थी;

(ख) क्या अपराधियों को खोज कर पकड़ लिया गया है और उन पर मुकद्दमा चलाया गया है; और

(ग) गत पांच वर्षों में रेलवे में रेलवे तिजोरियों में से और तिजोरियों की चोरियां हो जाने की कितनी घटनायें हो चुकी हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। १८८८३.३० नये पैसे की चोरी हुई थी, जिस में ८४५.८० नये पैसे के आकलन पत्र भी शामिल थे।

(ख) दिल्ली की सरकारी रेलवे पुलिस ने मामले की थी जांच की परन्तु वह अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। उस समय से इस मामले को न पता लग सकने वाले मामले के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

(ग)

रेलवे तिजोरियों से चोरियों के मामलों की संख्या ५५

रेलवे तिजोरियों की चोरी के मामलों की संख्या ३

राप्ती नदी पर पुल

५६३. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या २८ गोरखपुर के पास के राप्ती नदी पर पुल के निर्माण की क्या स्थिति है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त पुल कब तक पूरा होने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) पुल के चार मुख्य दरों में से ३ दर डाले जा चुके हैं और ५ निलम्बित दरों में से दो दर डाले जा चुके हैं। चौथे मुख्य दर और तीन निलम्बित दरों को डालने का काम जारी है।

(ख) १९६४ के अन्त तक।

दीवा-उरान-अप्ता लाइन

†५६४. { **श्री दिगे :**
श्री बसवन्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में दीवा–उरान–अप्ता रेलवे लाइन के बारे में कहां तक प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव चतुर्थ योजना की अवधि में दसगांव तक लाईन पूरी करने का है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) दीवा–पानवेल–उरान भाग के कार्य में वर्तमान समस्त प्रगति ४८ प्रतिशत और पानवल–अप्ता भाग के कार्य में ३६ प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) चतुर्थ योजना की अवधि में नई लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्राथमिकता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है । इसलिये, इस बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

चीनी विपणन बोर्ड

†५६५. { **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य सचिव दूसरी बातों के साथ साथ वहां चीनी विपणन बोर्ड के कार्यों का अध्ययन करने के लिये आस्ट्रेलिया गये थे;

(ख) क्या सरकार का विचार उसी प्रकार का एक चीनी बोर्ड भारत में स्थापित करने का विचार था; और

(ग) यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय गोदाम

†५६६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में बन रहे बड़ गोदामों में केवल खाद्यान्न के संग्रह के लिये स्थान का उपबन्ध होगा अथवा रुई एवं नारियल जटा जैसी अन्य वस्तुओं के लिये भी;

(ख) क्या ४००,००० टन की क्षमता वाले ४ बहुप्रयोजनीय गोदाम वर्ष १९६३ में ५ करोड़ रुपये की लागत से बनाये जाने थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब इस योजना का पुनरीक्षण कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस):** (क) खाद्य विभाग द्वारा बनाये जा रहे सभी गोदाम केवल खाद्यान्न के संग्रह के लिये हैं।

(ख) जी नहीं। हमारा कार्यक्रम ४ लाख टन की क्षमता वाले ४ गोदाम बनाने का है जिसके लिये टेंडर मांगें गये हैं और हमें आशा है कि शीघ्र ही आर्डर दे दिये जायेंगे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हुगली में नौपरिवहन

†५६७. **श्री रा० बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि श्री एलन कैमरन के प्रतिवेदन में हुगली नदी नौपरिवहन नहर की समस्याओं को सुलझाने के लिये दिये गये सुझावों को सरकार कहां तक कार्यान्वित करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** अब तक के अध्ययनों के बाद हमारे तकनीकी विशेषज्ञों का यह ख्याल है कि हुगली के वर्तमान स्थान से ऊपर बूम ड्रैजिंग तरीके को अपनाना व्यवहार्य नहीं है। इस प्रश्न पर कि वेला संगम में इस तरीके को अपनाया जा सकता है कि नहीं कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा जांच हो रही है।

कानपुर रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़

†५६८. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ जुलाई, १९६३ को कानपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे संरक्षण बल के सेविवर्ग और रेलवे सेविवर्ग में मुठभड़ हो गयी थी;

(ख) क्या रेलवे संरक्षण बल के लोगों द्वारा, अपने अधिकारी के आदेश पर, एक टिकट कलैक्टर को बेरहमी से पीटा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई इस बारे में जांच की गई है; और

(घ) रेलवे संरक्षण बल के लोगों को मुअत्तिल न करने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सही स्थिति इस प्रकार है कि रेलवे संरक्षण बल के एक वरिष्ठ रक्षक और एक टिकट कलैक्टर के बीच कहा सुनी के पश्चात् उन में और उन के साथियों में मुठभेड़ हो गई जिस के

---

†मूल अंग्रेजी में

फलस्वरूप ४ रेलवे संरक्षण बल व्यक्तियों के और ३ टिकट कलैक्टरों को चोटें आई। इस घटना की प्राथमिक रिपोर्ट से पता चलता है कि मुठभेड़ के समय रेलवे संरक्षण बल का कोई अधिकारी वहां उपस्थित नहीं था।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे संरक्षण बल के ३ सदस्यों को और एक टिकट कलैक्टर को मुअत्तिल कर दिया गया है।

सहकारी समितियों का कार्य

†५६९. **श्री दे० जी० नायक :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों की प्रवृत्ति सहकारी समितियों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के सहकारी समितियों सम्बन्धी अधिनियमों द्वारा विभागीय हस्तक्षेप के लिये काफी शक्तियां दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों को इस बारे में हिदायतें देने का विचार कर रही है कि वह उन अधिनियमों में संशोधन कर के सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम कर दें?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) तथा (ख). जी नहीं।

जब कि कुछ मामलों में राज्य सहकारी संस्थाओं द्वारा पंजीयकों को अतिरिक्त शक्ति दी गई है, सामान्य प्रवृत्ति सहकारी समितियों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की है।

(ग) जी नहीं। वर्ष १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा सहकारी नीति के बारे में पारित किये गये संकल्प के अनुसार भारत सरकार ने पहले ही राज्यों को अपने सुझाव दे दिये हैं। समय-समय पर, जब राज्यों का सहकारी नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव होता है और जब विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्राप्त होता है, तो भी उस मामले पर विशेष सुझाव दिये जाते हैं।

लोअर गजटेड सर्विस के लिये चुनाव

†५७०. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे में ४ अगस्त, १९६३ को लोअर गजटेड सर्विस (इंजीनियरिंग) के चुनाव के लिये एक परीक्षा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो रिक्त स्थानों की संख्या क्या है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये, अलग-अलग, कितने स्थान रक्षित हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) नवम्बर, १९६२ में उत्तरी रेलवे द्वारा लोग्रर गजटेड सर्विस (वर्ग २), असैनिक इंजीनियरिंग विभाग में पदोन्नति के लिये चुनाव का प्रबन्ध किया गया था। जो कर्मचारी विभिन्न कारणों से नवम्बर, १९६२ की लिखित परीक्षा में नहीं बैठ सके उन्हें ४ अगस्त, १९६३ को लिखित परीक्षा के लिये बुलाया गया था।

(ख) वर्तमान और प्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिये २५ नामों की एक तालिका तैयार करने का विचार था।

(ग) कुछ नहीं।

वन सहकारी समिति

५७१. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों में वन सहकारी समितियां बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में बन रही हैं या बनेंगी;

(ग) उन सहकारी समितियों के सदस्य कौन-कौन लोग रहेंगे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं को क्या सहायता प्रदान करेगी?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में वन श्रम सहकारी समितियां गठित की गई हैं। दूसरे राज्यों में भी इस प्रकार की समितियों को गठित करने के लिए प्रोत्साहन देने का विचार है।

(ग) वन श्रम सहकारी समितियों के सदस्य मुख्यतः वन में काम करने वाले लोग जो कार्य-क्षेत्र में ही रहते हैं और थोड़े से सहानुभूति रखने वाले या सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं।

(घ) राज्य सरकारों के वित्तीय सहायता के प्रतिरूप अपने-अपने हैं। केन्द्रीय सरकार पिछड़ी जातियों की कल्याण निधि में से सहायता देती है। पिछड़ी जातियों के सहकारी विशेष कार्यकारी दल ने कुछेक सिफारिशें कीं, जिन पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

घोड़े पालने वाले फार्म

५७२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री २३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में एक अश्व प्रजनन फार्म की स्थापना में इस बीच क्या प्रगति हुई है?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): उत्तर प्रदेश में इस फार्म की स्थापना के लिए स्थान पर विचार किया जा रहा है। फिर भी इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लातूर और मिरज के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

†५७३. **श्री सोनावाने** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रेलवे पर लातूर और मिरज के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : यह परियोजना तृतीय योजना की अवधि में रेलवे के निर्माण/लाइनों के बदलने के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इस भाग के बदलने सम्बन्धी पहली जांच से पता चलता है कि यह परियोजना अलाभकारी होगी और इसलिये प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था।

प्रकाशस्तम्भों के कर्मचारी

†५७४. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार गुजरात क्षेत्र में प्रकाश-स्तम्भों के कर्मचारियों की बकाया राशियां नहीं दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) तथा (ख) १६ व्यक्तियों को छोड़ कर गुजरात क्षेत्र में प्रकाशस्तम्भों के सभी कर्मचारियों के दावों का फैसला हो चुका है। उनमें ८ के बिलों का पूर्व-लेखा परीक्षण हो रहा है और बकाया ८ के बिल महालेखापाल द्वारा वापिस कर दिये गये हैं जो अग्रेतर निरीक्षणाधीन हैं।

उड़ीसा की मिलों को गन्ने का सम्भरण

†५७५. **श्री उलाका** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष उड़ीसा की चीनी मिलों को उपयुक्त मात्रा में गन्ना नहीं मिला ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने की फसल कितनी कम हुई ; और

(ग) वे कौनसी मिलें हैं जिन पर उस कमी का प्रभाव पड़ा; और उड़ीसा की प्रत्येक मिल के अनुसार इस कमी की सीमा क्या थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). उड़ीसा में दी जैपुर शुगर कम्पनी लि० नाम की एक ही मिल काम कर रही है जो रामगाड़ा, जिला कोरापुट में है। इस मिल द्वारा वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ की अवधि में निम्न मात्रा में गन्ना पेरा गया :—

१९६१–६२ . . .	४८,७९९ टन
१९६२–६३	४०,१०९ टन

मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां

†५७६. **श्री अ० ता० विद्यालंकार** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले अक्तूबर, से कुछ महत्वपूर्ण मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने के समय में वृद्धि की जा रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** :(क) तथा (ख). महत्वपूर्ण मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में सफर का कुल समय अन्य बातों के साथ साथ कम से कम निर्धारित समय और अन्य बातों पर निर्भर करता है, जैसे मांग पर विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों की कार्यान्विति के लिये आवश्यक समय/अगले टाइम टेबल में, विभिन्न इंजीनियरिंग फार्मों की कार्यान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनों के लिये ठीक समय का उपबन्ध करने के लिये ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में इस समय निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं होगा कि अगले अक्तूबर से मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के चलने के समय में वृद्धि होगी।

श्री बागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों का विश्वास इस एडमिनिस्ट्रेशन पर से उठ गया है या घट गया है कि गाजियाबाद के किसान चार रोज से लोक-सभा के बाहर यहां दिल्ली में पड़े हुए हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। श्री यशपाल सिंह।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कम सप्लाई

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान... (**अन्तर्बाधा**) अगर सीनियर मेम्बर्स इतना शोर मचाते हैं तो जूनियर मेम्बर्स की मजाल नहीं है कि वे अपनी बात कह सकें।

मैं खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :

"१२ अगस्त, १९६३ से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कम सप्लाई।"

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : दिल्ली दुग्ध योजना...

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न बाद में आयेगा पहले इसे ही जाने दें।

श्री रामसेवक यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसी विषय से सम्बन्धित है।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : वे कह रहे हैं कि प्रश्न हिन्दी में दिया गया है तो उत्तर भी हिन्दी में होना चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां की परम्परा रही है कि अगर प्रश्न याकालिंग अटेंशन नोटिस हिन्दी भाषा में भेजा जाय तो हिन्दी में ही उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसेवक यादव]

यहां पर यह हो रहा है कि यह प्रश्न भेजा गया हिन्दी में और उसका उत्तर दिया जा रहा है अंग्रेजी में। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हिन्दी उत्तर मिलता है लेकिन चूंकि मिनिस्टर साहब हिन्दी नहीं जानते हैं हैं इसलिये वे अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : किसी और मन्त्री से पढ़वा दें... इसका हिन्दी अनुवाद करवा दें। इंग्लिश में तो हमने सुन लिया है।

***खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** ग्रामों में रहने वाले बहु-संख्यक दुग्ध उत्पादकों द्वारा चिलिंग केन्द्रों को पहुंचाया जाने वाला दूध दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा लाया जाता है। इस दूध को प्रासख करके और बोतलों में बन्द करके बांटा जाता है। १२ और १३ अगस्त को भैंस के दूध के जितने ग्राहक थे उनके दूध की मात्रा कम कर दी गयी फिर भी गाय का दूध और टोंड मिल्क पूरा दिया गया। कार्ड वालों को प्रतिदिन जितना भैंस का दूध दिया जाता था १२ अगस्त को उसे घटा कर ७५ प्रतिशत और १३ और १४ अगस्त को ६६ प्रतिशत कर दिया गया।

ऐसा इसलिये किया गया कि उत्पादकों से भैंस के दूध की उपलब्धि कम हुई। अब तक देहली मिल्क स्कीम का यह अनुभव रहा है कि जन्माष्टमी के दिन और उसके एक या दो दिन पहले और पीछे दूध की पर्याप्त कमी रहती है इस कमी का एक कारण तो यह है उत्पादक और दिनों की अपेक्षा इस दिन अपने लिये अधिक दूध रख लेते हैं दूसरा कारण यह है कि उन दिनों मावा की मांग बढ़ जाती है जिसके कारण काफी दूध उसमें खप जाता है और देहली मिल्क स्कीम की सप्लाई में कमी हो जाती है।

इस वर्ष इस कमी का कारण यह भी हुआ कि वर्षा देर से हुई। साधारणतया जून के अन्त में भैंसों में ताजगी आ जाती है। इस वर्ष सूखे के कारण जुलाई के सारे महीने में दूध की उपलब्धि कम हुई। इसलिये त्यौहार के दिनों में होने वाली कमी को दूर करने के लिये पहले से दूध का स्टाक जमा करना सम्भव नहीं हो सका।

६ अगस्त "रक्षा बन्धन" के दिन भी इन्हीं कारणों से दूध की सप्लाई कम करनी पड़ी। १५ अगस्त के बाद दूध लाने का काम विधिवत् जारी हो गया और अब यह आशा की जाती है कि उप-भोक्ताओं को दूध की सप्लाई में कोई कमी नहीं की जायेगी।

†श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या सरकार का ध्यान कभी इस बात की तरफ गया है कि बद-इन्तजामी और लापरवाही की वजह से दूध जैसे पवित्रतम पदार्थ में बदबू पैदा हो गयी है? यदि हां तो इस बदबू को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

†डा० राम सुभग सिंह : चार पांच दिनों में सब कुछ दुरुस्त कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

*श्री अ० म० थॉमस के अंग्रेजी वक्तव्य का हिन्दी रूपान्तर।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं लोक सभा के नियमों तथा कार्यसंचालन प्रक्रिया के नियम संख्या २२२ के अधीन एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस महीने की १७ तारीख को श्री के० दे० मालवीय ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि जैसे ही मेरे विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाये गये मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया इसके पश्चात् ही प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने यह बताया कि न्यायाधीश श्री दास के निर्णय के अनुसार वे दो बातों के लिये अपराधी पाये गये। अतः एक अवांछनीय और भ्रष्ट मन्त्री द्वारा जाते समय ऐसी बातें कहना बहुत अनुचित है। अतः यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इस मामले पर विशेषाधिकार प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जो वाक्य कहा गया है वह इस प्रकार है :—

"जैसे ही मेरे विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाये गये मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया।"

यह वाक्य न तो किसी माननीय सदस्य को उसके कर्त्तव्य से रोकता है और न ही इससे किसी माननीय सदस्य के व्यक्तित्व पर आघात होता है। किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया। तथा कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो कि नियम ३५२ के अन्तर्गत आती है। अतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता है। वस्तुतः यदि उसे ऐसा करने का अवसर नहीं दिया जाता तो सम्भव था कि संसद् सदस्य के रूप में उसकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगता। श्री मालवीय ने यह भी कहा कि वे किसी सदस्य पर लांछन नहीं लगा रहे हैं। मेरे विचार से उनका तात्पर्य उनसे नहीं है। अतः यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : हमें इस विषय का पहिले से कोई पता नहीं है। विधि मंत्री को पहिले से पता था अतः वे तैयार होकर आये हैं। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है अतः इस प्रश्न को कल तक के लिये स्थगित रखा जाये जिससे हम उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दे सकें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जहां तक मुझे स्मरण है यह चर्चा श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने उठायी थी उन्होंने सभा में कुछ समाचार पत्रों की कतरनें प्रस्तुत कीं तथा उनके आधार पर प्रश्न पूछे गये थे। अतः श्री मालवीय ने जो बातें भी कहीं वे उन समाचार पत्रों की कतरनों के बारे में थी। अतः श्री प्र० के० देव का उसके लिये श्रेय लेना उचित नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया के अनुसार जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाता है तो यह देखना होता है कि कितने सदस्य इसके पक्ष में हैं यदि सदस्यों की निश्चित संख्या इसके पक्ष में होगी तभी इस प्रस्ताव को लिया जा सकता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने सदस्य इसके पक्ष में हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरे इन शब्दों पर आपत्ति की गयी है कि जैसे ही मेरे विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाये गये मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही मुझे गृह-मंत्रालय ने ये आरोप लगाये मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया। मैं उन आरोपों को गलत और शरारतपूर्ण समझता हूं। उस समय मुझे लोक सभा के किसी सदस्य का ख्याल भी नहीं था। अतः मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

†**श्री प्र० के० देव** : श्री के० दे० मालवीय ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उनका उद्देश्य किसी सदस्य पर आरोप लगाना नहीं था अतः मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : कल अध्यक्ष महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि यदि सभा माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं होगी तो वे स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बारे में विचार करेंगे। हमने बम्बई में हो रही हड़ताल के बारे में श्रम मंत्री का वक्तव्य सुना है तथा हम उस से संतुष्ट नहीं हैं। हमें ऐसा जान पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले का हल चाहती है लेकिन महाराष्ट्र की सरकार इसे प्रतिष्ठा का मामला बना कर अड़ रही है। अतः अध्यक्ष महोदय के आश्वासन के अनुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हमने आज जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह कल से भिन्न है। आज १० लाख बम्बई के मजदूर हड़ताल पर हैं। यदि ५० सदस्य इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करें तो इस पर चर्चा की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जहां तक पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल का प्रश्न है उस पर श्रम मंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं। हम अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा कर रहे हैं अतः यदि कोई आवश्यक बात हो तो वह उसमें भी कही जा सकती है।

†**श्री नाथ पाई (राजापुर) : पिछली अर्द्धरात्री से बम्बई में जो हड़ताल हो रही है वह साफ श्रम सम्बन्धी विवाद का मामला है।**

दूसरे यह मामला केन्द्रीय सरकार के अधीन आता है क्योंकि गोदी कर्मचारियों पर सरकार का नियंत्रण है।

इसमें सन्देह नहीं कि बम्बई में विधान सभा है तथापि संसद् किसी भी मामले को ले सकती है। हमने यह स्थगन प्रस्ताव इस कारण दिया है कि हमारे विचार से संघ सरकार अपने कर्त्तव्य पालन में असफल रही है। हम वस्तुतः इस आरोप की सभा में चर्चा करना चाहते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि यदि ५० से अधिक सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें तो स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य हो जाना चाहिये।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : यह केवल श्रमिक वर्गों का ही प्रश्न नहीं है अपितु देश की सारी जनता इस से सम्बन्ध रखती है। अतः यह अखिल भारतीय प्रश्न है। वस्तुतः जनता यह जानना चाहती है कि सरकार का इस हड़ताल के प्रति क्या रवैया है अतः ऐसे महत्व के प्रश्न पर स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाना चाहिये।

†**श्री रंगा** (लेनालि) : हम भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यह प्रश्न व्यापक है और न केवल स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखता है अपितु संघ सरकार से भी सम्बन्ध रखता है। अतः संसद् को इस प्रश्न पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बम्बई में चालू हड़ताल है वह कितनी व्यापक है इसका इसी से पता चलता है कि हमारे गृह मंत्री ने और हमारे ला मिनिस्टर ने उस पर बयान दिये। सरकार की ओर से यह तर्क किया जाता है कि डौक वर्कर्स की जो स्ट्राइक चल रही है वह सफ़ाई कर्मचारियों की हड़ताल की हमदर्दी में चल रही है और इसलिए यूनियन सरकार से उसका कोई वास्ता नहीं है, दरअसल सवाल यह नहीं है कि हमदर्दी में वह स्ट्राइक चल रही है या किस कारण से चल रही है, प्रश्न तो सामने यह है कि हड़ताल चल रही

---

†मूल अंग्रेजी में

है, वह व्यापक हो गयी है और उसके और भी बढ़ने की सम्भावना है। अगर वह केवल हमदर्दी में होती तो उसके इस वक्त तक चलने का कोई मतलब नहीं होता था।

दूसरा प्रश्न यह है कि बराबर इस बात की कोशिश हुई कि कोई न कोई रास्ता समझौते का निकाला जाय लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। कल भी मैं ने निवेदन किया और आज मुझे तार मिला है कि वहां पर समझौते के लिए लोग तैयार हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार न तो किसी को पंच मानने को तैयार है और न ही केन्द्रीय सरकार तैयार है। मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस में कौन सी बड़ी बात होगी अगर रक्षा मंत्री को बम्बई भेज दिया जाय जिन्हें कि मजदूर पंच मानने को तैयार हैं और जिन पर कि उनका विश्वास है और इस तरह से वह मामला हल हो सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी स्थिति को बतलाये। आप ने कहा है कि ये सारे मसले अविश्वास-प्रस्ताव में आ सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय का अभाव है। सभी के लिए समय का अभाव है, लेकिन कुछ लोगों के लिए और भी ज्यादा अभाव है। अगर बम्बई की हड़ताल को भी इस अविश्वास-प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया जाये, तो देश की प्रमुख समस्यायें इस चर्चा में स्थान नहीं पा सकेंगी। जब सदन की इच्छा है और पचास से अधिक माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिस से सारा बम्बई सम्बन्धित है—क्योंकि सारे बम्बई में गन्दगी फैल रही है और बढ़ती जा रही है—, विचार करने का अवसर दिया जाये, तो यह उचित ही है कि इस के लिए समय दिया जाना चाहिए।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर): यह कहना नितांत गलत है कि यह प्रश्न केवल महाराष्ट्र राज्य की विधि और व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि ८०० श्रमिक गिरफ्तार कर लिये गये हैं। यह प्रश्न स्थानीय नहीं है। अपितु यह भारत की प्रतिरक्षा नियमों के दुरुपयोग से सम्बन्ध रखता है। वस्तुतः महाराष्ट्र की सरकार ने सभी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया है जिसे केवल केन्द्रीय सरकार ही इस्तेमाल कर सकती है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद् को स्तीफा देना होता है। क्योंकि यह एक निन्दा प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में कुछ नियम हैं जैसे कि एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं लिये जा सकते हैं। जब हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री बागड़ी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर।

श्री बागड़ी: क्या माननीय सदस्य इस किताब को ज्यादा जानते हैं या आप जानते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर। आप बैठिए।

श्री रामेश्वरानन्द: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

श्री रामेश्वरानन्द: एक मिनट में आप मेरी बात सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। आप माफ़ कीजिये। आप बैठिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई की घटना और यहां पर गाजियाबाद के जो किसान आये हुए हैं, इन छोटी छोटी घटनाओं से देश के हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकारों का काम है हालात को सम्भालना। आप से निवेदन है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिये। सरकार हालात को सम्भालने का यत्न करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। आप बैठ जाइये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना आप सुन लें।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

†**श्री त्यागी :** मेरे विचार से प्रक्रिया नियम के उपनियम ४ के अन्तर्गत इसको ग्राह्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो प्रश्न उठाया गया है उस पर अभी भी चर्चा चल रही है और उसका सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर नहीं दिया गया है। अतः उक्त नियम के आधार पर इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री दाजी तथा कई अन्य सदस्यों ने यह कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था। अतः मैं अपना निर्णय दो बजे दूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम संख्या ५६ से ६३ में दिया गया है जब कि अविश्वास प्रस्तावों के बारे में नियम १९८ से १९९ में दिया गया है। दोनों बातों के लिये दो प्रकार के नियम हैं। अतः इस सम्बन्ध में भ्रांति नहीं होनी चाहिये।

श्री रामसेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन सुन लें। मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं।

श्री रामसेवक यादव : श्रीमन्, मैं गाजियाबाद के किसानों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बार बार खड़े होकर सभा के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में गम्भीर आपत्ति है। अब मैं अगला विषय लेता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वणिक नौवहन अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** मैं वणिक् नौवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(एक) दिनांक ४ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६८ में प्रकाशित वणिक नौवहन (समुद्री सेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १४७८/६३]

(दो) दिनांक २२ जून १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३० में प्रकाशित वणिक नौवहन (व्यापारी बेड़े में इंजीनियरों की परीक्षा) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १४७९/६३]

श्री बागड़ी (हिसार) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । क्या यह हमारा प्रिविलेज नहीं है कि हम व्यवस्था का प्रश्न रेज करें ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने दूसरा कार्य आरम्भ कर दिया है । शान्ति, शान्ति । आप कृपया बैठ जाइये । आप कार्य में बाधा डाल रहे हैं । मैं आपका नाम लेकर आपसे कहता हूं कि आप सभा से बाहर चले जाइये ।

इसके पश्चात् श्री बागड़ी सभा से उठ कर चले गये ।

सभापटल पर रखे गये पत्र—जारी

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत, दिनांक ११ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या ८०८ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १४८०/६३]

याचिकाओं का उपस्थापन

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : मैं एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित गोबर गैस के संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

†**श्री दास** (तिरुपति) : मैं भारतीय रेलवे नियम १८९० के अधीन एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षर की गयी याचिका उपस्थापित करता हूं ।

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भूगतान और विनियोजन का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियन सूची तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्वाव—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कृपलानी द्वारा १९ अगस्त को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रकट करती है ।"

श्रीमती सुभद्रा जोशी अपना भाषण आरम्भ करेंगी ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि कल जो बात मैं कह रही थी, इस पर आगे दलीलें दूं, एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । हमारे यहां पर एक माननीय सदस्य डा० लोहिया साहब हैं । वह हिसाब किताब बहुत लगाते हैं हिन्दुस्तान के पैसे का । गरीब लोग टैक्सों के रूप में जो पैसा देते हैं, उसका वह बहुत हिसाब किताब रखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उसको खर्च किया जाता है, कैसे वह खर्च होता है । मेरा खयाल है कि जब वह बोलेंगे तो अपने भाषण में वह बहुत हिसाब किताब सदन के साम रखने वाले हैं । मैं उन से प्रार्थना करूंगी कि वह इस बात का भी हिसाब किताब लगायें कि उनकी पार्टी के लोग सदन का कितना समय खर्च करते हैं जो ठीक नहीं खर्च होता है और उस में टैक्स देने वालों का कितना रुपया रोज जाता है । जमातों के लिए प्रापेगंडा करने की जगह बाहर है । यहां हम लोग जितने पार्लिमेंट के सदस्य हैं, जनता के नौकर हैं, उनकी भाषा में । फिर चाहे वह डा० लोहिया साहब हों या उनकी जमात के दूसरे सदस्य हों, चाहे मैं होऊं या प्रधान मंत्री हों । जनता हमें तनख्वाह देती है और वह हम से आशा करती है, हम से अपेक्षा करती है कि हम लोग यहां आयें और संजीदगी के साथ जनता के प्रश्नों पर विचार करें, कानून पास करें और जो भी

†मूल अंग्रेजी में

काम करें, संजीदगी से करें। अगर हम लोगों में से कोई भी सदस्य या कोई भी जमात अपने प्रचार के लिए इस सदन का एक मिनट भी खराब करती है तो वह जनता के साथ न्याय नहीं करती है, जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मैं लोहिया साहब से दरख्वास्त करूंगी कि आज वह हिसाब किताब लगा कर सदन को यह भी बतायें कि जब से उन्होंने तथा उनकी पार्टी ने यह नई पालिसी अखत्यार की है, यहां हुल्लड़बाजी मचाने की, तब से जनता का कितना पैसा उन्होंने खराब किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रही थी कुछ बातें जनसंघ के बारे में। जो जमातें इस शामिल बाजे में हैं और जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलन्द की है, उनका मैं ज़िक्र कर रही थी। जनसंघ का नाज़ी तरीका है, लोगों को बहकाने का, लोगों को डराने का। कहा जाता है कि ईश्वर गंजे को नाखून नहीं देता। हिन्दुस्तान की जनता इस जमात के हाथ में कभी भी ताकत देने वाली नहीं है। यह जमात हिन्दुस्तान की संस्कृति और धर्म की रक्षा करने वाली अपने को समझती है और बहुत बढ़ चढ़ कर इन बातों का नाम लेती है। चूंकि समय बहुत कम है, इस वास्ते मैं ज्यादा डिटेल्ज़ में जाना नहीं चाहती हूं। मैं एक नमूना आप के सामने रखना चाहती हूं। हमारे देश में भगवे झंडे के प्रति लोगों का बड़ा प्रेम रहा है, बड़ा प्यार रहा है। इस रंग के प्रति उनका इतना आदर रहा है कि अगर हिन्दुस्तान में किसी ने भगवा रंग देख लिया, तो उसके सामने अपना सिर झुका दिया। भगवा रंग त्याग और तपस्या का रंग रहा है। लेकिन जब से इस जमात ने उस रंग को तथा उसके झंडे को अपनाया है, जनता के अन्दर नफरत फैलाई है, भाई भाई और पड़ौसी पड़ौसी को अलग अलग कर दिया है, जब से इस जमात ने इस रंग को ले कर ह्यूमन वेल्यूज़ को चेंज कर दिया है, जब से उस ने यह कहना शुरू कर दिया है कि जो सब से ज्यादा मारता है वह सब से ज्यादा बहादुर है, जो सब से ज्यादा लूटता है, सब वह से बड़ा हीरो है, तब से इस रंग को देख कर लाखों मातायें अपने बच्चों को आंचल में छिपा लेती हैं। उस रंग की आज यह हालत हो गई है। ईश्वर न करें, कभी इनके हाथ में ताकत आ जाये, तो नामालूम ये क्या करने वाले हैं।

कल जब मैंने बहुत सी बातें बताईं तो इस दल के सदस्यों की तरफ से कहा गया कि आर्गेनाइज़र हमारा अखबार नहीं है। आज उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका मैनिफैस्टो अपने साथ लाई हूं और उस में से कुछ बातें आप के सामने रखना चाहती हूं। उन का जो आर्थिक कार्यक्रम है, वह नैशनलाइ-जेशन के खिलाफ है, कैमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के खिलाफ है। बी० सी० जी० वैक्सीन अगर बनेगा तो एक स्पैशल कमेटी बनाई जायेगी जो तय करेगी कि वह ठीक है या ठीक नहीं है। आयुर्वेदिक सिस्टम को नैशनल सिस्टम बनायेंगे, दूसरे सिस्टम बन्द कर देंगे। कार्यक्रम में सब से बड़ा जो कार्यक्रम है वह है सारे नान-हिन्दूज़ को नैशनलाइज़ करने का, सभी जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, उनको नैशनलाइज करने का। उन की जो वालेंटीयर कोर है, आर० एस० एस० उसके कहने के मुताबिक ईसाई, पारसी, यहूदी, मुसलमान आदि हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं। जनसंघ का कहना है कि नान-हिन्दूज़ को नैशनलाइज़ करेंगे। मैं आदरपूर्वक मसानी साहब से पूछना चाहती हूं, मुस्लिम लीग के भाइयों से पूछना चाहती हूं कि इस शामिल बाजे में शामिल होने से पहले क्या उन को नैशनलाइज़ कर लिया है बड़े साहब ने ? किस तरह से वे कर लिये गये हैं क्योंकि वे हिन्दुस्तान के नागरिक नहीं हैं, इन लोगों के कहने के मुताबिक।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

अब मैं कृपलानी जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। उन्होंने गांधी जी को कोट किया है। मैं भी सोच रही थी कि गांधी जी को कोट करूं, पर उन के कोट करने के बाद मैं ने यह विचार

छोड़ दिया। मुझे याद आ गया कि अंग्रेज़ी की एक कहावत है : "डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स"। मैं उसी को कहना चाहती हूं। मालूम नहीं वह पार्लियामेंटरी है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन के गांधी जी के कोट करने के बाद मैं ने गांधी जी को कोट करने का विचार छोड़ दिया। उन्होंने करप्शन की बात कही। वे बुजुग हैं, मैं इस में नहीं जाना चाहती कि वे किस तरह से कश्मीर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इजाजत के बिना चले गये। वहां क्या कर के चले आये यह मुझे कश्मीर के लोगों ने बतलाया। लेकिन मुझे इस का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है। मैं आचार्य जी से आदरपूर्वक पूछना चाहती हूं कि अमरोहा में क्या सैंकड़ों कायकर्ता खादी भंडार के नहीं थे ? खादी भंडार सरकारी संस्था नहीं है लेकिन एक खास कार्य के लिये चलाई गई है, एलेक्शन लड़ने के लिये नहीं है। सैंकड़ों वर्कर्स आये और कई हफ्ते वहां बैठे। मैं आदरपूर्वक पूछना चाहती हूं कि क्या वे छुट्टी ले कर आये थे, क्या प्रिविलेज लीव ले कर आये थे, क्या कैजुअल लीव ले कर आये थे ? उन को जो इतनी छुट्टी मिली क्या वह उन को हर साल मिलने वाली छुट्टी है ? मैं यह बतलाना चाहती हूं कि मेरे पास कई कायकर्ता आये और ज़ार ज़ार रो कर कहने लगे कि हमें दो रोटी के टुकड़ों के लिये इस काम के लिये मजबूर किया जा रहा है। जो यहां पर उन की जमात के लोग हैं उन की बात नहीं कहती लेकिन जो दूसरे एम्प्लायीज हैं उन की बात कहती हूं। खादी भंडार के लोगों ने कहा कि वे एक एक तार कात कर जिस खद्दर के झंडे को बनाते हैं, कांग्रेस के झंडे को, जिस को हम लोग खरीद कर लेते हैं, दो रोटी के टुकड़ों के लिये उन को मजबूर किया जा रहा है कि वे उस को अपने पैरों के नीचे रौंदें। और उस पर साइकिल का झंडा लगायें। यह मैं वहां के एम्प्लायीज की बात कह रही हूं।

एक माननीय सदस्य : कृपालानी जी का झंडा क्या था ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : उन्होंने कहा कि हम नौकर हैं। हमारा दिल रोता है। हम ने अपनी जिन्दगी का बेहतरीन समय गांधी जी का नाम ले कर बिताया है, कांग्रेस का नाम ले कर बिताया है। उन्होंने कहा कि आज हमारा दिल रोता है जब हम को नौकरी के लिये मजबूर किया जाता है कि हम गांधी जी के हत्यारों के साथ मिल कर काम करें। वे जार जार रोते थे। मैं करप्शन की बात करने वालों से पूछना चाहती हूं. . . .

श्री कृपालानी : क्या मैं इस विषय पर कुछ कह सकता हूं ?

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इस वक्त आचार्य जी सरकार में नहीं हैं। एक छोटी सी जमात उन के नीचे है, खादी भंडार। अगर उस के कमचारियों को इतनी बड़ी तादाद में वहां डाला जा सकता है कि वे जायें और एलेक्शन के लिये काम करें तब अगर कल हमारी सरकार को करप्ट साबित कर के वह और उन के साथी कुर्सी पर आ जायेंगे तब जनता को देखना चाहिये कि क्या होने वाला है।

†**श्री कृपालानी** : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। क्या मुझे एक गलत बयान को ठीक करने का हक नहीं है ?

†**सभापति महोदय** : उन्हें अपना भाषण समाप्त कर लेने दीजिये।

---

†मल अंग्रेजी में

श्रीमती सुभद्रा जोशी : अब मैं आप के सामने एक दूसरी जमात की बात रखना चाहती हूं। मसानी साहब ने बड़े दर्दनाक शब्दों में बात शुरू की और शुरुआत ऐसे की जैसे कि उन की शिकायत कांग्रेस सरकार से यह है कि कांग्रेस सरकार ने समाजवाद का नाम लिया तो मगर समाजवाद ला नहीं रही है। उन्होंने अपना भाषण ऐसा दिया जैसे वे समाजवाद के बड़े हामी हैं। मुझे आप से अदब से अर्ज़ करना है कि उन की स्पीच के आखीर में जाकर साफ हो गया कि समाजवाद की वकालत से उन्होंने शुरू किया और बाद में प्राइवेट एंटर्प्राइज़ पर पहुंच गये। सब चीज साफ हो गई फिर भी मुझे कहना है कि यह जमात टैक्सों का नाम ले कर, हाउस के अन्दर और हाउस के बाहर गरीबों का नाम ले कर, बेरोजगारी का नाम ले कर पुराने राजाओं और महाराजाओं को और उन की सत्ता को वापस लाना चाहती है। मैं आचार्य जी के आचार्य को कोट करना चाहती हूं। आचार्य जी के आचार्य राजा जी (**अन्तर्बाधा**) उन्होंने "स्वराज्य" में कहा :

> "वंशानुगत सिद्धांत ऐसे महत्वपूर्ण आदर और सम्मान के पदों के लिए उपयुक्त होगा, यद्यपि इन के राजनैतिक अधिकार नहीं होने चाहियें।"

इस में कोई शुबहे की बात नहीं रहती। आज भी टैक्सों का नाम लेते हैं कि टैक्सों से हिन्दुस्तान को छुट्टी नहीं मिली। पन्द्रह वर्ष में सरकार ने जनता की तरक्की नहीं की है। समाजवाद नहीं आया है। यह लोग उसे डिफेन्ड करने के लिये आ रहे हैं। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार को तो पन्द्रह वर्ष ही हुए। राजा महाराजा तो हजारों वर्षों से इस देश में राज्य करते थे, अंग्रेजों के आने से पहले भी राज्य करते थे। आज वे डिफेन्स की बात हम से कहते हैं, हालांकि सन् १९६० में राजा जी ने कहा था कि कांग्रेस गवनमेंट वार साइकोसिस क्रिएट कर रही है। अंग्रेज हिन्दुस्तान में आये तो वे सिर्फ व्यापार करने आये थे जिनकी मदद से स्वतंत्र पार्टी लोग आज हिन्दुस्तान के डिफेंस की बात करते हैं उन्होंने आपस में लड़ लड़ कर, झगड़ झगड़ कर अंग्रेजों का उस समय साथ दिया और हिन्दुस्तान को गुलाम बना दिया। क्या आज हिन्दुस्तान की जनता इस तरह के लोगों के हाथों में हिन्दुस्तान की आजादी की रक्षा सौंपने वाली है? आज गरीबी की बात करके वे कहते हैं कि हम हिन्दुस्तान की जनता को टैक्सों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। लेकिन वे कुछ भी नहीं दिलायेंगे। आज भी हिन्दुस्तान के कोन कोने में लोग घूमते हैं, जहां पर लोगों के हाथ तुड़वा दिय गये, झोपड़ी उड़ा दी गई, जला दी गई, झोपड़ी की इज्जत उतार ली गई। वह लोग जो टैक्स लेते थे या नहीं लेते थे मगर गरीब की सारी कमाई उठाकर ले जाते थे, आज मैं आप से निवेदन करना चाहती हूं कि वे रोजगार के लिये आज उन के अन्दर दर्द है, गरीब के लिये उन के हृदय में दर्द है, कहते हैं कि हिन्दुस्तान की जनता से वे कोई टैक्स नहीं लेने वाले हैं, कभी लिया नहीं उन्होने, लेकिन आज जो बड़े बड़े ताजमहल हैं, लाल किला है, जयपुर के महल, अजमेर के महल, जयपुर का राम बाग हैं, यह सब कैसे बने हैं, यह मैं आप से पूछना चाहती हूं। हम ने तो कभी इन में से किसी को काम करते नहीं देखा, कभी किसी के हाथ में छाले पड़ते नहीं देखे। क्या यह मजदूरी किया करते थे, क्या यह टोकरी उठाया करते थे, क्या यह कारखानों में काम करते थे? आखिर कौन सी धन दौलत से यह महल बनाये गये हैं? यह सब किस के धन और दौलत से हुआ है? यह हिन्दुस्तान के गरीब किसानों और मजदूरों की पसीने की कमाई है। इस लिये आज जब यह लोग कहते हैं, जिस तरह से आचार्य कृपलानी ने कहा, कि हम जनता के लिये कर रहे हैं, मैं पीपल के लिये कह रही हूं, मैं हिन्दुस्तान की जनता के लिये कह रही हूं मैं भी पीपिल से कह रही हूं कि मत धोखा खाओ इन आंखों में आंसू देख कर, वे हिन्दुस्तान की गरीब जनता के लिये नहीं हैं, वे अपनी खोई हुई सत्ता को वापस लेने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

मेरा तो यही निवेदन है, सभापति महोदय, कि ये लोग हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवाद नहीं चाहते। रंगा जी ने बार बार इस सदन में कहा है कि इस समाजवादी प्लान को बिल्कुल हटा देना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये स्क्रैप कर देना चाहिये, हिन्दुस्तान के अन्दर समाजवाद नहीं चल सकता। स्वतन्त्र पार्टी को समाज वाद नहीं चाहिये। जनसंघ को फरटीलाइजर नहीं चाहिये। खाद नहीं चाहिये, पुराने तरीके चाहिये, उनको मैशिनरी नहीं चाहिये। ये चीजें उनके मैनीफेस्टों में कही गयी हैं।

एक माननीय सदस्य : हाथों में छाले पड़ गए मालूम देते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपके मुंह में छाले नहीं पड़ गये यह बोलते हुए।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : तो इस तरह के प्रोग्राम लेकर ये लोग आपस में शामिल हुए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था, अब उनका अलग अलग बाजा नहीं बज सकता तो वे शामिल हो कर बाजा बजाते हैं। अगर आज उनसे अलग अलग बजाने को कहा जाये तो उनका बाजा नहीं बज सकेगा।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस में अलग अलग बाजा बज रहा है।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : इसमें सभी शामिल हो गये जिनका बाजा बजता है और जिनका नहीं बजता वे भी। कोई खाली बिगुल ले कर खड़ा हो गया। सदन ने यह कानून बनाया है कि इस तरह के प्रस्ताव के लिये कम से कम ५० वोट चाहिये। किसी तरह से उन्होने इतने वोट जमा किए और शामिल हो कर खड़े हैं। यह सब हिन्दुस्तान की जनता को धोखा देने के लिये है। मैं आप से प्रार्थना करूंगी और कहूंगी कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करें और इस प्रताव को अस्वीकार कर दें।

†**आचार्य कृपालानी** : श्री मान्, यह एक संस्था पर आक्षेप है और मुझे गांधी आश्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी जाये।

†**सभापति महोदय** : क्या इसमें अधिक समय लगेगा ?

†**आचार्य कृपालानी** : नहीं।

गांधी आश्रम एक ऐसी संस्था है जो खादी पैदा करती है। इस संस्था का सदस्य बन कर वे अपने नागरिक अधिकार खो नहीं बैठते और मैं उन को राजनीति में भाग लेने की अनुमति देता हूं, क्योंकि यह आश्रम राजनीति के लिये ही स्थापित किया गया था। गांधी आश्रम के कुछ सदस्य सरकार के सदस्य हैं। गांधी आश्रम के सचिव पिछले १० वर्षों से कांग्रेस के टिकट पर खड़े होते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं। उन के निर्वाचन-क्षेत्र में गांधी आश्रम के लोगों ने काम किया था। इलाहाबाद में उन्होंने प्रधान मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में काम किया था। अतः उन्हें भारत के नागरिक के सब अधिकार हैं और यदि वे एक भी व्यक्ति ऐसा पेश कर सकें, जो कहे कि उसे मेरे लिए काम करने के लिये बाध्य किया गया था, तो मैं अपने स्थान से पदत्याग दे दूंगा। मेरी पत्नी को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंडसौर) : मैं श्री कृपालानी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने जो भाषण किये हैं, उन में उन्होंने कहा है कि कई मामलों पर विरोधी पक्ष के सदस्य एक नहीं हैं परन्तु यह समझ लेना चाहिये कि कई अन्य मामलों पर उन्होंने एक से विचार व्यक्त किये हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि मुझे आज प्रधान मंत्री से कहना पड़ रहा है कि उन्हें अपना पदत्याग देना चाहिये। इस बात की आड़ नहीं ली जा सकती कि उन के जाने के बाद या कांग्रेस दल के जाने के बाद या वर्तमान मंत्रिमंडल के जाने के बाद क्या होगा ? क्या देश में योग्य व्यक्तियों की कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

है जो इन का स्थान लेंगे ? मंत्रिमण्डल राष्ट्र के लिये है, यदि राष्ट्र कहे कि आप चले जांय, तो आप को छोड़ देना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री अपने मित्रों---अब्दुल्ला, पटनायक, मेनन जैसे व्यक्तियों की ओर देखते हैं ? उन का एक भाई चू० एन० लाई भी है, जिन्होंने उन्हें धोका दिया है ।

पाकिस्तान बनने के बाद से उस देश की नजर काश्मीर, आसाम और त्रिपुरा पर लगी हुई थी । इस बात के बावजूद भी कि काश्मीर का शासक अन्य राज्यों के शासकों की तरह कानूनी तौर पर भारत में शामिल हुआ था, काश्मीर की समस्या पिछले १६ वर्षों से बनी हुई है । हम ने बहुत से जोरदार भाषण दिये हैं और प्रत्येक इंच भूमि वापस मांगी है किन्तु क्या हमें इसमें सफलता मिली है ? पाकिस्तान ने हमारा हजारों वर्ग मील क्षेत्र हम से ले लिया है, किन्तु हम इसे वापस नहीं करा सके । इस के बाद लद्दाख में चू० एन० लाई ने १२ हजार वर्ग मील क्षेत्र हम से ले लिया है । अब हम लद्दाख के उस क्षेत्र को बचाने के लिये पाकिस्तान को सारा काश्मीर दे देने की बातचीत कर रहे हैं ।

कई वर्षों से आसाम और त्रिपुरा में लाखों पाकिस्तानी मुस्लिम अवैध रूप से घुसे आ रहे हैं । सरकार ने उनके आने को रोकने और उनको निकाल बाहर करने के लिये क्रियात्मगक कदम उठाने में ढील बरती है । इस के विपरीत, पाकिस्तान में अब कितने भारतीय मुस्लिम और हिन्दू रह गये हैं ? विभाजन के समय कितने थे और अब कितने हैं । बेरूबाड़ी, सिलहट और कराची के सवालों पर हम पाकिस्तान के सामने झुक गये थे हम अपने सीमान्तों की रक्षा करने और अपने राष्ट्रजनों की रक्षा करने में हिचकिचाते क्यों हैं ? नौ मास पूर्व हम ने सदन में एक प्रण किया था कि हम चीनियों को निकालने के लिये आखरी दम तक लड़ेंगे । अब कुछ लोग इस का मजाक उड़ाते हैं कि हम ने क्या किया है और क्या सफलता प्राप्त की है चीनियों ने जो जमीन खाली की है, हम उस पर पुनः कब्जा करने से घबराते हैं ? अब समय आ गया है कि हम मार्च करें और अपनी भूमि को वापस लें ।

जनता केवल इसी कारण सरकार के विरुद्ध नहीं हो गई है । एक बड़ा प्रश्न भ्रष्टाचार का है । आप को ठीक ठीक बताना चाहिये कि क्या आप भ्रष्टाचार को कम कर सके हैं ? यह इस हद तक बढ़ गया है कि अब इसे साधारण समझा जाता है । कम बीजक बनाने के हजारों मामले देखे गये हैं और बहुत से रिकार्ड रिजर्व बैंक में नहीं मिलते ।

अब खाद्य के प्रश्न को देखिए । खाद्यान्न का इतना संकट भ्रष्टाचार के कारण हुआ है । केन्द्र को राज्यों से सही रिपोर्टें प्राप्त नहीं होतीं । राज्यों के अधिकारी केन्द्र को ठीक स्थिति नहीं बताते और अपने संग्रहों को छुपाते हैं ।

चीनी, जो ६ मास पूर्व किसी मात्रा में मिल सकती थी, अब गायब हो गई है । ग्रामों में प्रति मास आधा किलो चीनी मिलती है खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं, यद्यपि एक बफ़र स्टाक मौजूद है । श्री पाटिल को बताना चाहूंगा कि १९५९ से गेहूं का मूल्य निरन्तर बढ़ रहा है ।

अधिक अन्न उपजाने की दिशा में हम ने क्या किया है ? क्या हम ने कोई सफलता प्राप्त की है ।

सामुदायिक विकास योजना से देश को कोई लाभ नहीं हुआ इसको तुरन्त बन्द कर देना चाहिये किन्तु योजनाओं को जारी रखना चाहिये ।

स्वर्ण नियंत्रण नियमों ने देश को सख्त हानि पहुंचाई है । इससे न केवल प्राचीन कला को ही गहरा धक्का लगा है अपितु हज़ारों स्वर्णकार बेकार हो गये हैं । इन की संख्या २० लाख बताई जाती है । इन नियमों से सोने का तस्कर व्यापार बिल्कुल नहीं रुक सका है । **पैट्रियट** ने एक समाचार में लिखा है कि पिछले महीने २.६८ करोड़ रुपये का सोना चोरी छपे लाया गया है । अब इतने स्वर्णकारों का पुनर्वास कैसे करेंगे ? उन को १५०० रुपये या २००० रुपये दे कर ? १४ कैरट के ज़ेवर बनाने को कोई भी औचित्य नहीं है । इस नीति को जारी रखना केवल मंत्री महोदय की हठधर्मी है ।

अनिवार्य जमा योजना १२५ या १३० रुपये प्रति मास पाने वाले व्यक्तियों के लिए लागू करना सरासर अन्याय है जबकि वे अपना गुज़ारा भी नहीं कर सकते । सरकारी कर्मचारी खर्च को पूरा करने के लिये भ्रष्टाचार का रास्ता अपनायेंगे

श्रीमती सुभद्रा जोशी कह रही थीं कि हम राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं । मैं किसी ऐसे उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं जोकि देश के और प्रतिरक्षा के हित में हो । मेरा दल राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं है किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि हम सामान्य छोटे व्यापार और देश में बनाये गये व्यापार वस्तुओं के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं ।

जनसंघ का यह विश्वास है कि प्रत्येक भारतीय जो यहां रहता है पहले भारतीय है और बाद में कुछ और । हमें एक राष्ट्रीयता में विश्वास है, हम जाति, धर्म और प्रदेश के आधार पर किसी अल्पसंख्यक को नहीं मानते ।

मैं सरकार से यह अनुराध करूंगा कि देश के हित के लिये भारत की प्रतिरक्षा अधिनियमों का प्रयोग विरोधी पक्ष को दबाने के लिये प्रयोग न किया जाये और उस के सदस्यों को जेल में बन्द न किया जाय । यह काम करने का अच्छा तरीका नहीं है ।

अब तक सरकार ने जिस विदेश नीति का अनुसरण किया है, उस से प्रकट होता है कि सच्चे रूप से तटस्थता में विश्वास नहीं करते । हम ने कई अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में, जैसे हंगेरी, स्वेज़, अलजीरिया, मराको आदि के सम्बन्ध में पक्षपात का रवैया अपनाया है । इजराइल के साथ अभी तक हम ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किये, क्योंकि इस से अरबों के नाराज़ होने का डर है ।

वायस आफ़ अमेरिका के साथ समझौता तोड़ा नहीं जाना चाहिये । चाहे यह ठीक है या गलत, यह अब देश की प्रतिष्ठा और गौरव की बात है ।

संयुक्त हवाई मश्कों के सम्बन्ध में, हम केवल दर्शक बन कर बैठे रहेंगे और तमाशा देखेंगे । हमें चाहिये कि हम अपनी सेनाओं को सुसज्जित करें, विशेष कर जबकि हमें चीनियों और पाकिस्तानियों से खतरा है ।

हम ने बहुत सी गलतियां की हैं और हमें वे गलतियां दुहरानी नहीं चाहियें । हमें संकोच भय और कायरता को छोड़ना चाहिये और प्रधान मंत्री को कैरों, अब्दुल्ला और पटनायक जैसे मित्रों पर भरोसा नहीं करना चाहिये ।

†**श्री खाडिलकर (खेड)** : मुझे आशा थी कि आचार्य कृपालानी जैसे व्यक्ति, जिन्हों ने अपना अधिकतर जीवन गांधीजी और पंडित नेहरू के साथ गुजारा है, इस समय अपना ध्यान उन गहरी समस्याओं की ओर देते, जो आजकल देश के सामने है और अविश्वास प्रस्ताव दे कर इस प्रकार का वादविवाद न खड़ा करते। उन्हों ने भिन्न प्रकार के और मतभेद रखने वाले दलों के प्रतिनिधियों से इस प्रकार का प्रस्ताव रखना मनवा लिया है। यह प्रस्ताव देश में कुछ तत्वों के कड़वेपन और निराशा को जाहिर करता है जो अपने को वर्तमान क्रांति के साथ ढाल नहीं सके। वे ऐसे तत्व हैं जो इस देश में होने वाले आमूल परिवर्तनों को समझने में असमर्थ हैं।

मैं यह नहीं समझ सका कि जनसंघ और स्वतंत्र दल में क्या चीज साझी है? राजाजी ने काश्मीर के बारे में एक निराला सुझाव दिया है। कल को वह यह कह सकते हैं कि हमें शत्रु के साथ समझौता करने के लिए अपने देश का कुछ हिस्सा उन्हें दे देना चाहिये।

इस के अतिरिक्त, मैं यह भी नहीं समझ सका कि डा० एम० के० और श्री मसानी में क्या साझा है? श्री मसानी हमारी विदेशी और आर्थिक नीतियों के मूलभूत सिद्धान्तों को चुनौती दे रहे हैं। उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि हम पिछले सोलह वर्षों में अपने प्रधान मंत्री द्वारा अपनाई गई नीतियों में अपना विश्वास फिर से स्थापित करें। भारत एक सुदृढ़ प्रजातंत्र है। इसी कारण रूस और अमेरिका दोनों ने हमें प्रतिरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिये भारी सहायता दी है।

कहा जाता है कि तटस्थता की नीति असफल रही है। कैसे? क्या केवल इसलिए कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है।

अब दो बड़ी शक्तियों के बीच एक समझौता हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस का हमारे लिए क्या महत्व है। वे यह नहीं समझते कि इस से सारे अविकसित देशों को लाभ पहुंचेगा। चीन इस सम्बन्ध में गलती पर है। हमें इस बात से बहुत संतोष हुआ है कि दो बड़ी शक्तियां करीब आ गई हैं और उन्हों ने यह समझ लिया है कि यूरोपीय समस्याएं सैनिक बल से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से हल की जा सकती हैं।

यदि देश के एक कोने में हमारी सेना को कुछ पीछे हटना पड़ा है तो क्या इसे हार समझना चाहिए? क्या आप मनोवैज्ञानिक हार की धारणा पैदा करना चाहते हैं? अन्तिम रूप में हमें समझ लेना चाहिये कि चीन के साथ सीमान्त का झगड़ा सैनिक बल से हल नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि चीन को अपना रवैया बदलना होगा और उसे इस मामले पर बातचीत करनी पड़ेगी। चीन संभवतः हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि हमें रूस और अमेरिका दोनों ओर से सहायता मिल रही है और हमारी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तटस्थता की नीति जिस का अनुसरण हम १६ वर्षों से कर रहे हैं, बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है।

मैं सदन के सभी सदस्यों से कहूंगा, चाहे वे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, कि वे श्री मसानी की इस मांग पर विचार करें कि योजना आयोग को हटा देना चाहिये। क्या आप चाहते हैं कि योजना आयोग को तोड़ दिया जाये? क्या आप समझते हैं कि देश का भविष्य भूतपूर्व राजाओं, जमींदारों, रजवाड़ों और बड़े बड़े एकाधिपत्य वाले उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया जाये? यदि आप ऐसा समझते हैं, तो आप बिना संदेह आचार्य जी के हाथ में मत दे सकते हैं। किन्तु मैं चाहता

---

†मूल अंग्रेजी में

हूं कि हम आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, देशी और विदेशी स्थिरता और सब के साथ मैत्री के हक में मत दें।

भ्रष्टाचार शब्द बहुत बार आया है। श्री कृपालानी गांधी जी के साथ रहे हैं, क्या कभी उन्हों ने इस शब्द की वास्तविकता पर विचार किया है। यह एक सामाजिक दुर्गुण है जोकि युद्ध के बाद अधिक उभरा है। लोकतंत्रीय व्यवस्था की प्रारम्भिक स्थिति में कई बार भ्रष्टाचार घुस जाता है। इस रोग का हम सब को मिल कर राष्ट्रीय स्तर पर उपचार करना चाहिये। परन्तु हम इस शब्द का इस ढंग से प्रयोग कर रहे हैं कि देश में हीनता की भावना पैदा हो रही है। इसका बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है। लोगों का चीनी हमले का मुकाबला करने का साहस कम हो रहा है। और आप समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार में हमला करने वालों का मुकाबला करने की वीरता नहीं है।

उन्हों ने कामराज प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम दल को सरकार के आगे रख रहे हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं, तो मैं श्री कृपलानी से पूछता हूं क्या यह गांधी जी का रास्ता नहीं है। इस में बुराई ही क्या है। हम देश के सार्वजनिक जीवन का कुछ स्तर निर्माण करना चाहते हैं। इस बात का मज़ाक उड़ाने वालों को गम्भीरता से इस बात पर विचार करना चाहिये।

देश में श्री नेहरू ने जो क्रान्ति की भावना पैदा की है, उस से यह स्पष्ट हो गया है कि दल के नेता के अतिरिक्त वह कुछ और भी हैं। उस के दिमाग में दुनिया का कोई नक्शा है।

आज हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने भूलें नहीं कीं। भूलें की हैं, इसे स्वीकार न करना बेईमानी होगी। योजनाओं के प्रति लोगों का जोश कम हो गया है, उस में विशेष ढंग की परिवर्तनशीलता नहीं रही। इस में सुधार होना चाहिये। और मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं भारत के रुपये की दशा भी काफी मजबूत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं ने श्री दाजी को औचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय मेरे निर्णय को मान चुके हैं और उन्हों ने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। अतः औचित्य प्रश्न का कोई अवसर नहीं। अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है, जो भी कोई माननीय सदस्य कहना चाहे, कह सकता है और सरकार की ओर से इस का उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : इस में सन्देह नहीं कि यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

हमारे संसदीय जीवन की सब से बड़ी कमजोरी यह है कि लोकतंत्रीय ढंग से गठित हुआ कोई विरोधी दल ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह परस्पर विरोधी धाराओं की अभिव्यक्ति है। स्वतंत्र सदस्यों का संसदीय दल इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। हमारे देश को तथा लोकतंत्र को जो अन्दर और बाहर से खतरे हैं उसे देखते हुए यह जरूरी है कि इस मामले में सही, तथा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया जाय। कहा जाता है कि विरोधी दलों में एकमत नहीं है परन्तु मेरा निवेदन है कि पदासीन दल की इतनी बड़ी संख्या में भी तो विपरीत मत हो सकते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस दल की कुछ भी कमजोरियां रही हों परन्तु आज वह देश और अराजकता के बीच खड़ी है। इसने देश को प्रजातंत्रात्मक स्थायीत्व और राजनीतिक एकता प्रदान की है। यदि हम प्रत्येक समय ही सरकार की निन्दा करते रहे तो यह भी बेकार का धन्धा हो जाता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि आज एशिया भर में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने वाला भारत एक पात्र देश है। निस्सन्देह इसका श्रेय कांग्रेस को है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां अथवा कमजोरियां न आ गयी हों। और यह भी ठीक है कि आज हमारे प्रधान मंत्री देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक हैं। भूले हो सकती हैं, परन्तु यह कहना कि कांग्रेस दल ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं द्वेष और अज्ञानता पर आधारित होगा। देश की अर्थ-व्यवस्था विकसित हो अथवा अविकसित, हमें अपने आर्थिक प्रगति के लिए तो आयोजन ही करना होगा। यह ठीक है कि एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार बनना चाहिए। आज का आर्थिक घेरा बहुत गंदा है। हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था पर छाया हुआ है। इसे इसी लिए तोड़ना है कि हम पुराने ढंगों से कभी अर्थ-व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते।

कृषि में सुधार हुआ है, परन्तु इस दिशा में हमें असफलतायें भी हुई हैं। वास्तव में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों की जो असफलताएं हैं, उसके लिए केन्द्र उत्तरदायी नहीं, ये सब राज्य प्रशासन की असफलता है। इसमें भी एक कठिनाई है वह यह कि जो कुछ भी आज स्थिति है राज्यों में अन्य दल और शक्तियां इससे अच्छा काम नहीं कर सकतीं। हमारे मतदाता अशिक्षित है, इस दृष्टि से राज्य सरकारों को जो भी असफलता हुई है, उसका कारण प्रान्तीयता तथा विकेन्द्रीकरण है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कम से कम शिक्षा एक अपेक्षित आवश्यकता है। अशिक्षित हो अथवा कम शिक्षित, यदि ऐसे लोगों को सत्ता मिल जाये तो इससे अकुशलता, बुराइयां और भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। स्वाभाविक बात है। जितना प्रशासन निम्न कोटि के लोगों के हाथ में रहेगा, उतना ही प्रशासन और भ्रष्टाचार होगा। और ठीक यही स्थिति आज हम देश में देख रहे हैं। आज के युग में कोई भी दल न्यूनतम शिक्षा के बिना लोकतंत्री विकेन्द्रीकरण रोकने की बात नहीं कर सकता।

आज देश में जनसंख्या बढ़ रही है। यह एक बड़ी भयानक बात हो रही है। इसे हर सम्भव उपायों से रोकना होगा। कड़े कदम उठाने होंगे। जो परिवार नियोजन का काम अपने यहां चल रहा है इससे कुछ होने का नहीं। मेरा मत यह है कि गर्भपात वैध घोषित करना और सर्व साधारण का बन्ध्यीकरण करना इत्यादि कुछ कार्य हमें करने चाहिए। इसी प्रकार श्रमिकों की स्थिति तथा हमारे सामाजिक ढांचे का सम्बन्ध है, कांग्रेस दल का कार्य बुरा नहीं है। इस दिशा में भी काफी काम शुरू हुआ है।

आज जो कर लगाये जा रहे हैं, वे केवल अधिक ही नहीं प्रत्युत असहनीय हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि साम्यवादियों को लोगों को गुमराह करने का अवसर मिल रहा है। वे लोगों को बहुत बुरी तरह भ्रम में डाल रहे हैं। इससे लोगों के नैतिक स्तर के गिर जाने का भय है। जो भी हो हमें अपनी आत्म निर्भर करने वाली अर्थ व्यवस्था का तो निर्माण करना ही है। औद्योगिक क्षेत्रों में जितनी सम्भव है उतनी प्रगति तो करनी ही है। मेरा यह दृढ़ मत हैं कि साम्यवादी लोग यह नहीं चाहते कि हम उस स्थिति तक पहुंचे। हमें इन राजनीतिज्ञों से सतर्क रहना ही चाहिए।

आज की जो स्थिति है उसमें सब राजनीतिक अधिकार राजनीतिज्ञों के हाथों में चले गये हैं। यही कारण है कि देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार है। उन्हें भ्रष्टचार के लिए उकसाया जाता है। व्यापारियों के प्राप्त दान से राजनीतिक दल चलते हैं जिससे देश का राजनीतिक जीवन गन्दा

होता है । इस तरह करने पर यदि रोक नहीं लगायी गयी तो कम से कम उसमें लेखा परीक्षण की व्यवस्था तो की ही जानी चाहिए । उसका सार्वजनिक छानबीन और निरीक्षण होना चाहिए । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सरकारी आदमियों पर भी लागू किया जाना चाहिए । इसके लिए बड़े बड़े कदम उठाये जाने चाहिए । प्रधान मंत्री जी ने यह सब काम करने हैं । उन्हें कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए । यह उनकी परीक्षा का अवसर है । उनकी भूल से न केवल देश को ही हानि पहुंचेगी, प्रत्युत लोकतंत्र का भविष्य भी खतरे में पड़ जायेगा ।

†**श्री मुरारका** (झुंनझून) : गत आम चुनावों में सरकार ने जनता का विश्वास प्राप्त कर लिया था उसमें प्रति जनता अपनी आस्था प्रकट की थी । उसकी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता का आम समर्थन प्राप्त हुआ था ।

[**श्री तिरुमलराव** पीठासीन हुए]

श्री मसानी ने कल कहा था कि वह आयोजन में विश्वास नहीं रखते । आचार्य कृपलानी ने भी कहा है योजना गलत ढंग से बनाई गयी और गलत ढंग से ही उन्हें कार्यान्वित किया गया । आज के युग में योजना के सिद्धांत को समाजवाद से अलग नहीं किया जा सकता । प्रोफैसर गोलब्रथ ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है ।

सरकार की सफलताओं का उल्लेख हुआ है । जो भी संकट आते रहे हैं और हैं, यह स्पष्ट है, कि सरकार की सफलताओं का प्रभाव देश भर में दष्टिगोचर हो रहा है । महान कठिनाइयों के बावजूद, अर्थात् जनसंख्या का बढ़ना, मौनसून पवनों का प्रकोप और देश पर चीनी हमलों, इत्यादि, उद्योग और समस्त सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है । प्रसिद्ध लोगों ने हमारी योजनाओं को संसार में किया गया सर्वोत्तम कार्य माना है । कृषि उत्पादन ५० प्रतिशत बढ़ा है, राष्ट्रीय आय ५० प्रतिशत बढ़ी है और प्रति व्यक्ति २० प्रतिशत आय बढ़ गयी है ।

स्वर्ण नियन्त्रण के विरोध का नारा तो सब विरोधी दलों का सामान्य हो गया है । स्वर्ण नियन्त्रण आदेश सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए जारी किया गया है । इसमें कोई सन्देह कि इससे देश को कुछ भागों में बेकारी हुई है, जो कि होनी ही थी परन्तु तस्कर व्यापार रुक गया है । प्रतिवर्ष लगभग ५० करोड़ रुपये के सोने का तस्कर व्यापार होता था और सरकार को उस सोने के लिए विदेशी मुद्रा देनी पड़ती थी । सरकार ने चाहा था कि किसी और ढंग से यह समस्या हल हो जाय परन्तु यह हल हुई नहीं । तस्कर व्यापार हमारी अर्थ व्यवस्था के लिए लगातार खतरा बना हुआ था । अतः सरकार को कार्यवाही करने पर बाध्य होना पड़ा । देश में सोने की मांग को कम करने के लिए आदेश जारी किये गये । इसका उद्देश्य यही थी कि अन्तर्देशीय सोने के भाव कम हो । मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश बिल्कुल हानिकरक नहीं है । सरकार ने किसी का सोना छीना नहीं है और न ही उसने सोने के उपयोग पर कुछ प्रतिबन्ध ही लगाये है । केवल इतना ही किया है कि आपके पास जेवरों के अतिरिक्त यदि कोई सोना है तो इसका ब्योरा सरकार को देना होगा । और दूसरा यह कि जेवरों में १४ कैरट का सोना ही प्रयोग में लाया जायेगा ।

इस दिशा में सरकार के पास कोई अन्य चारा ही नहीं था । आज इस बारे में जो सब से अधिक शोर मचाया जा रहा है वे सुनारों की ओर से नहीं है इसके पीछे तस्करों की शक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

है। अब ये स्वर्णकार केवल चोरी छिपे लाये गये सोने से जेवर बना रहे हैं। यदि इन लोगों का रोजगार कायम रखना ही है तो यह केवल चोरी छिपे लाये गये सोने द्वारा ही कायम रखा जा सकता है।

अनिवार्य जमा योजना का मामला थोड़ा कष्ट का मामला जरूर है। इसके अन्तर्गत जो कुछ भी लिया जाता है, वह पांच वर्ष बाद ब्याज समेत वापिस हो जाता है। अन्य लोकतंत्रीय देशों में भी इस प्रकार की योजनायें प्रायः चलती है। परन्तु अध्ययन करने पर पता चलता है कि उन देशों में इसकी शर्तें इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हमारे देश में है। मेरे ख्याल में तो इस योजना में बुराई कोई नहीं। परन्तु कठिनाई तो यह है आज राजतितिक दल इससे राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं और अपने स्वार्थों के कारण देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

अब मैं भावों की ओर आता हूं। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आयोजन अर्थ व्यवस्था में, हमें मूल्यों के बारे में दीर्घाकालीन दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। इस समय अंशों एवं सरकारी प्रत्याभूतियों के मूल्य गिर गये हैं। यदि कुछ लोग यह कहते हैं कि भावों में वृद्धि मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप हुई है, तो अंशों के मूल्य क्यों गिर रहे हैं? सरकार की मूल्य नीति को आशातीत सफलता मिली है हालांकि प्रकृति के प्रकोप के कारण मूल्यों में अस्थायी वृद्धि हुई है।

उत्पादन शुल्क का भी प्रश्न है। १९६३–६४ के वर्ष में यह ७०० करोड़ रुपये तक पहुंचने वाला है, जब कि १९५१–५२ में यह ७० करोड़ था। इसी तरह राज्यों में बिक्री कर बढ़ा है। स्थानीय कर भी बढ़े हैं। यह सब चीजों पर पड़े है, अतः इनसे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं। मूल्यों के बारे में ४४ देशों का सर्वेक्षण किया गया है। उसमें भारत का दर्जा १३वां है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भारत १२ देशों से पीछे है तो ३१ देशों से आगे भी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह बात बिल्कुल निराधार है कि देश में करों का स्तर इतना ऊंचा है कि क्षयदान उत्पादन का नियम लागू ही नहीं होता। यह ठीक है कि करों के बढ़ने से सरकार को काफी मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ है। उत्पादन शुल्क तो ७० करोड़ से ७०० करोड़ हुआ ही है। आयकर और निगम कर भी १८० करोड़ से बढ़ कर ४६० करोड़ हो गया है। सीमा शुल्क की वृद्धि १८० करोड़ से ३०० करोड़ तक हुई है। इसी प्रकार विरोधी दलों की नये चुनाव की बात निराधार है। किसी भी विरोधी नेता ने अभी तक देश में बहुमत प्राप्त नहीं किया।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़): मैं बड़े भारी हृदय से इस सरकार में अपना विश्वास प्रकट करने खड़ा हुआ हूं। यद्यपि जहां तक भ्रष्टाचार, कराधान और मूल्य वृद्धि का प्रश्न है हमारे दल का भी दृष्टिकोण वही है जो कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थकों का है। परन्तु वैसे अविश्वास के सम्बन्ध में साम्यवादी दल का दृष्टिकोण प्रस्तावकों के दृष्टिकोण से भिन्न है। श्री मसानी ने जो कुछ कहा है, उसे मैं देश के हित के विरुद्ध समझता हूं। हमारा तो सरकार के विरुद्ध आरोप यह है कि सरकार के आश्वासनों और वास्तविक नीतियों में भारी अन्तर है। कांग्रेस दल ने अवाड़ी में १९५७ में यह प्रस्ताव पास किया कि उसका लक्ष्य समाजवादी समाज की रचना होगा। उस ने अपने १९५७ के चुनाव घोषणा पत्र में यह कहा कि आय सम्बन्धी स्तर कम किये जायेंगे। परन्तु जो कुछ देखने में आ रहा है वह बिलकुल हमारे सामने है। अन्तर इतने बढ़ गये कि कुछ लोगों के हाथों में धन इकट्ठा हो रहा है। सरकारी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की कुल संख्या २८०० है। इन सारी कम्पनियों की आस्तियां लगभग २८०० करोड़ रुपये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु केवल सात बड़े समवायों में ७०६ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। और ये सात कम्पनियां बिरला, टाटा की हैं। इसी तरह तीन बड़े बड़े बैंक हैं जो कि सारे बैंकिंग व्यवसाय का ३० प्रतिशत अंश सम्भाले बैठे हैं। राष्ट्रीय आय तो बढ़ी है परन्तु राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसका एक बड़ा भाग एकाधिकारियों के हाथ में चला गया है।

जब से कांग्रेस दल के हाथ में सत्ता आई है कांग्रेस की ओर से यह वायदा किया जाता रहा है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकेंगे। १९४६ के अपने चुनाव घोषणा पत्र में, १९५२, १९५७ और १९६० में, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में, सर्वत्र कांग्रस द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि वह मूल्यों की वृद्धि रोकेंगे। परन्तु गत १६ वर्षों का यह अनुभव है कि सरकार मूल्यों को एक स्तर पर रखने में असफल रही है। वह मुद्रास्फीति को रोक नहीं सकी है। बड़े बड़े व्यापारी सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है। खाद्य समस्या उसी प्रकार विकट स्थिति में ही है खाद्य मंत्री की इच्छा यह है कि उन के द्वारा प्रस्तुत गलत आंकड़ों को सही मानते रहें। परन्तु यह तो देश पर प्रकट हो गया है कि वह देश के लोगों को खाना देने में असफल रहे हैं। खाद्य समस्या और चीनी की स्थिति तो स्पष्ट है ही। कुछ कहने की गुंजाइश नहीं। मेरा कहना तो यही है कि उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए।

एक ओर तो यह सब चल रहा है, दूसरी ओर आपात के नाम पर सरकार, करों और अनिवार्य जमा के नाम पर देश के लाखों लोगों पर असहनीय भार डाल रही है। कहा गया है कि यह लोगों के लिए अच्छा ही है। उन के रुपये जमा होंगे और पांच वर्ष के बाद ब्याज समेत उन्हें वापिस मिल जायेंगे। परन्तु १२५ रुपये मासिक लेने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। श्री विनोबा भावे ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं। किसानों को भी इस से भारी कष्ट है। उन पर इस से भरण और बढ़ जायेगा और अन्त में साहूकार लोग उनकी जमीन हड़प लेंगे। खाद्य उत्पादन के मामले में भी स्थिति स्पष्ट है कि जब तक भूमि सुधार जैसे त्रुटिपूर्ण विधान का गलत ढंग से कार्यान्वित हो रहा है, हमें खाद्य उत्पादन में किसी वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। केरल में १९५७ में एक विधान पारित किया गया। दो वर्ष बाद राष्ट्रपति ने उसे कुछ परिवर्तनों के साथ वापिस कर दिया। १।। वर्ष तक उसे लागू किया गया। इस बीच कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए धन खर्च किया गया। परन्तु अदालतों की डिग्री हो जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो गया। कई वर्षों के बाद किसानों को कुछ लाभ होने जा रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया। बताइये, किसान क्या सोचते होंगे। आपात काल में स्थिति और भी बिगड़ गयी है। मेरा मत है कि हमेंने अपने साधनों का अपव्यय रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

इसी दृष्टिकोण से ही हम ने कहा है कि सरकार को बैंकों और सामान्य बीमा को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। निर्यात व्यापार में कम मूल्य के बीजक बनाना और अधिक मूल्य के बीजक बनाने को, जोकि निर्यात और आयात व्यापार में बड़ी साधारण बात हो गयी है रोकना चाहिए। तेल के उत्पादन और वितरण का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तेल के राष्ट्रीयकरण से एक तो पेट्रोल सस्ता मिलेगा और दूसरा विदेशी तेल कम्पनियों को जाने वाला कई करोड़ रुपया सरकार को मिलेगा। यह सारे कार्यक्रम हमारे पड़ौसी देशों में शांति के समय भी किये गये हैं और आश्चर्य है कि हमारी सरकार इसे युद्ध काल में भी करने से घबराती है। और इस का कारण यही है कि कुछ हित ऐसे हैं जिन्हें सरकार किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहती, अन्यथा इसके अतिरिक्त और कोई कारण ही नहीं है।

वित्त मंत्री कहते हैं कि कोई समाज सुधार की बात होती है तो कुछ लोगों को तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। परन्तु ऐसा सोचते हुए वह गरीब लोगों की दयनीय दशा के प्रति बहुत ही कठोर है। आज सारे देश में कहा जा रहा है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश पूर्णतः असफल रहा है। कई लाख लोग बरोजगार हो गये हैं। हजारों स्वर्णकार भूखों मर रहे हैं। बहुत से लोगों ने आत्महत्या कर ली है। उन के पुनर्वास के लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। साथ ही मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच की जानी चाहिए। यह जांच न्यायापालिका अधिकारियों द्वारा होनी चाहिए ताकि देश का राजनीतिक जीवन शुद्ध रह सके। प्रधान मंत्री का यह कहना कि मंत्रियों के विरुद्ध आरोप निराधार हैं, एकदम गलत बात है। भ्रष्टाचार तो सर्वत्र चल रहा है।

वायस आफ अमरीका से जो करार किया गया है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार इसके उत्तरदायित्व से मुक्त होने का प्रयत्न कर रही है। जो भी अधिकारी इस करार के लिए जिम्मेदार हैं, वे निस्सन्देह हमारी नीति के दक्षिण पंथी रुख से परिचित हैं, और इसी कारण उन्होंने यह करार किया है। अमरीका और इंगलिस्तान के साथ सम्मिलित वायु प्रयोगों का करार हमारी तटस्थता की नीति को छोड़ने का एक अन्य उदाहरण है। वे देश यह नहीं चाहते कि हाम इन मामलों में आत्म निर्भर बन सकें। हमें हमेशा के लिए अपने ऊपर निर्भर रखने की उनकी लम्बी योजना है। अमरीका तो हमारे देश में अपना सैनिक अड्डा भी स्थापित करना चाहता है।

हमारा विचार यही है कि तटस्थता की नीति किसी गुट में नशामिल होने की नीति है। परन्तु यह दोनों गुटों के साथ हमारे सम्बन्धों को सन्तुलित रखने का प्रश्न नहीं है। परन्तु हमें अमरीका के पिछलगू नहीं हो जाना चाहिए। देखने में तो यही आ रहा है कि कांग्रेस शासन के अधीन देश इसी दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमारे विचार में यह भी एक कारण है कि अफ्रीका और एशिया के लोग हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं। हम प्रायः उन से अलग अलग हो गये हैं। तटस्थता की स्थिति से गिराने का एक प्रमाण यह भी है कि अमरीकी अखबारों में इस प्रकार के लेख प्रकाशित हो रहे हैं जिन में यह कहा जा रहा है कि भारत की तटस्थता की नीति मर चुकी है और अब इस को कब्र में गाड़ना शेष है।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

यह भी ठोस तथ्य की बात है कि सरकार की जो भी आर्थिक नीति है, उसके कारण देश में एकाधिकारवादी पूंजी बढ़ी है। आपातकाल की घोषणा के पश्चात् सरकार ने अधिकार प्राप्त किये हैं उनका प्रयोग चोरबाजारी करने वालों, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरों के विरुद्ध न करके उसे किसानों और मजदूरों द्वारा किये जाने वाले संघर्ष को कुचलने के लिए किया जा रहा है। इसका प्रमाण यह है कि बम्बई में हड़तालियों के विरुद्ध भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया जा रहा है। ये लोग कम मजूरी तथा अनिवार्य जमा योजना लागू किये जाने के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि देश के कर्मचारियों ने आपात काल में पूरा भाग लिया है। उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए तथा अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर देनी चाहिए। और बढ़ रहे मूल्यों को रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर ही हम सरकार के प्रति अपना अविश्वास प्रकट कर चुके हैं।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। साम्यवादी दल के नेता तो कहते हैं कि जेवर २२ कैरट के ही होने चाहिए, जब कि स्वयं स्र्णकार १४ कैरट के बनाने को तैयार है। मजदूरों के दल को सोने का मोह कैसे हो गया। यह मेरा प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : साम्यवादी दल, तठस्थता, विदेशी अतिक्रमण, भूमि सुधार, करों के कम भार, ग्राम, बीमा तथा पूंजीपतियों से किसी प्रकार के समझौते के न करने की नीति का समर्थन करता है । दल बैंकिंग समवाय, ग्राम बीमा तथा निर्यात आयात के राष्ट्रीयकरण की नीति का भी समर्थक है । स्वर्ण नियंत्रण आदेश के विरुद्ध है । इसके विपरीत दल का मत है कि किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने के लिए सोने की अधिकतम मात्रा निश्चित की जानी चाहिए । आज भी लोगों के पास दबाया हुआ सोना ४००० करोड़ का है । सरकार धन चा ती है तो यह सोना ले सकती है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : इस अविश्वास के प्रस्ताव के कारण मुझे जो बोलने का अवसर मिल रहा है उस के लिए विरोधी दलों का धन्यवाद करता हूं । कुछ लोगों का विचार है कि यह ठीक तरीका नहीं है, परन्तु हमें इस बात का हर्ष है कि इस प्रस्ताव पर विरोधी दलों को वह सब कुछ कहने का अवसर मिलेगा जोकि वे कहना चाहते हैं । मुझे भी इस से अपनी बात को स्पष्टतः कहने का अवसर मिला है अतः मैं प्रसन्न हूं ।

कृषि के मामले में मुझे सभी दिशाओं से परामर्श मिलता रहा है । यह बड़ी मनोरंजक बात है कि कृषि के मामले में हर व्यक्ति अपने आप को विशेषज्ञ समझता है । दोषों को बढ़ा कर तथा समस्याओं को सुलझाने के बारे में परामर्श देता है । मुझे पता नहीं चलता कि उन परामर्शों को कहां रखूं । यदि मैं हरेक परामर्श को कार्यान्वित करना शुरू कर देता तो निश्चय ही अब तक पागल खाने पहुंच गया होता । मेरा इतना ही निवदन है कि समस्यायें इतनी सरल नहीं हैं जितनी कि वे दिखाई देती हैं । फिर भी मैं इसे स्वीकार करता हूं कि देश के विकास की दृष्टि से तथा अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए इन समस्याओं को हल करना बड़ा ही जरूरी है ।

हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि देश के ७० से ८० प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि पर आश्रित है । और इस इतने बड़े व्यापक देश में केवल ३१५० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती होती है । इस दशा में यह बात केवल एक दल का हित ही नहीं रह जाती । यह तो राष्ट्र की समस्या बन जाती है । १९५१ में जबकि योजना का आरम्भिक काल था हमारा कृषि उत्पादन ५०० से ५२० लाख टन के लगभग था और आज यह ८०० लाख टन हो गया । लगभग ५० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है ।

यह स्थिति मजबूत तो नहीं है जैसे कि विरोधी दलों ने आरोप लगाया है । यह १२ वर्षों की बात है, परन्तु फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि कृषि की दिशा में उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिये थी । जितनी कि उद्योगों ने की है । परन्तु इस में प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव है । रक्षित स्टाक के न होने के कारण भी कमी के समय का आना भी जरूरी सा हो जाता है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्यों अध्यक्ष महोदय ने कभी भी इस की अनुमति नहीं दी ।

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्या को इसे प्रस्तुत करने के और कई अवसर मिल जायेंग । आप देख सकते हैं कि इन चारों वर्षों में मूल्य स्थिर रख गये हैं । मैं नहीं जानता कि योजना का क्या हाल होता । यह सम्भव नहीं है कि कृषि की स्थिति एक जैसी ही रहे ; कभी वर्ष अच्छा रहता है कभी बुरा । गत दो वर्ष विशष कर बुरे रहे हैं । किन्तु कृषि को वर्ष चक्र की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये। भारत में यह चक्र एक पांचवर्ष का है और आश्चर्य की बात है कि यह चक्र पंचवर्षीय योजनाओं

†मूल अंग्रेज़ी में

के ही काल से मिलता है । अतः कभी कभी यह होता है कि पांच वर्षों में से एक वर्ष में उत्पादन बहुत अच्छा रहता है । यह लगभग एक करोड़ टन का होता है जैसेकि हमेशा से होता आया है । आप ने इसे देखा है । किन्तु कभी आप को ऐसा वर्ष भी मिलेगा जिस में उत्पादन कम होगा । पांच वर्षों में से एक वर्ष बहुत अच्छा होता है, एक बहुत बुरा और शेष तीन वैसे ही, न अच्छे, न बुरे बस किसी प्रकार काम चल जाता है ।

आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया और सिंचाई के विषय में सब कुछ क्यों नहीं किया गया । कई लोगों ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं कि "दो हजार करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं" । मैं नहीं जानता कि इतना रुपया कहां खर्च किया गया है और यदि यह मान भी लिया जाये कि बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर इतना रुपया खर्च हुआ है तो क्या उन्हों ने भारत के अतिरिक्त अमरीका जैसे कुछ ऐसे देशों का भी अनुभव प्राप्त किया है जहां कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है ; जहां संचार साधन अथवा कृषि सेवायें इतनी वेगवान हैं कि यदि किसी किसान ने २४ घंट में कुछ पैदा किया तो इस के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वहां टेलिविजन है, रेडियो है और विस्तार सेवायें हैं इस देश में वे सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी पांच वर्षों में प्रति वर्ष जितनी प्रगति हो रही है वह उपेक्षनीय नहीं है । आप यहं कह सकते हैं कि यह अधिक हो सकती थी, यह और बात है ।

तब, फिर क्या हुआ है ? यह, संक्षेप में कृषि का प्रश्न है जिसे हर किसी को समझ लेना चाहिए । मैं ऐसा किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा । यह सभा जानती है, और बार बार मैं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कृषि पूर्ण रूप से राज्यों का विषय है और इस की जिम्मेदारी राज्यों के ही पास है । यह केन्द्रीय ही नहीं, समवर्ती सूची का विषय भी नहीं है । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि नीति आदि का निश्चय करने के बाद, जहां तक उन की कार्यान्विति का प्रश्न है, अधिकतम--मैं राज्यों पर दोषारोप नहीं कर रहा--यह राज्यों की ही जिम्मेदारी है ; क्योंकि हम राज्यों से वह जिम्मेदारी नहीं छीन सकते जो संवैधानिक, कानूनी और नैतिक रूप से उन की है । योजना तैयार करना, अर्थोपाय सुझाना, उन्हें आवश्यक धन और संसाधन उपलब्ध कराना हमारा काम है । इस कार्य में जिस सीमा तक हम भूल करें, निश्चय ही हम उस के लिये उत्तरदायी हैं ।

ध्यान देने योग्य बात है कि इस देश में ३५ करोड़ एकड़ भूमि में खेती करनी होती है । यहां कृषकों को ६ करोड़ ५० लाख परिवार हैं । इस में बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती । और किसी चीज में चाहे वृद्धि हो जाये किन्तु भारत के कृषि क्षेत्र में वृद्धि नहीं की जा सकती । अतः सघन कृषि द्वारा हमें प्रति एकड़ उपज बढ़ाना है और यह प्रति एकड़ उपज गत दस--बारह वर्षों में १५ से २० प्रतिशत तक बढ़ गई है । यह अधिक बढ़नी चाहिये थी । किन्तु किसानों की यह ६ करोड़ ५० लाख परिवार जो परिवर्तन के प्रति उत्साहहीन हैं ऐसो नहीं कि बटन दबाते ही एक साथ सक्रिय हो उठें अर्थात् मेरा मंत्रालय अथवा योजना आयोग आज यहां कोई नई खोज करे और दूसरे ही दिन ६ करोड़ ५० लाख परिवार इस भिन्न तरीके से कार्य करने लगें । निश्चय ही उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि मेरा मंत्रालय अथवा कोई दूसरा मंत्रालय इस प्रयोजन के लिये क्या कर रहा है ।

इसलिये किसानों के सम्बन्ध में आप को कुछ धैर्य रखना होगा । बार बार इस प्रकार प्रदर्शन करना, बार बार यहां आ कर अभाव के नाम पर नारे लगाना--जैसे वे यह चाहते हैं कि अभाव बना रहे जिस से वे लोग यह तर्क प्रस्तुत कर सकें कि सरकार निकम्मी है, उन लोगों का अस्तित्व ही अभाव पर है--इन बातों से जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वे किसानों के हित के विरुद्ध हैं । और मैं आप से एक बात कहूंगा । चाहे प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रगति, सिंचाई और उर्वरकों का कुछ भी

[श्री स० का पाटिल]

प्रभाव हो, भारतीय कृषि की समस्या का मूल यह है कि जब तक हरेक किसान यह अनुभव न करने लगे कि कृषि का कार्य लाभप्रद है वह कुछ भी नहीं करेगा चाहे आप कितना ही प्रयत्न करें। अपने और दूसरे तर्कों की बात छोड़िये, क्योंकि किसान उन के बारे में कुछ जानते भी नहीं।

अतः किसान को यह आश्वासन देना होगा और इस बात का विश्वास दिलाना होगा कि जो कुछ हम उसे बताते हैं वह अन्ततः राष्ट्रीय हित में ही नहीं—वह तो बाद की बात है—यह उस के स्वयं के हित में है। आज कृषि में आधुनिक प्रविधियों और विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इस का क्या प्रभाव होता है ? एक व्यक्ति है जो ५ रुपये प्रति एकड़ से अधिक खर्च नहीं करता था। यदि एकाएक मैं उस से कहूं कि ५० रुपये या १०० रुपये प्रति एकड़ खर्च करो कि जिस से कृषि की आय बढ़ेगी—मुझे कहना पड़ेगा "तुम्हें यह १०० रुपये खर्च करने चाहियें—क्या वह कर सकेगा। जब तक उसे इस बात का विश्वास न हो जाये कि इन सारे १०० रुपये के बदले उसे १५० या २०० रुपये मिल जायेंगे ? पहली बात तो यही है कि उस के पास रुपया है ही नहीं। मुझे उस के लिये रुपये की व्यवस्था करनी होगी। और मुझे गारन्टी भी देनी होगी। कुछ आश्वासन देना होगा चाहे कृषि का बीमा हो या अन्यथा, कि उसे खर्च किये हुए रुपये से अधिक प्राप्त होगा। दूसरे किसी भी उपाय से आप उस से कार्य नहीं करवा सकते। और यही कृषि समस्या का मूल है अर्थात् इसे आर्थिक स्वरूप देना. . . . (**अन्तर्बाधायें**) इसे लाभ प्रद बनाना।

पिछले कुछ वर्षों से यही समस्या हमारे सामने है और हम इसे हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम ने कृषि में कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के प्रयत्न किये हैं जो पहले नहीं थे। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन मूल्यों को आर्थिक तथा लाभप्रद बनाने के लिये, यदि हम स्थैर्य मूल्य न रख सकें तो, कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम मूल्य अवश्य स्थिर करें। और इसीलिए आप ने देखा होगा कि गत २ या ३ वर्षों में हम ने एक के बाद एक पदार्थ लिया है। हम केवल मूल्य ही निश्चित नहीं कर रहे, समय समय पर उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। पहले हम ने व्यापारिक फसलों को लिया। पहले गन्ने के मूल्य लिये, कपास, चाय, काफ़ी, जूट और अन्य चीजों के मूल्य लिये। अनाजों में हम ने गेहूं से आरम्भ किया। तीन या चार वर्ष पहले हम ने ३० रुपये प्रति मन का मूल्य रखा, किन्तु एक वर्ष के अन्दर ही हमने इसे बढ़ा कर ४० रुपये कर दिया क्योंकि हम ने सोचा कि ३० रुपये का मूल्य लाभप्रद नहीं है। चावल के लिये १४ रुपये ८ आने रखा किन्तु आगामी वर्ष ही इसे बढ़ा कर १६ रुपये कर दिया क्योंकि हम ने सोचा कि हम इसे अधिकाधिक लाभप्रद बनाते जायेंगे। इस के बाद हम ने उपेक्षित अनाज ज्वार का मूल्य रखा, किन्तु ज्वार २७ प्रतिशत लोगों का मुख्य भोजन होने के कारण महत्वपूर्ण है। हमने पहले यह मूल्य ९ रुपये रखा। इसकी कमी होने पर यह १५ रुपये, १६ रुपये तक बिका और जब यह बहुत अधिक मात्रा में हुआ तब यह ६ रुपये, ५ रुपये के भाव से बिका। किसान की यह हालत थी।

यह एक विरोधाभास है, कि हम उससे अधिक रुपया लगाने, अधिक मेहनत करने के लिये कहते हैं और अब वह अधिक उत्पादन करता है तब मूल्य गिर जाते हैं। इस विरोधाभास के अन्तर्गत एक ईमानदार किसान से कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी बात है जो केवल अलाभप्रद ही नहीं कृषि की प्रगति को नष्ट करने वाली भी है।

जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या दिखाई देता है ? दूसरे पदार्थों के मूल्य बढ़ जाते हैं। मैं अनाजों के मूल्यों के विषय में सुनता आ रहा हूं। क्या किसी ने इस बात पर विचार किया है क्या हर अन्य वस्तु की कीमतें जो किसान के जीवन में, मेरे जीवन में, अत्यन्त आवश्यक हैं, बढ़ती जा रही हैं ? क्या उसे अपने लिए मिट्टी का तेल, सीमेंट, हल और बैलों की आवश्यकता नहीं है ?

उसे हर वस्तु उस मूल्य पर मिलनी चाहिये कि जिस पर वह अपना कृषि का कार्य चला सके। इस बात पर कोई भी विचार नहीं करता, क्योंकि यह राजनैतिक सिद्धान्तों के लिये उपयोगी है, कि इसके विषय में कुछ कहे। इन शिकायतों और तकलीफों को ले और इनकी नीव पर इमारत खड़ी करे। ठीक यही बात विरोधी विशेषतः साम्यवादी दल कर रहा है। (**अन्तर्बाधायें**)।

इस सब कुछ के बाद मैं यह कहूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि, आखिर जब कि मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं मुझे वर्तमान की ओर भी तो देखना चाहिये। मुझे चाहिये कि मैं श्री नन्दा जी, अथवा योजना आयोग को, ऐसी सुविधायें, उपलब्ध कराऊं कि उनकी योजनायें सफल हों। यह हम सब की मिली जुली जिम्मेदारी है। अतः, यदि मैं केवल नींव रखना ही आरम्भ करूं, और परिणामों के लिये अगले दस वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहूं तो उस समय तक, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजना भी समाप्त हो जायेगी और योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करना बहुत कठिन हो जायेगा।

अतः मेरे मन में रक्षित संग्रह और उन तीर्थ यात्राओं का विचार आया जिनके विषय में मेरे मित्र श्री गोपालन ने इतना कुछ कहा है। किन्तु वे भूल गये कि मैंने उन पापों को धोने के लिये जो मैंने अन्य तीर्थों पर जाकर किये थे, मास्को की भी तीर्थयात्रा की थी। मास्को इतना सुन्दर शहर है कि यदि मुझे जाने की आज्ञा मिले तो हर वर्ष वहां जाऊं, किन्तु दुर्भाग्य से वहां अधिक खाद्यान्न नहीं है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री ख्रुश्चेव स्वयं एक कुशल किसान हैं, वह खेती के सम्बन्ध में इतना कुछ जानते हैं जितना दुनिया के बहुत कम लोगों को मालूम है; किन्तु उन्होंने तीन या चार कृषि-मंत्रियों को कार्य पद से हटाया है। ईश्वर का धन्यवाद कि हमारे प्रधान मंत्री ने ऐसा नहीं किया। अन्यथा मैं सभा के सम्मुख अपनी बात कहने के लिये आज यहां नहीं होता। किन्तु इतने कृषि मंत्रियों को हटाने के बाद भी रूस में कृषि की प्रगति नहीं हुई। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि कृषि एक ऐसा विषय है कि जब तक किसान को कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त न हो, जब तक उसके हृदय में यह भावना न हो कि वह मालिक है, वह प्रगति नहीं कर सकता। श्री ख्रुश्चेव ने भी इस बात को समझा है, और अपने विचारों को व्यक्त भी किया है। कृषि के प्रतिबन्धित उपायों और एकतंत्रीय उपायों से कृषि में प्रगति नहीं हो सकती (**अन्तर्बाधायें**)। मैं समझता था कि रूस एक दूसरा देश है और मेरे तथ्यों के प्रकट करने पर आप इतने उत्तेजित नहीं होंगे। मैं इसके महत्व को कम नहीं कर रहा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** वहां रोटी का मूल्य क्या है?

†**श्री स० का० पाटिल:** मैं आपको रूस के मूल्य बताऊंगा, चीन के भी बताऊंगा। मैं समझता हूं कि यह बात आपके लिये दिलचस्प होगी (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** रोटी का मूल्य क्या है?

†**श्री स० का० पाटिल:** कृपया कृपया बाधा न पहुंचायें। अतः श्रीमान, रूस में भी प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण के मामले में काफ़ी प्रगति हुई और वे लोग अमरीका से भी आगे बढ़ गये हैं। हर चीज के लिये वहां मशीन का प्रयोग होता है। किन्तु फिर भी वहां एक मशीन की कमी है और वह है—किसानों के लिये प्रोत्साहन। इसलिये रूस को आंकड़ों से मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध करूंगा कि ०.४ एकड़ के छोटी सी भूमि में, जोकि कहीं कहीं एक एकड़ है, जो परिवारों को दे दी जाती है कि हुई उत्पादन क्षमता और इसकी आय अन्य सब फार्मों से चाहे वह राज्य के हों या सम्मूहिक फार्म हों, तीन गुने हैं। इसके प्रतिकूल आप पौलैंड में जाइये ८७ प्रतिशत भूमि अब

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

भी निजी व्यक्तियों के हाथ में है। वहां की बात ही दूसरी है। मैं एकतन्त्रवादी देश और हमारे देश के बीच अन्तर बताने के बारे में ही ऐसा कह रहा हूं। प्रोत्साहन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। रूस में ४० वर्ष की विचार शुद्धि के बाद भी किसान को अनुभव होता है कि राज्य के फार्मों और सामूहिक फार्मों में को प्रोत्साहन नहीं है और इसलिये उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ती। क्या मेरे मित्रों का कहना यह है कि मैं किसानों को ये प्रोत्साहन न दूं ?

इस ध्येय से कि योजना का कार्य सुचारू रूप से चल सके, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, कि रक्षित संग्रह की आवश्यकता है चाहे वह स्वदेशी उत्पादन से बनाया जाये या बाहर से काल मंगा कर। स्मरण रहे, अब १०० वर्ष के बाद भी रक्षित संग्रह ही मूल्य रेखा को बनाये रखने का एक मात्र उपाय है। दुनिया में कहीं भी कोई किसी अन्य उपाय के बारे में नहीं जानता। दूसरे देशों में वे इसे "रक्षित संग्रह" नहीं कहते क्योंकि उनके पास इतना माल होता है कि वे इसे इस नाम से नहीं पुकारते। मैंने अमरीका में वहां के सचिव से पूछा था कि उनके पास कितना संग्रह है। उन्होंने कहा कि हमारा संग्रह अब कम हो गया है और अब हमारे पास कुल ६ करोड़ टन है। आप इस बात को समझ सकते हैं। जिन लोगों के पास ६ करोड़ टन है उन्हें इसे "रक्षित संग्रह" के नाम से पुकारने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु रक्षित संग्रह की आवश्यकता है अवश्य। काफी समय से हम रक्षित संग्रह के बारे में बात कर रहे थे किन्तु दो या तीन वर्ष पहले जब इस विचार को मूर्त रूप दिया गया तब आपको पता है क्या हुआ। गत चार वर्षों से मूल्य नहीं बढ़े और नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जब तक सबको यह मालूम है कि मेरे पास इतना गेहूं है कि जहां भी कमी हो और जहां भी मूल्य बढ़ने की संभावना हो मैं वहां ही उसे भेज सकता हूं तब तक ऐसा नहीं होगा। यही कारण है कि गेहूं के मूल्य नहीं बढ़े। मैं चाहता हूं कि मैं इतना भाग्यवान होता कि चावल का भी संग्रह रख सकता। यदि मेरे पास चीनी का संग्रह होता तो इसके भाव में जो उतार-चढ़ाव हो रहा है वह नहीं होता। इस ध्येय को लेकर मैंने वे तीर्थयात्रायें की थीं और उनके लिये मेरे मित्र श्री गोपालन को नाराज नहीं होना चाहिये। इन यात्राओं का कारण यह था कि अमरीका में पब्लिक ला ४८० है। जिस के अधीन हमें विदेशी मुद्रा व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिये आजकल के दिनों में विदेशी मुद्रा का प्राप्त करना कितना कठिन है। हम ने इसे खरीद लिया। इस के लिये हमें रुपये में एक लम्बी कालावधि के अन्दर भुगतान करना है। किन्तु करना अवश्य है। इन रक्षित संग्रहों ने हमें बचा लिया है और मेरा विचार है कि मूल्यों के विषय में जो एक चीज कर रहे हैं उस पर भी काबू पा लिया जाता, तो अवश्य ही मूल्य वृद्धि का कोई प्रश्न नहीं उठता और वह है चावल का रक्षित संग्रह।

दुर्भाग्य से दुनिया में चावल की स्थिति ऐसी है कि केवल आधे दर्जन लोगों के पास ही आधिक्य है और वहां भी इन में कमी होती जा रही है। बर्मा में जहां बीस वर्ष पहले ३० लाख का आधिक्य रहता था अब अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आदि के कारण मुश्किल से ही कोई आधिक्य है। दक्षिण वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और थाईलैंड भी ऐसे देश हैं और वहां के राजनैतिक स्थिति को आप समझ ही सकते हैं। अतः चावल के उपलब्ध समस्त रक्षित संग्रह और आधिक्य ५० लाख टन से अधिक नहीं जब कि गेहूं के ढ़ाई करोड़ से ३ करोड़ टन तक हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि वस्तुतः चावल के रक्षित संग्रह को बढ़ाना हमारे लिये कितना कठिन है। अब आप पूछें कि भारत में आप कथित संग्रह क्यों नहीं बढ़ाते आप मुझे बतलाइये कि यदि ३ करोड़ ३० लाख टन पैदा करते हैं और मुझे देश के आंतरिक उपभोग के लिये ३ करोड़ ४० लाख टन की आवश्यकता है तो मैं रक्षित संग्रह कैसे बना सकता हूं। यही कारण था कि मैं मंत्रि परिषद् की आज्ञा से अमरीका गया। हम चार वर्ष के अन्दर इस २० लाख टन के रक्षित संग्रह को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस से कि जब हमारे पास यह रक्षित संग्रह हो जाये और जब हमारे प्रयत्नों से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाये तो चावल के मूल्य न बढ़ सकें।

यह सब कहने के बाद भी श्रीमान, मैं चावल के संबंध में आप को एक बात और बतलाऊंगा। हरेक व्यक्ति उठ कर कहता है कि चावल का मूल्य बढ़ गया है और वह ७, ७।।, ८ प्रतिशत के आंकड़े बताने लगते हैं। क्या वह इस बात को समझते हैं कि इस देश में चावल ही एक मात्र मुख्य अनाज नहीं है। यहां चार या पांच तरह के मुख्य अनाज हैं और चावल उन में से एक है। ४२ प्रतिशत लोग चावल खाते हैं। इस के बाद गेहूं की बारी है—ज्वार भी लगभग इस के बराबर ही है, यह लगभग २७ प्रतिशत है। बाजरा और मक्का भी हैं। यह पांच महत्वपूर्ण आनाज हैं। क्या इन पांचों के सम्बन्ध में सभा में किसी ने कहा है कि इस का मूल्य कहीं गत वर्ष या इस के पहले वर्ष से कम है। गत पांच वर्षों के बीच ज्वार का मूल्य न्यूनतम है। केवल चावल का ही मूल्य बढ़ा हैं, और यह बढ़ा भी कहां है? क्या किसी ने यह कहा है? मेरे माननीय मित्र श्री रंगा ने एक प्रश्न पूछा था : क्या चावल के मूल्यों में वृद्धि सारे देश में एक समान हुई है अथवा किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित है? यह एक अच्छा प्रश्न था। वह स्वयं अपने अनुभव से जानते थे। आज मैसूर, मद्रास और केरल में चावल का मूल्य गत वर्ष से भी कम है। आंध्र में यह कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है किन्तु यह स्थिर ही है। किन्तु मूल्य बढ़े अवश्य हैं? कहा? बंगाल, उड़ीसा, बम्बई और गुजरात में क्योंकि वे अपना चावल मध्य-प्रदेश से मंगाते हैं। क्यों? क्यों कि गत वर्ष चावल का उत्पादन इसके एक वर्ष पहले से, और उसके पिछले वर्ष से १५ लाख टन कम था। यह १५ लाख टन चावल मैं कहां से लाऊं? क्या आप यह कहना चाहते है कि मैं इसे खरीदने में रुपया व्यर्थ खर्च कर देता? इसका अर्थ था आपात काल के इस कठिन समय में बाहर से चावल मंगाने में ७५ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते। और इस लिये, मैंने केवल यह १५ लाख टन ही बाहर से नहीं मंगवाये, अपितु हमेशा के ३ १/२ लाख टन में से भी १ लाख टन कम ही खरीदे। मैंने समझा कि अपने पास के संग्रह से, जो ८ या ९ लाख टन है, मैं गेहूं की सहायता से जो मैं चावल के बराबर की ही मात्रा में देता हूं, ५० प्रतिशत चावल और ५० प्रतिशत गेहूं, क्योंकि हमें गेहूं खाने की भी आदत डालनी है। अगर आप स्वयं पैदा न करें तो यह शोर नहीं मचाना चाहिये कि इसे देश के बाहर से मंगवा लिया जाये चाहे इसके लिये कितनी भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हो। ऐसा करने वाला मंत्री मैं नहीं हूंगा। यह हम लोगों की देशभक्ति की और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना के अनुरूप नहीं है अतः, एक देश में, ४ या ५ वर्ष के काल में २ या ३ ऐसे कमी के महीने होते हैं, जैसे जून, जुलाई अगस्त और सितम्बर। यह तीन या चार कमी के महीने होते हैं जब तक नई फसल न आ जाये। मैंने कहा था कि हमारे पास सस्ती दुकानों को देने के लिये काफी चावल है। गत एक दो वर्ष में ५००० सस्ती दुकानें खोली गई हैं और मेरी हिदायतें हैं कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो ये दुकानें खोल दी जायें। जिनके पास श्रमिक हैं वे स्वयं अपनी ओर से या सहायता प्राप्त कर के सस्ती दुकानें खोल दें ताकि श्रमिक इन दुकानों का लाभ उठा सकें। अतः यदि बाजार में भाव तनिक बढ़ता है तो हमें चिंतित नहीं होना चाहिये क्यों कि इन दो तीन महीनों में ऐसा हुआ ही करता है और संक्षेप में भारत के खाद्य तथा कृषि की यह स्थिति है। यह कोई बात नहीं कि कोई कहे कि अमुक मंत्री पद त्याग कर दें क्यों कि मंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपने आप को प्रमाण-पत्र नही दे रहा हूं किन्तु देश की कृषि सम्बन्धी स्थिति के आधार पर कोई भी यह प्रमाण पत्र दे सकता है।

साम्यवादी दल के मेरे मित्र कुछ अधिक आतुर प्रतीत होते हैं। वे श्री मुरारजी और मुझे ही क्यों यह सम्मान दिया जा रहा है कि हम पद-त्याग कर दें। यह सुन कर मुझे इन लोगों के मस्तिष्क के रोग का निदान करना पड़ता है। इस रोग ने उन्हें इतना पागल बना दिया है कि प्रोफेसर मुकर्जी जैसे व्यक्ति ने भी यह शब्द कह दिये हैं, जब कि वे कभी कभी ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके मुंह में मक्खन भी नहीं पिघलता। पहले तो उन्होने कहा कि वित्त मंत्री और खाद्य मंत्री तथा कृषि मंत्री और मैंने सोचा कितने अच्छे व्यक्ति हैं जो कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। किन्तु बाद में सम्भवतः दल

[श्री स० का० पाटिल]

के आग्रह पर उन्होंने हमारा नाम लिया और कहा कि श्री मुरारजी उनके मित्र हैं और मैं भी मित्र हूं और वे मेरे साथ बैठक कर के कुछ भी पान करना पसंद करेंगे। संभवतः उन्होंने प्रातः कोई ऐसी गर्म चीज पी ली थी जिसके कारण उन्होंने ऐसी बात कही। वे विद्वान हैं और बातों को समझते हैं किन्तु कभी कभी दल का आग्रह इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति को कुछ पूर्व निर्धारित रूप कुछ कहना ही पड़ता है।

इस आकस्मिक बात के बारे में मुझे विशेष बात का पता लगा है जो मैं सभा को बताना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने दल की बैठक में कहा था कि देश में कुछ तानाशाही प्रवत्तियां हैं। इस बात के बारे में किसी को भ्रम नहीं हुआ। तत्पश्चात् २४ घंटों में ही प्रवदा में एक बड़ा लेख छपा जिसमें उन लोगों की बजाय जिनकी ओर प्रधान मंत्री ने संकेत किया था अन्य लोगों का उल्लेख किया। तब डांगे ने बम्बई में एक भेंट के दौरान कहा कि प्रधान मंत्री भी स्वीकार करते हैं कि यहां कुछ तानाशाही प्रवत्तियां हैं और वे हैं श्री मोरारजी देसाई और श्री एस० के० पाटिल। प्रधान मंत्री को तो इस का स्वप्न में भी ख्याल नहीं था और सम्भवतः प्रवदा में भी यह धारणा नहीं व्यक्त हुई। किन्तु साम्यवादी दल ने यह धारणा बना ली और उनका विचार है कि यह सरकार वाम पक्षी है। वह इसे स्वीकृत तथ्य मानकर चले हैं जैसे कि वे सरकार की नीति का नियंत्रण करते हों और वे मंत्रियों में संतुलन लाना चाहते हैं। यदि एक दो मंत्रियो के चले जाने पर जिन पर उन्हें अधिक भरोसा है संतुलन बिगड़ गया है तो वे वित्त मंत्री और खाद्य तथा कृषि मंत्री को निकालने की कामना करते हैं और यदि वित्त मंत्री अन्य विभाग के मंत्री होते और खाद्य तथा कृषि मंत्री, रेलवे मंत्री होते तब भी वे इन्हीं दो व्यक्तियों को चुनते। अतः यह अभ्यर्थना है जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। यह तो एक विचार धारा का प्रश्न है खाद्य नीति के गलत होने का प्रश्न नहीं है। इस लिये वे हमार स्थान निर्धारित करते हैं कि अमुक व्यक्ति दक्षिणपक्षी है और अमुक वाम पक्षी और वे निर्णय करते हैं कि यह संतुलन कैसे पैदा किया जा सकता है। वे जानते हैं कि वे लोक प्रिय नहीं रहें अतः वे यह सब लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये कर रहे हैं। किन्तु स्मरण रखिये कि लोकप्रियता पाने का यह बहुत सस्ता ढंग है और भारत के लोग जानते हैं कि किसको मत देना चाहिये और किस को नहीं।

अब मैं अन्य विरोधी दलों को लेता हूं ताकि वह यह न कहें कि उनकी सर्वथा उपेक्षा कर दी गई है। एक दल के सदस्य होने के नाते नहीं बल्कि लोकतन्त्रवादी होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि किसी दल का दीर्घ समय तक सत्तारूढ़ रहना ठीक नहीं क्योंकि इस लोकतन्त्र का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है अतः दो दलों या अन्य किसी प्रकार की व्यवस्था का अवश्य प्रादुर्भाव होगा। क्या आप कहते हैं कि कांग्रेस ने सत्ता को हथिया लिया है या चोरी छिपे अधिकार जमा लिया है? जिस समय सत्ता का हस्तांतरण किया गया उस समय कौन संघर्षशील था? निस्संदेह वह इंडियन नेशनल कांग्रस थी न कि साम्यवादी। साम्यवादी तो १९४२ में भारत छोड़ो अन्दोलन का विरोध कर रहे थे अतः कांग्रेस वैध रूप से सत्तारूढ़ हुई। लार्ड एक्स ने कहा कि शक्ति भ्रष्टाचार पैदा करती है और अनन्य शक्ति अनन्य भ्रष्टाचार पैदा करती है। हम देवता नहीं हैं। शक्ति का उन्माद होता है। अतः जैसा प्रधान मंत्री ने प्रयत्न किया है हमें इस स्थिति को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। इस लिये हम खुले आम आत्म विश्लेषण करते हैं। आप भ्रष्टाचार के एक दो मामलों की बात करते हैं और कहते हैं कि सारी कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। क्योंकि तुम में ऐसे कुछ मामलों का निदर्शन नहीं हुआ अतः आप कहते हैं कि आप अन्य लोगों की अपेक्षा भिन्न प्रकार के होंगे। मैं नहीं कहता कि हम ठीक करते हैं। किन्तु आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हमने महत्व पूर्ण निश्चय किया है कि जिस से यह पता लग जाय कि हम सत्ता को लिए दीवाने नहीं हैं। यह निर्णय अभिनमात्मक नहीं है दिखावा मात्र नहीं है। मैं आशा कर रहा था कि कोई लोकतन्त्रात्मक दल पैदा होगा जो अभी नहीं तो अगले पांच दस वर्ष में हम से

सत्ता छीन लेगा और कांग्रेस की हार पर हम कुछ सीख पायेंगे। किन्तु उस सत्ता को अब कौन अपने हाथ में ले सकता है ? क्या विरोधी पक्ष ऐसा कर सकता है ? यह तो सुविधा के लिये गठ जोड़ हुआ है किन्तु उस में असुविधा पैदा हो रही है। मैं आशा करता था कि श्री कृपलानी और श्री मसानी जिनके साथ मैंने बीस पच्चीस वर्ष काम किया है विरोधी पक्ष का एसा संचालन करेंगे कि पांच दस वर्ष सत्ता को हाथ में लेंगे। जनता उन्हें इतना जिम्मेदार समझेगी कि सत्ता का हस्तातरण सुगम हो जायगा। क्या उन्होंने कर्तव्य का पालन किया है? वे तो कभी अविश्वास प्रस्ताव और कभी स्थगन प्रस्ताव ले आते हैं या कोई छोंटी बात उठा कर कह देते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारपूर्ण है।

कांग्रेस ने जब सत्ता प्राप्त की तो उसने सीमित संसाधनों की सहायता से काम प्रारम्भ किया था। उस समय उस के पास कुछ भी नहीं था आवश्यक योग्यता भी नहीं थी। गत पन्द्रह वर्षों में अच्छी प्रकार प्रशासन का संचालन किया है। अफ्रीका और एशिया के तीस चालीस देश आजाद हो चुके हैं। उनकी ओर देखिये तब आपको पता लगगा कि कांग्रेस ने अपने अधिकारों का सर्वोत्तम प्रयोग किया है और न केवल लोकतन्त्र के जीवित रखा है बल्कि देश की जीवन शक्ति बन गई है और दूसरे देशों के लिए आदर्श बन गई है। यदि एसा है तो इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज भी सभा ६ बजे तक बैठगी।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा खयाल है कि आप हाउस को एडजोर्न कर दीजिये। अपोजीशन बहुत शर्मा गई है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : नहीं साहब मेरा खयाल है कि त्यागी साहब बहुत झेंप गए हैं उन को जाने दीजिय।

†**श्री मनोहरन** (मद्रास-दक्षिण) : आचार्य कृपलानी के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुझे हर्ष होता है। श्री पाटिल के कथन से प्रतीत होता है कि देश की खाद्य सामग्री की आवश्वकता पूरी की जा रही है। किन्तु प्रधान मंत्री ने लुधियाना में कहा था कि हम पन्द्रह वर्ष के बाद भी खाद्य सामग्री में आत्म निर्भर नहीं बन पाये अतः मुझ चीनी आक्रमण से भी अधिक इस बात का दुःख होता है। यह है वह प्रमाण पत्र जो प्रधान मंत्री ने खाद्य मंत्री को दिया है।

कांग्रस सदस्यों ने कहा है कि विरोधी पक्ष में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं अतः उन का कोई सामूहिक उद्दश्य नहीं है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हमारा राजनैतिक मतभेद होते हुए भी हम शासक दल की उदण्डता के कारण न उनके सत्ता के उन्माद के कारण उनके विरुद्ध संगठित हो सके हैं। हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आपकी शानदार परम्परा है अतः आपको घमंडी नहीं बनना चाहिये बल्कि विरोधी पक्ष के विरोध को ध्यानपूर्वक सुन आत्मसुधार करना चाहिये। आपको यह कह कर कि पृथलाना ही है हमारे विचारों की सर्वथा उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

स्वतन्त्र संसद के इतिहास में यह पहली बार है जब विरोधी पक्ष ने संगठित होकर अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वह भी देश के लोकतन्त्र की सफलता का प्रतीक है। सरकार को आलोचना से लाभ उठाना चाहिये। कितु खद है कि शासक दल विरोधी पक्ष को सुनने तक के लिये तैवार नहीं।

मैं द्रवड़ कड़गम दल का विचार प्रस्तुत करना चाहता हुं। हमारा दर्शन यह है कि यह देश बिभिन्न सस्कृतिकों और विभन्न भाषाओं का समह हैं अतः द्राविड़ों का अलग देश बनना चाहिये।

शासक दल को चाहिये कि हमारे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करे या हमारा मत बदल दे किन्तु विधि द्वारा दमन करने से क्रांति को दबाया नहीं जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनोहरन]

९ नवम्बर, १९६३ को चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये सभी दलों ने शासक दल का पूरे दिल से समर्थन किया था और संकल्प पारित किया गया था किन्तु अगस्त १९६३ में स्थिति बिल्कुल उलट गई है सरकार को इस पर विचार करना चाहिये कि क्यों सभी विरोधी दल इस प्रकार विरुद्ध हो गये हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं कि यदि पुनः चीनी हमला हो तो हम सहायता नहीं करेंगे। हम सहायता अवश्य करेंगे। किन्तु अब यह स्थिति क्यों पैदा हो गई है।

जहां तक मेरा संबंध है, संविधान में सोलहवां संशोधन लाने का क्या कारण है। द्रावड़ कडगम को संदेह की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। इसी लिए मैं कहता हूं कि आपातकाल घोषित कर के धोखा दिया जा रहा है।

अभी ऐसे समय में भाषा विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी। फिर सोना नियंत्रण आदेश क्यों लागू किया गया है। मेरे दल के दो सदस्य इस बारे में वित्त मंत्री से मिले थे और उन्होंने मंत्री महोदय को बताया कि हमारे इलाके में इस से सुनारों को कितनी कठिनाई का अनुभव करना पड़ रहा है और वहां की महिलाएं सोने को कितना पवित्र समझती हैं किन्तु वित्त मंत्री ने तानाशाही ढंगसे उत्तर दिया कि यह समाज सुधार का उपाय है। समाज सुधार के लिए उपयुक्त समय देखना चाहिये था और विरोधी पक्ष का परामर्श लेना चाहिये था। क्या सभान एक ही दिन में किया जा सकता है।

फिर अनिवार्य जमा योजना भी लोगों के लिए कितनी विपत्ति का कारण बन रही है। प्रत्येक राज्य में कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं एक दूसरे का गला काट कर रहे हैं। आपातकाल में ही यह सब कुछ हो रहा है और आपातकाल के नाम पर लोगों पर विपत्तियां ढाई जा रही हैं और विरोधी दल जब शिकायतें प्रस्तुत करता है तो उन्हें कहा जाता है कि आजकल आपातकाल है।

श्री के० डी० मालवीय को यह त्याग करना पड़ा है जब कि वे निर्दोष हैं। देश जानना चाहता है कि वे दोषी हैं या नहीं। यदि वह दोषी है तो उन्हें अधिक दण्ड मिलना चाहिये अन्यथा उन पर आरोप लगाने वाले सदस्यों को दण्ड मिलना चाहिये।

मैं इस शासन को अकुशलता लाल फीताशाही परिवार पोषण और भ्रष्टाचार का अपराधी ठहराता हूं। गैर हिन्दी भाषी प्रदेशों को दिये गये आश्वासनों से यह विमुख हुआ है और इस ने सत्ता द्वारा लोगों को अधिकारों को कुचला है। मंत्रिमंडल ने लोगों के नैतिक मूल्यों का दमन किया है। और अपने दल के स्वार्थों को प्रोत्साहन दिया है। इसने संघीय लोकतंत्र को एक तंत्र तानाशाही में बदल दिया है।

प्रधान मंत्री इतनी आयु के होते हुए भी अत्यन्त भावुक हैं, अधीर हैं और मंत्रिमंडल के तानाशाह हैं।

अतः मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री पा० गो० मेनन** (मुकुन्दपुरम): पूर्व वक्ता ने अपनी वक्तृता इन शब्दों से स्वयं शुरू की कि कांग्रेस को उनकी बातें नम्रभाव से सुननी चाहियें। उन्हें सुनने के उपरांत मैं यही कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष अनुत्तरदायित्व का परिचय दे रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

प्रस्ताव के समर्थकों ने परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किये हैं। यह इस कारण है कि उन्हें विश्वास है कि उन्हें कभी सत्ता का उत्तरदायित्व नहीं सम्भालना पड़ेगा ।

यह प्रस्ताव इस लिए लाया गया है कि प्रत्येक विरोधी दल सरकार के विरुद्ध अपनी घृणा का प्रदर्शन करना चाहता था । भला प्रधान मंत्री इन परस्पर विरोधी विचारों को मानने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं । यह प्रस्ताव लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया है । आचार्य कृपालानी और श्री मसानी ने तटस्थता की नीति का विरोध किया है श्री द्विवेदी इसका सिद्धांततः समर्थन करते । श्री गोपालन इसके पक्ष में हैं अतः प्रधान मंत्री किस मत को स्वीकार करें ?

श्री मसानी आर्थिक बुराइयों का कारण आयोजित व्यवस्था को बताते हैं। जब कि अन्य सदस्यों ने कहा है कि समाजवाद की ओर प्रगति धीमी है। श्री लोहिया अंग्रेज़ी को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इस प्रकार विरोधी पक्ष के विचार सर्वथा एक दूसरे के नाशक हैं। इस प्रकार वास्तव में यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इस से तो यही प्रमाणित होता है कि इस सरकार की नीतियां सफल हैं।

कुछ वर्ष पूर्व विश्व के राजनीतिज्ञ हमारी तटस्थता की नीति का विरोध करते थे किन्तु अब वे इसकी स्वस्थता को स्वीकार करने लगे हैं। इसके कारण हमें सभी मुख्य राष्ट्रों की मित्रता प्राप्त हुई है ।

हमारी घरेलू नीति का आधार है योजना और लोकतंत्रात्मक समाजवाद। आचार्य कृपालानी ने योजना के क्षेत्र में हमारी तीन त्रुटियों का उल्लेख किया है । पता नहीं उन द्वारा बताये तथ्य ठीक हैं या गलत किन्तु १० या २० करोड़ का गलत हिसाब ११००० करोड़ रुपये की योजना में आपत्ति का कारण नहीं हो सकता । इस आलोचना में औचित्य का अभाव है ।

श्री मसानी ने कहा कि हमें इस्पात संयंत्र नहीं बनाने चाहियें । भारी उद्योगों के बिना हमें अन्य देशों पर आश्रित रहना पड़ेगा। गैर सरकारी क्षेत्र के लोग भारी उद्योग नहीं बना सकते।

श्री मसानी ने सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों से कम लाभ का जिक्र किया, परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र में जितने भी भारी उद्योग हैं उन्हें भी आरम्भ में कम लाभ ही हुआ ।

श्री मसानी ने कहा कि स्वाधीनता के १६ वर्ष में, भारत में समाज में कोई प्रगति नहीं हुई है । भारत में औसत आयु इन वर्षों में ३२ वर्ष से बढ़ कर ४८ वर्ष हो गई है । तो क्या यह प्रगति की निशानी नहीं है ।

श्री आचार्य कृपालानी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले देश के बहुमत के प्रतिनिधि हैं। यह बात ठीक है कि कांग्रेस ४५ से ४८ प्रतिशत वोटें लेकर चुनाव जीतती रही है। इसका कारण यह है कि चुनाव में बहुत से दल होते हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार भी होते हैं। फिर कई वोटें खराब भी होती हैं। कई ऐसे उम्मीदवार को भी डाली जाती हैं जो चुनाव लड़ने में दिलचस्पी लेना छोड़ देते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी का रवैया स्पष्ट नहीं है। श्री मुकर्जी और श्री गोपालन चाहते हैं कि श्री मोरारजी देसाई और श्री पाटिल त्यागपत्र दे दें । अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध तो सारे मंत्रि परिषद् से होता है न कि दो मंत्रियों से । "लैफटिस्ट" और "राइटिस्ट" के शब्द तो कांग्रेस में फूट डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इस बात में सफल नहीं होगी ।

कांग्रेस सरकार ने बहुत काम किए हैं कि जो कि चिरस्मरणीय होंगे । स्वतंत्रता के बाद इस सरकार ने रियासतों को काबू किया । योजनाएं बनाईं । समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित किया । लोकतंत्र को कायम रखा जब कि इर्द गिर्द के देशों में लोकतन्त्र खत्म होता जा रहा रहा है । इस उपमहाद्वीप को एक राज्य बना दिया ।

इन सब सफलताओं का श्रेय कांग्रेस सरकार और प्रधान मंत्री को है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा): विरोधी दल के विभिन्न दलों में आपस में बहुत मतभेद है । वे कांग्रेस के स्थान पर सरकार तो नहीं बना सकते हैं । फिर अविश्वास प्रस्ताव का क्या लाभ है ?

श्री ही० ना० मुकर्जी का यह प्रस्ताव सुझाव कि दो मंत्री त्याग पत्र दे दें प्रधान मंत्री की कटुआलोचना है । क्योंकि वे मंत्रिमण्डल बनाते हैं ।

श्री मसानी का सुझाव है कि कांग्रेस दल अपने नेताओं को हटा दें । क्या इस से स्वतंत्र पार्टी अगले चुनाव में जीत जाएगी ।

श्री मसानी कन्ट्रोल के बिलकुल विरोधी हैं वे शायद जंगल के कानून को चाहते हैं ।

कहीं सरकारी क्षेत्र के उद्योग बहुत सफल रहे हैं जैसे कि चितरंजन, इराजन, टाटाज द्वारा बनाए गए इंजनों से बहुत सस्ते होते हैं । इस्पात के उद्योग को अभी बढ़ने दिया जाए ।

पी० एस० पी० दल को हम दूसरा दल बनाना चाहते थे जो कि समय आने पर सरकार बना सके । यह दल जिस में योग्य व्यक्ति भी हैं अविश्वास प्रस्ताव की विफलता को नहीं समझ सके ।

स्वाधीनता के समय कांग्रस सरकार. को नई कठिनाइयां मिली थीं । उन सब के बावजूद सरकार ने देश को एक कर दिया है और भविष्य में विकास के बीज बोदिए हैं ।

चीन के बारे में जो हमारी तैयारी नहीं थी उस के लिए हम गलती तो मानते हैं, परन्तु अब जब हम जागरूक हो गए हैं तो हम पूरी कोशिशों से प्रतिरक्षा को मज़बूत बना रहे हैं ।

कांग्रस दल ही विरोधी दल का काम करता है । इसी दल के सदस्य सरकार की गलतियों की आलोचना करते हैं । सरकार की घरेलू और विदेशी नीतियां अच्छी हैं । केवल उन के कार्यान्वयन या ब्योरे पर मतभेद होता है ।

इस संकट के समय में हम सब को मिल कर देश को बचाना चाहियें । अविश्वास प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव के लाने से कोई लाभ नहीं , उन्हें नहीं लाना चाहिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से आठ मास पूर्व चीनी आक्रमण के बाद जब इस सदन में उनकी चर्चा आई थी उस समय संसद् में और सदन के बाहर भी कुछ इस प्रकार की चर्चायें थीं कि इस समय जो सरकार है, उसे अपना स्थान छोड़ देना चाहिये अथवा फिर एक मिली जुली सरकार का निर्माण करना चाहिय । मैं तब उन व्यक्तियों में था जिसने यहां और बाहर भी इस बात पर बल दिया था कि जब नाव मझदार में हो और मल्लाह पूरी शक्ति से पतवार लगा कर पार ले जाने का यत्न कर रहा हो, एसे समय में उस मल्लाह को बदलने

†मूल अंग्रेजी में

की राय देना कुछ बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ऐसे समय में उसकी पीठ थपथपाना और उसको शाबास शाबास कह कर नाव किनारे की ओर ले जाने की प्रेरणा देना ही बुद्धिमत्ता की बात होगी। लेकिन आज आठ महीने के बाद न केवल यहां मैं अपितु सारे देश में. जिस जनता ने रक्षा कोष के लिये सरकार को इतना उहयोग दिया था रक्षा प्रयत्नों में यहां की सरकार को पूरा सहयोग दिया, भारत के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की कोई आलोचना करता था तो लोग उस समय उसके साथ लड़ने और झगड़ने के लिये तैयार हो जाते थे। स्थिति ने पलटा खाया है। जो लोग प्रधान मंत्री की आलोचना के नाम पर लड़ते थे और झगड़ते थे आज उन्हीं प्रान्तों में, उन्हीं नगरों में, उन्हीं मुहल्लों में सभायें हो रही हैं, प्रस्ताव पास किये जा रहे हैं और जो अविश्वास का प्रस्ताव यहां आया है, इसी भावना को वहां भी प्रेरित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह तमाम स्थिति क्यों उत्पन्न हुई।

कोई भी राष्ट्र अगर वह अपनी सुरक्षा चाहती है तो उसको तीन नीतियों को बड़ी सुदृढ़ता के साथ चलाना पड़ता है। पहली नीति अर्थ नीति है, दूसरी नीति विदेश नीति है और तीसरी नीति गृह नीति है। जहां तक अर्थ नीति का सम्बन्ध है, मैं कोई अर्थ शास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं। केवल उसके सम्बन्ध में मैं एक संकेत मात्र दे देना चाहता हूं। भारत ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो बाहर से ऋण लिये हैं, वे अपेक्षित थे, वे ठीक थे। परन्तु जहां तक उन ऋणों का सम्बन्ध है जिनके कारण सरकार ने हमारे देश को विश्व के अन्दर ऐसी स्थिति में ला कर खड़ा कर दिया है कि शायद ऋण लेने वाले या मांगने वाले देशों में भारतवर्ष का नम्बर प्रथम है। ३१ मार्च, १९६३ को हमारे देश के ऊपर १७६०.१६ करोड़ का ऋण था। इस ऋण पर सूद की शक्ल में जो पैसा हम को देना पड़ता था वह ५६.४० करोड़ रुपया था। इतनी बड़ी धनराशि हमें केवल सूद सूद की शक्ल में देनी पड़ती है। आवश्यक बातों के लिये जो चीज़ ली जाए, वह तो सही है। परन्तु शासन में और नीति में चाणक्य ने लिखा है कि वह पिता अपनी सन्तान के साथ अन्याय करता है जो अपना ऋण सन्तान पर छोड़ कर जाता है। ऋणकर्त्ता पिता शत्रु। मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस समय अपनी झोलियां फैलायें, सोच समझ कर फैलायें। जैसी विपत्ति इस समय आई है, उस में तो सहयोग अपेक्षित था परन्तु ऐसी स्थिति में हम न हो जायें कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस भारी ऋण से उऋण न हो पाये।

दूसरी बात मैं विदेश नीति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मुझे आज दुःख के साथ यह कहना पड़ता है और मैं चाहता हूं कि मुझे प्रधान मंत्री जी इसको कहने की आज्ञा दें कि हमारी विदेश नीति में आरम्भ से ही कुछ गलतियां चली आ रही हैं। तिब्बत के सम्बन्ध में अगर मैं अपने मुंह से कहूं तो यह छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में कहना चाहता हूं जो उन्होंने चीनी आक्रमण के बाद पटना के गांधी मैदान में कहा था कि आज जो चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, यह उस पाप का प्रायश्चित है कि जब चीनी राक्षस तिब्बत रूपी शिशु को अपने मुंह में हड़प रहा था उस समय हम अपने मुंह पर पट्टी बांधे बैठे रहे। काश्मीर के सम्बन्ध में भी मैं अपने शब्दों में न कह कर भारत के भूत-पूर्व उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री स्वर्गीय बल्लभ भाई पटेल के शब्दों में कहना चाहता हूं—उन्होंने दुखी हो कर एक बार डा० राजेन्द्र प्रसाद को कहा था जो कि उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि सारे हिन्दुस्तान में मेरी चलती है, लेकिन जवाहरलाल जी के घर —काश्मीर के अन्दर मेरी नहीं चलती है। जनमतसंग्रह की बात का अदूरदर्शिता के साथ एलान करना और इस केस को सुरक्षा परिषद् में ले जाना बड़ी भूलें थी। आज हम काश्मीर के बारे में किस स्थिति में ला कर खड़े कर दिये गये, इसको आप देखें। पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं।

लेकिन हम अभिमान कर रहे हैं विदेश नीति की इस बात पर कि रूस और अमरीका दोनों चीन के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्या मैं बड़े ही बिनम्र शब्दों में पूछ सकता हूं कि द्वितीय महायुद्ध में रूस और अमरीका में समझौता हुआ था, उस समय क्या हमारी विदेश नीति वहां काम कर रही थी ? अपने हित की रक्षा के लिये भी दो मुल्क रूस और अमरीका जब मिल सकते हैं हिटलर का मुकाबला करने के लिये तो आज के हिटलर का मुकाबला करने के लिये अगर रूस और अमरीका ने चीन के साथ अपनी तटस्थता की नीति रखी है, तो इसका सोलहों आने श्रय हम अपने कंधों पर नहीं ले सकते हैं। उनका अपना हित भी उसके अन्दर निहित है।

जब चीन का आक्रमण हुआ तो हमने कहा कि वह पंचशील के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके अपने बचन से पीछे हटा है। चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन उससे भी बड़ा विश्वासघात हमारी सरकार ने जनता के साथ किया है, देश के साथ किया है। क्यों तमाम रहस्यों को आपने छिपा कर रखा ? किस तरह से सड़कें बन रही थीं, किस तरह से हवाई अड्डे के लिये जगह तलाश की जा रही थी, क्यों वर्षों तक इस तरह के रहस्यों को छिपा कर आपने रखा ? अपने श्वेतपत्रों में अपनी कलम से आपने तमाम बातों को लिखा है। उससे भी बड़ी चीज है कि नेफा की पराजय की रिपोर्ट को फिर उसी तरह से सरकार दबा कर रखना चाहती है। प्रधान मंत्री जी, नेफा पराजय की रिपोर्ट न केवल संसद् के माननीय सदस्य ही मांग रहे हैं, मगर मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि नेफा में पराजयों की रिपोर्ट की मांग कर रही हैं वे हजारों विधवायें जिन के पति उन पहाड़ों पर मारे गये हैं, नेफा में पराजयों की रिपोर्ट की माग कर रहे हैं वे हजारों अनाथ बच्चे जो पिताओं से रहित कर दिये गये हैं, नेफा की पराजय की रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं वे हजारों बूढ़े मां बाप जिन के बच्चे उनके हाथों से जाते रहे हैं। कब तक आप इस रिपोर्ट को दवा कर रखेंगे ? आज उनकी पुण्य आत्मा पूछती है कि उस पापी का नाम बताया जाए जिस की वजह से हम बेहाल कर दिये गये। कब तक आप इसको इस तरह से दबा कर रखेंगे ? एक मजबूत आदमी सुरक्षा मंत्रालय में आया था जिस ने स्थिति को सम्भाला था। लेकिन मुझ इस कटु सत्य को कहने की आज्ञा दीजिये कि आपने उस के आने के बाद सुरक्षा मंत्रालय को तीन हिस्सों में बांट कर उसके उत्साह को भी ठंडा कर दिया था। प्रधान मंत्री जी, अविश्वास का प्रस्ताव जिस समय चीन ने आक्रमण किया था शायद उसके कुछ दिन बाद आ जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब भी एसी ही स्थिति बनी थी। लेकिन आज यह अविश्वास का प्रस्ताव तब आया है जब पानी होंठों तक आ चुका है, जनता के असन्तोष का प्याला जब भर चुका है और आपकी ढुलमुल नीति का ही यह परिणाम है कि वायस आफ अमरीका के साथ इस तरह से समझौता हुआ। आप कहते हैं कि मुझे पूरी तरह पता नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने आपको जानकारी देनी थी और जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी और जिस की वजह से समझौते से पीछे हटने की दुनिया में चर्चा हो रही है इतने बड़े देश के साथ ढुलमुल नीति के कारण हमारे दूसरे समझौतों के सम्बन्ध में सन्देह पैदा होने लगा है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है ?

तीसरी चीज है हमारी गृह नीति। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उन छोटी छोटी चर्चाओं को नहीं करना चाहता जिन से आज गांवों के आदमी परेशान हैं। पुलिस कैसे रिश्वत लेती है, कचेहरी में कैसे रिश्वत चलती है, किस प्रकार से चकबन्दी में लूट मच रही है, किस प्रकार से थाने में रिश्वत चलती है। इन चर्चाओं को भी मैं करना नहीं चाहता कि सेल्स टैक्स आफिस, इनकम टैक्स आफिस और एक्साइज आफिस में किस प्रकार की लूट मची हुई है। इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं कांग्रस पार्टी के जिम्मेदार नेता श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाल के वक्तव्य

की बात कहना चाहता हूं, बिहार के राज्यपाल आय्यंगर के वक्तव्य की बात कहना चाहता हूं जो कि अभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है । आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार केवल नीचे के स्तर पर है, करप्शन केवल लो लेवल पर है। मैं पूछना चाहता हूं कि दास रिपोर्ट और नेफा एन्क्वायरी के बाद भी क्या आप यह कह सकेंगे कि करप्शन छोटे स्तर पर है, लोअर लेवल पर है ? आज करप्शन छोटे स्तर पर नहीं है, करप्शन आप के दायें बायें बैठा हुआ है । सिराजुद्दीन रिपोर्ट के ऊपर आप ने कहा कि चार कांडों में से केवल दो कांडों में मालवीय जी को दोषी ठहराया गया है और दो कांडों के अन्दर निर्दोषी ठहराया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि दो नहीं, एक नहीं, आधे में नहीं, चौथाई में भी अगर दोषी ठहराया जाता है तो आपको क्या अधिकार था कि आप अपने वक्तव्य में कहते कि मैं उन्हें निर्दोषी मानता हूं । जब दो चीजों में दोषी ठहराया गया है तो फिर आप ने निर्दोषी होने का सर्टिफिकेट किस आधार पर दिया ? इसी तरह की चीज नेफा के सम्बन्ध में मैं आप से पूछना चाहता हूं और आप अपने वक्तव्य में इस का उत्तर दें । नेफा की पराजय की रिपोर्ट के अन्दर जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है क्या वह आज जयन्ती शिपिंग कम्पनी में १० हजार रु० मासिक पर नियुक्त करके नहीं भेजा गया? आप बतलायें। इन बातों को मैं पूछना चाहता हूं, पंडित जी । इन तमाम बातों को दबाने से सन्देह की एक दीवार उठती चली जा रही है और आप के सम्बन्ध में लोगों के अन्दर इस प्रकार की चीज पैदा होती चली जा रही है । आप कहते हैं कि नीचे के स्तर पर करप्शन था तो क्या यह नीचे के स्तर पर करप्शन था ?

केरल पी० सी० सी० के प्रेजीडेंट ने जो रिपोर्ट दी थी केरल के चीफ मिनिस्टर के संबंध में और जब दूसरे मिनिस्टर के संबंध में क्या वह नीचे के स्तर के करप्शन की रिपोर्ट थी ? पंजाब के पहले के कांग्रेसी और वर्तमान कांग्रेसी जो चार्जशीट मुख्य मंत्री के खिलाफ दे रहे हैं, वह मेरे पास है लेकिन समयाभाव के कारण मैं उसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उस को सभा की टेबल पर रख सकता हूं । क्या वह नीचे के स्तर का करप्शन है ?

उड़ीसा के संबंध में जो पी० एस० पी० के जिम्मेदार सदस्य ने यह कहा कि हम को रुपया दे कर हराने के लिए उड़ीसा में यह किया गया, क्या वह नीचे के स्तर पर करप्शन है ? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किस स्तर पर करप्शन है ? अगर आप देश को उस से बचाना चाहते हैं तो बचाने का एक ही तरीका है कि आप उच्च स्तरीय कमीशन बनाइए और जहां जहां कमीशन से करप्शन की शिकायत आए उस की जांच कीजिये । वर्ना मैं आज आपको चेतावनी के तौर पर महर्षि व्यास के महाभारत के शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस समय तक्षक इन्द्र के आसन से जाकर लिपट गया और जन्मेजय के नाग यज्ञ में जितने भी सांप थे वे आकर पड़ गये, और जिस समय ऋषियों को पता चला कि तक्षक इन्द्र के आसन में लिपटे रहने के कारण नहीं आ रहा है उस समय विवश हो कर ऋषियों को आवाज लगाना पड़ी :

"तक्षकाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा"

आज आपके इन्द्रासन में एक तक्षक नहीं, न जाने कितने तक्षक लिपटे हुए हैं उड़ीसा में, पंजाब में और दिल्ली में, जिस से विवश हो कर यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा । फिर आप कहते हैं कि करप्शन नहीं है ? इस प्रकार की स्थिति है ।

जहां तक टैक्सों का संबंध है, कम्पलसरी डिपाजिट का संबंध है, मोरारजी देसाई के गोल्ड कंट्रोल का ताल्लुक है, जिसने लाखों लोगों को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया है, इन सब को छोड़िये, मैं पंडित जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूं । जिस जनता से आप चाहते हैं कि त्याग करें, उसके त्याग करने से पहले आप के अगल-बगल में जो इतने लोग बैठे हुए हैं कभी आप ने

उन से त्याग करवाया ? कितनी बार इस सदन में पूछा गया है कि कितना टी० ए० और डी० ए० एक एक मिनिस्टर को पिछले दो सालों से दिया ? १३ मई, १९६१ को पूछा गया, २८ मई, १९६२ को पूछा गया, २९ मार्च, १९६२ को पूछा गया और १० अप्रैल, १९६३ को पूछा गया, लेकिन बराबर यही जवाब दिया गया कि फिगर्स कलैक्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने खास तौर पर होम मिनिस्टर साहब से कहा कि जल्दी से जल्दी उन को दिया जाय लेकिन नहीं दिया गया क्योंकि कहीं वह सनसनी न पैदा करे। मैं समझता हूं कि टी० ए० और डी० ए० की रिपोर्टों को इस लिये दबा कर रखना चाहते हैं कि उन को लेकर देश में चर्चायें चलेंगी। आज बंगाल के मिनिस्टर के विषय में निकला है कि साड़े छः लाख का उन का ट्रंक काल का बिल है। आप बतलाइये कि यहां पर जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वे भी ट्रंक काल करते हैं, उन का कितने रुपये का ट्रंक काल का बिल आता है। आप देखिये कि स्टाफ कार का क्या उपयोग चल रहा है, क्या आप के रूल्स और रेगुलेशन्स का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। यह जितने भी मामले हैं उन के लिये कामराज मिक्सचर क्या काम करेगा ? यह एक कांग्रेस का है जिस के लिये रेडियम की किरणों को लाना पड़ेगा, तब जा कर इस रोग का इलाज आप कर सकेंगे।

दूसरी बात यह कि आप की इस दुर्बलता का नतीजा यह है कि प्रांतों में तानाशाही बढ़ती चली जा रही है। आज संविधान की धारा ३५६ के प्रयोग न करने का परिणाम यह हुआ कि आज बहुत से प्रांतों में जैसे पंजाब है, यहां से दस मील चल कर पंजाब शुरू हो जाता है, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अपनी नई मिलिटरी बना कर खड़ी कर ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस प्रकार से कोई चीफ मिनिस्टर अपनी सेना या रक्षा दल नहीं बनायेगा, केवल होम गार्ड रहेंगे, लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि पंजाब में उसकी ड्रैस अलग, उस के लिये कमान्डेंट अलग, सब होम गार्ड से अलग है। उस के पश्चात् ३ सितम्बर को यहां पर जो प्रदर्शन होने वाला है, मेरी निजी जानकारी है कि वही मिलिटरी यहां पर प्रदर्शन करने के लिये लाई जा रही है। यह तमाम चीजें चल रही हैं। क्या आप नहीं जानते हैं कि पंजाब के अन्दर जितने भी इंडियन सिविल सर्विस के आदमी हैं, जितने इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी हैं, जितने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के आदमी हैं उन की क्या स्थिति है ? भाखरा डैम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर क्लेयर ने क्यों आत्म-हत्या की ? छबील लाल मेहता ने क्यों आत्म हत्या की। कपूर केस, ग्रेवाल केस, इतने तो आप की जानकारी में हैं। आप की इस दुर्बल नीति का परिणाम यह है कि प्रांतों में उछृंखलता बढ़ती चली जा रही है।

लखनऊ में इतने दिन से आठ मिनिस्टर इस्तीफा दिये पड़े हैं। यह स्थिति चल रही है। मध्य प्रदेश में भी य स्थिति है। आप कहते हैं कि अपोजीशन पार्टियों ने पता नहीं कैसे सब मिल यह प्रस्ताव रख दिया। यहां सिद्धांतों का मतभेद हो सकता है,लेकिन पंडित जी, एक खानदान में जब यदुकुल की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है तो उस को बचाना मुश्किल हो जाता है। अगर यह यादवी प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है तो मुझे खतरा है कि कहीं यह देश को नुक्सान न पहुंचाये।

असम में सात लाख पाकिस्तानी आ कर बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि सरकार का इस के अन्दर हाथ नहीं है। सरकार किसी प्रकार से उनको नहीं बिठलाना चाहती। मगर मेरे पास उन आदेशों की प्रतिलिपि है जो वहां के सेटलमेंट आफिसर ने अपने असिस्टेंट आफिसर को लिखा है। उसमें पता चल जायेगा कि किस प्रकार से सरकारी प्रभाव में आकर अवैध पाकिस्ता-नियों को शरण दी जा रही है,। इसके शब्द अगर आप सुनना चाहें तो मैं उन को सुना सकता हूं। ३ जनवरी, १९६२ को गोहाटी से लिखी हुई चिट्ठी है। तमाम नम्बर वगैरह बतला सकता हूं

और अगर आप चाहेंगे तो में उस को भी सदन के मेज पर रख सकता हूं। उस में स्पष्ट लिखा गया है :

आप को केवल गोहाटी और बारा पेटा सब डिवीजन के मुस्लिम आप्रवासियों को नाम सूची में लिखने हैं "।

इतने से उनको संतोष नहीं है। अगले पैरा ग्राफ में लिखते हैं :

"किसी हिन्दू का नाम सूची में न लिखिये" (**अन्तर्बाधायें**) :

अब वह सेटलमेंट आफिसर बना दिया गया है। अब वह पदोन्नति पर शिलांग में ए० डी० एम० बन गए हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : उस अधिकारी का क्या नाम है?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ए० सी० शर्मा। अब उसको यह पुरस्कार दिया जा रहा है और आप कहते हैं कि सरकारी प्रश्रय उन को नहीं मिल रहा है? सरकार की तरफ से यह चीजें मिल रही हैं। आप चाहें तो चिट्ठी पूरी पढ़ भी लीजिये।

अन्त में अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं दो बातें विशेष तौर से कहना चाहता हूं।

श्री त्यागी : हिन्दुओं को एनलिस्ट करने के लिये इस लिये इन्कार किया गया होगा कि वे बेचारे वहां से चले गये होंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप मेरे समय को नष्ट न कीजिये।

दूसरी बात जो मैं अपने वक्तव्य के अन्त में कहना चाहता हूं वह यह कि आप यह कहना चाहते हैं कि आचार्य कृपलानी जी ने अपने गांधी आश्रम के वर्कर्स का इस्तेमाल किया। मुझे इस बीच में आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंडित जी, आपने राष्ट्रीय एकता परिषद् में विज्ञान भवन में यह कहा था कि जातीयता, साम्प्रदायिकता इन से राष्ट्रीय एकता टूट रही है। क्या आप हृदय पर हाथ रखकर बतलायेंगे कि आपने अमरोहा में जो कैंडिटेट चुना था वह कौन सी राष्ट्रीय एकता का आधार बना कर चुना था, वहां पर जो जाति बिरादरी के लीडर भेजे गये थे वे कौन सी राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करने लिये भेजे गये थे : लेकिन इस से भी आगे चल कर मैं एक और बड़ी बात आप से कहना चाहता हूं। आप उत्तर प्रदेश में चल कर देखिये। वहां पर सम्पूर्णानन्द जी ने, जब वह चीफ मिनिस्टर थे, कहा था, कि कोई सरकारी नौकर अन्तरिम जिला परिषद का सदस्य नहीं माना जायेगा। लेकिन आज श्री चन्द्रभान गुप्त ने वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर अधिकार करने के लिये जितने उच्च सरकारी कर्मचारी हैं उन को डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का मेम्बर कर दिया, कुछ को कोआप्ट कर लिया है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : यह गलत है।

श्री शिव नारायण (बांसी) : यह चार्ज गलत है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं चेलेंज करता हूं आप को इस के लिये। इस का परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश की जितनी भी परिषदें हैं उन के संबंध में यह बात कही जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : शिव नारायण जी, यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारा कानून है ?

श्री रघुनाथ सिंह : जिला परिषद के मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं। पहले थे अब नहीं हैं।

मैं अन्त में गांधी जी के कुछ शब्द कह कर समाप्त करूंगा। मगर इसके प ले य भी कहूंगा जिस शासन के अन्दर बेरोजगारी, चोरबाजारी, रिश्वत, भ्रष्टाचार, बढ़ गया है, जिस शासन के अन्दर कुनबापरस्ती, ऐयासी, गरीबी, मंहगाई बढ़ गई है, जिस शासन में अज्ञान, अभाव, अन्याय, अधर्म का बोलबाला है, जिस शासन में तानाशाही, चारित्रिक पतन, अनुशासन हीनता बढ़ी है, जिस शासन में कायरता, दुर्बलता, अकर्मण्यता, आत्महीनता बढ़ी है, जिस शासन में कत्ल डाके, चोरी, बलात्कार, अपहरण की कोई गिनती नहीं, जनता के सेवक गोरे साहब की जगह काले सा ब बनने में गर्व करते हैं, उन्हें गांधी जी के शब्द सुना कर बैठ जाता हूं। यह शब्द गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में पटना में २१–५–४७ को जो बिहार की कौमी आग पुस्तिका में जो नवजीवन प्रेस अहमदाबाद से छपी है लिखी है –

"हमारी राज्य सत्ता अंग्रेजों की तरह बन्दूक के जोर पर नहीं निभ सकती। अनेक प्रकार के त्याग और तपश्चर्या द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वास संपादन किया है। परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले जनता को धोखा देंगे और सेवा करने के बजाय उस के मालिक बन जायेंगे तथा मालिक की तरह व्यवहार करेंगे, तो मैं शायद जिऊं या न जिऊं, परन्तु इतने वर्षों के अनुभव के आधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत करता हूं कि देश में बलवा मच जायेगा, सफेद टोपीवालों को लोग चुन चुन कर मारेंगे और कोई तीसरा सत्ता इसका लाभ उठा लेगी।"

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २१ अगस्त, १९६३/श्रावण ३०, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २० अगस्त, १९६३
२९ श्रावण, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६९५—७१७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५०	चीनी का रक्षित भण्डार	६९५—९८
१५१	सहायक खाद्यों का विकास	६९८—७०१
१५२	खाद्यान्नों के मूल्य	७०२—०६
१५३	रेलवे दुर्घटना समिति	७०६—१०
१५४	सहकारी फार्म समितियां	७१०—१४
१५६	चावल का उत्पादन	७१४—१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		७१७—८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५५	भोजन की आदतें	७१७–१८
१५७	पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि	७१८
१५८	अखिल भारतीय कृषि सेवा	७१८–१९
१५९	भारतीय नौवहन	७१९
१६०	टेलीफोन	७१९–२०
१६१	चीनी उत्पादन कार्यक्रम	७२०
१६२	हल्दिया पत्तन	७२०–२१
१६३	विदेशी पर्यटक	७२१
१६४	चीनी का स्टाक छिपा कर रखने वालों को दण्ड	७२१–२२
१६५	बनगांव-सियालदह तथा सियालदह–रानाघाट सैक्शन का विद्युतीकरण	७२२
१६६	तटीय नौवहन	७२२
१६७	खजुराहो में हवाई अड्डा	७२२–२३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६८	दण्डकारण्य का सर्वेक्षण	७२३
१६६	मिलों में सहकारिता प्रणाली	७२३–२४
१७०	सिंगापुर में नाविकों की गिरफ्तारी	७२४
१७१	ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनीज	७२४–२५
१७२	किसानों के लिये सस्ते औजार	७२५
१७३	कंक्रीट के स्लीपर	७२६
१७४	आयोजन एवं कार्यकारी दल	७२६
१७५	संयुक्त अरब गणराज्य के कामेट विमान की दुर्घटना	७२६–२७
१७६	डाक सेवायें	७२७
१७७	खेलकूद की टीमों को रेलवे यात्रा के लिये रियायतें	७२८
१७८	रेलवे जोन	७२८
१७६	"एयरवेज" प्रणाली	७२६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४६६	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	७२६–३०
४६७	डाक-तार निदेशक, उड़ीसा का कार्यालय	७३०–३१
४६८	डी० सी०–३ हवाई जहाज	७३१
४६६	चीनी का उत्पादन	७३१
४७०	फीरोजपुर डिवीजन में गाड़ियों के रुकने के स्थान	७३१–३२
४७१	चीनी कारखानों को उत्पादन के लिये प्रोत्साहन	७३२–३३
४७२	मीन क्षेत्रों का विकास	७३३
४७३	सुप्राकंडी स्टेशन	७३३
४७४	महानदी पर पुल	७३३–३४
४७५	तिलहन का विकास	७३४
४७६	बागवानी का विकास	७३४–३५
४७७	उड़ीसा में सामुदायिक विकास खंड	७३५
४७८	बम्बई में टेलीफोन के तारों का टूट जाना	७३५–३६
४७६	फसलों की क्षति	७३६
४८०	चावल और गेहूं का आयात	७३६–३७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४८१	चीनी का निर्यात	७३७
४८२	घास अनुसन्धान केन्द्र	७३८
४८३	गेहूं को लोकप्रिय बनाने के लिये बेकारी	७३८
४८४	खनिज अयस्कों के निर्यात के लिये भाड़े में रियायत	७३९
४८५	रेलगाड़ी के इंजनों के लिये स्पीडोमीटर्स का निर्माण	७३९–४०
४८६	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विकास बोर्ड	७४०
४८७	बीजों के लिये किस्म नियंत्रण	७४०–४१
४८८	हवाई अड्डों पर राडार उपकरण	७४१
४८९	डाक तथा तार विभाग की इमारतें	७४१–४२
४९०	सी-आइलेंड कपास की खेती	७४२
४९१	दिल्ली दुग्ध योजना	७४२–४३
४९२	दिल्ली परिव न उपक्रम	७४३
४९३	राज्य परिवहन निगम के केन्द्रीय एकक	७४३–४४
४९४	दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे के कर्मचारी	७४४
४९५	गैंगमेन द्वारा रेलवे दुर्घटना का रोका जाना	७४५
४९६	भारतीय नौव न उद्योग	७४५–४६
४९७	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	७४६
४९८	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	७४६
४९९	मर्मागाओ पत्तन	७४६–४७
५००	मसुलीपटनम पत्तन	७४७
५०१	रेलों के लिये कोयला	७४७–४८
५०२	नील गाय की हत्या	७४८
५०३	खतरे की जंजीर खींचना	७४८–४९
५०४	चलती गाड़ियों में दुर्घटनायें	७४९—५१
५०५	मैफलिन सूत्र	७५१
५०६	बेरियम केमिकल्स लि०	७५१
५०७	डीजल इंजन	७५१—५३
५०८	सफदरजंग हवाई अड्डे पर ग्लाइडर की दुर्घटना	७५३
५०९	ऊसर भूमि का कृष्यकरण	७५३

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५१०	रेगिस्तान में वनस्पति	७५३–५४
५११	केरल के लिये शक्ति चालित हल .	७५४
५१२	पूर्व-अफ्रीकी पत्तनो के लिये यात्री किराये	७५४–५५
५१३	पोस्टल सुपरिटेंडेंट	७५५
५१४	उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन .	७५५–५६
५१५	पश्चिम बंगाल में कृषि उत्पादन .	७५६–५७
५१६	"सूरी ट्रांसमिशन" पर आधारित इंजन	७५७
५१७	रेलवे लाइनें .	७५७–५८
५१८	सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण	७५८
५१९	मोटल	७५८–५९
५२०	टैंकर . .	७५९
५२१	सीमान्त प्रदेशों में रेलवे लाइनें	७५९
५२२	ऊपरी पुल .	७५९–६०
५२३	दिल्ली दुग्ध योजना	७६०
५२४	सब्जियों की खेती	७६०–६१
५२५	वनरोपण . . .	७६१
५२६	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर बिजली लगाना .	७६२
५२७	हवाई यात्रा का किराया	७६२–६३
५२८	जरसी बैल . . .	७६३–६४
५२९	रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते .	७६४–६५
५३०	किसानों को ऋण .	७६५
५३१	पंचायत संसाधन समिति	७६५–६६
५३२	कृषि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश .	७६६–६७
५३३	दक्षिण पूर्व रेलवे में होस्टल	७६७
५३४	पंजाब के लिए चीनी का अभ्यंश .	७६७–६८
५३५	विमान दुर्घटनाएं .	७६८
५३६	पटसन पैदा करने वालों को उर्वरक .	७६८–७६९
५३७	दिल्ली में राशनिंग	७६९
५३८	रेलवे स्लीपर	७६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर | विषय | पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५३९	कोयले का परिव न .	७६९
५४०	विमान चालकों का प्रशिक्षण	७६९–७०
५४१	टेलीप्रिंटर . .	७७०
५४२	बीकानेर स्टेशन . .	७७०
५४३	मध्य प्रदेश में विमान सेवायें	७७१
५४४	सामुदायिक विकास तथा स कार मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समितियां . . .	७७१–७२
५४५	काजू के प्रयोगात्मक फार्म	७७२–७३
५४६	डेक यात्री कल्याण समिति . .	७७३–७४
५४७	यंत्रीकृत फार्म	७७४
५४८	रामगंज मंडी और भोपाल के बीच रेलवे लाइन .	७७४
५४९	दूध का भाव . . .	७७५
५५०	खजूर की चीनी	७७५
५५१	कृमिनाशक औषधियां . .	७७५–७६
५५२	शकरकन्द से चीनी का निर्माण .	७७६
५५३	भुवनेश्वर में कृषि विश्वविद्यालय . . .	७७६–७७
५५४	खाद्यान्न .	७७७
५५५	कलकत्ता राज्य परिव न निगम के लिये बसें .	७७८
५५६	चीनी उद्योग .	७७८
५५७	यात्री डिब्बों का वितरण	७७८
५५८	विद्यार्थियों को रेलवे रियायतें	७७९
५५९	चीनी उद्योग को प्रोत्साहन	७७९
५६०	अमरीकी सहायता से गोदामों का निर्माण	७८०
५६१	डीजल इंजनों का आयात	७८१
५६२	दिल्ली जंक्शन में चोरियां	७८१
५६३	राप्ती नदी पर पुल .	७८१–८२
५६४	दीवा-उरान-अप्ता लाइन	७८२
५६५	चीनी विपणन बोर्ड .	७८२–८३
५६६	बहुप्रयोजनीय गोदाम	७८३

प्रश्नों के लिखित उत्तर	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५६७	हुगली में नौपरिवहन .	७८३
५६८	कानपुर रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ .	७८३–८४
५६९	सहकारी समितियों का कार्य	७८४
५७०	लोग्रर गजटेड सर्विस के लिये चुनाव	७८४–८५
५७१	वन सहकारी समिति	७८५
५७२	घोड़े पालने वाले फार्म	७८५
५७३	लातूर ग्रौर मिरज के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन से बदलना .	७८६
५७४	प्रकाशस्तम्भों के कर्मचारी	७८६
५७५	उड़ीसा की मिलों को गन्ने का सम्भरण	७८६
५७६	मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां .	७८६–७८७

ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना ७८७–७९२

श्री यशपाल सिंह ने १२ ग्रगस्त, १९६३ से दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कम सप्लाई की ग्रोर खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ग्र० म० थामस) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७९२–७९३

(१) वणिक् नौवहन ग्रधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ४ मई, १९६३ की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० ७९८ में प्रकाशित वणिक नौवहन (समुद्री सेवा में शिशिक्षुता) संशोधन नियम १९६३ ।

(दो) दिनांक २२ जून, १९६३ की ग्रधिसूचना संख्या जी० एस० ग्रार० १०३० में प्रकाशित वणिक् नौवहन (व्यापारी बेड़े में इंजीनियरों की परीक्षा) नियम, १९६३ ।

(२) भारतीय विमान ग्रधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के ग्रन्तर्गत, दिनांक ११ मई, १९६३ की ग्रधिसूचना संख्या ८०८ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

विषय **पृष्ठ**

याचिकायें—उपस्थापित ७९३

(एक) श्री नरसिंह रेड्डी ने गोबर के गैस प्लांटों को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को दिये गये धन के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।

(दो) श्री दास ने भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० और उसके अन्तर्गत बनाने गये नियमों के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की ।

विधेयक पारित ७९३–९४

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६३ पर विचार किया जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव . . . . ७९४—८२४

श्री कृपलानी द्वारा १९ अगस्त, १९६३ को प्रस्तुत मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २१ अगस्त, १९६३/३० श्रावण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि—

मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—939 (Ai) LS—16-9-63—160.